लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १——प्रश्नोत्तर)

खण्ड ३, १९५६

(१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६)

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ४१ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खण्ड ३, अंक ४१ से अंक ६०—१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६]

अंक ४१—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०४, १५०५, १५०७ से १५१५, १५१८, १५१९, १५२१, १५२३, १५२४, १५२८, १५३० और १५३२ से १५३८ ... १५०८–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०६, १५१६, १५१७, १५२०, १५२२, १५२५ से १५२७, १५२९ और १५३९ से १५४३ ... १५३०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७० से ११२६ ... १५३४–५३

दैनिक संक्षेपिका ... १५५४–५६

अंक ४२—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ से १५४६, १५४८ से १५५१, १५५३, १५५६, १५५७, १५५९ से १५६३, १५६५, १५६६, १५६९, १५७१ से १५७४ और १५७७ ... ... १५५७–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४७, १५५२, १५५४, १५५५, १५५८, १५६४, १५६७, १५६८, १५७०, १५७५, १५७६ और १५७८ से १५८१ ... १५७६–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११६८ और ११७० से ११९८ १५८०–१६०५

दनिक संक्षेपिका ... १६०६–०९

अंक ४३—शुक्रवार, २० अप्रेल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८२ से १५८४, १५८६, १५८९, १५९३, १५९५ से १५९७, १६००, १६०१, १६०३ से १६०७, १६०९, १६१०, और १६१२ से १६१५ ... १६१०–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८५, १५८७, १५८८, १५९१, १५९२, १५९४, १५९८, १५९९, १६०२, १६०८ और १६१६ ... ... १६३२–३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२५० और १२५२ से १२६४ ... १६३५–५९

दैनिक संक्षेपिका ... १६६०–६२

अंक ४४—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६१७ से १६१९, १६२१, १६२३, १६२४, १६२७ से १६३०, १६३२ से १६३९, १६४१, १६४२, १६४४, १६४५, १६२६ और १६३१ ... ... १६६३–८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९५, १४१५, १६२०, १६२२, १६२५ और १६४० १६८४–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२९७ और १२९९ से १३०८ १६८६–१७००

दैनिक संक्षपिका ... १७०१–०३

अंक ४५—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७०४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ से १६४९, १६५२, १६५४ से १६५९, १६६२, १६६३, १६७२, १६६५ से १६६८, १६७०, १६७३, १६७५, १६७८, १६७९, १६६०, १६६४ और १६५१... ... १७०४–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६६१, १६६९, १६७१, १६७४, १६७६, १६७७ और १६८० ... १७२६–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०९ १३५२ और १३५४ से १३६९ ... १७२९–५१

दैनिक संक्षेपिका ... १७५२–५४

अंक ४६—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १६८३, १६८९, १६९०, १६९५, १६९७, १७०१, १७०२, १७०४, १७०६, १७०८, १७०९, १७११, १७१३ से १७१५, १७१७, १६८७ और १६९१ ... १७५५–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४ से १६८६, १६८८, १६९२ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७००, १७०३, १७०५, १७०७, १७१०, १७१२ और १७१६ १७७४–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७० से १४१०, १४१२ से १४१८, १४२० से १४२३ और १४२५ से १४३५ ... ... १७७९–१८०१

दैनिक संक्षेपिका ... १८०२–०४

अंक ४७—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७१८ से १७२२, १७२४, १७२७, १७३० से १७३२, १७३४, १७३६ से १७३९, १७४१, १७४३, १७२३, १७२५ और १७२६ १८०५–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७२९, १७३३, १७३५, १७४० और १७४२ १८२६–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३६ से १४६२ और १४६४ से १४९३ १८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका १८४७–४९

अंक ४८—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४५ से १७४८, १७५२ से १७६०, १७६३, १७६५, १७६७ से १७७०, १७७२, १७४४ और १७६६ ... १८५०–७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ... १८७०–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५१, १७६१, १७६२, १७६४ और १७७१ १८७२–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १४९७ और १४९९ से १५२१ ... १८७४–८३

दैनिक संक्षेपिका ... १८८४–८५

अंक ४९—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७४, १७७६, १७७९, १७८१ से १७७९, १७९१ से १७९३, १७९५, १७९७ से १७९९, १८०१ और १८०२ १८८६–१९०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७५, १७७७, १७७८, १७८०, १७९०, १७९६, १८०३ और १८०४ ... ... १९०७–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२३ से १५३९ और १५४१ से १५६२ ... १९०९–२३

दैनिक संक्षेपिका ... १९२४–२६

अंक ५०—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०६ से १८११, १८१३, से १८१६, १८२० से १८२४, १८२६ से १८३०, १८३२ और १८३३ ... ... १९२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०५, १८१२, १८१७ से १८१९, १८२५ और १८३१ १९४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ और १५७७ से १६०७ ... १९४९–६२

दैनिक संक्षेपिका १९६३–६५

अंक ५१—मंगलवार, १ मई, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३४, १८३६, १८३९, १८४५, १८४७, १८४८, १८५२ से १८५५, १८५७, १८६१, १८३५, १८४३, १८४४ और १८६२ ... १९६६–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ... १९८५–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३८, १८४० से १८४२, १८४६, १८४९ से १८५१, १८५६ और १८५८ से १८६० ... ... १९८७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०८ से १६२६ और १६२८ से १६४१ १९९०–२००१

दैनिक संक्षेपिका ... २००२–०३

अंक ५२—बुधवार, २ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६३, १८६४, १८६६, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८, १८८०, १८८२ से १८८४, १८८७, १८८९, १८९२, १८९३ और १८९५ से १८९७ ... ... २००४–२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५ ... २०२५–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७ से १८६९, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१, १८८५, १८८६, १८८८, १८९० १८९१ और १८९४ २०२९–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४२ से १६५४, १६५६ से १६८६ और १६८८ से १७१० ... ... २०३४–५९

दैनिक संक्षेपिका ... २०५६–५५

अंक ५३—गुरुवार, ३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९९ से १९०२, १९०४ से १९०८, १९१०, १९११, १९१३ और १९१७ से १९२४ ... ... २०६०–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९८, १९०३, १९०९, १९१२, १९१४ और १९१५ २०८०–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७११ से १७५९ ... २०८२–९७

दैनिक संक्षेपिका २०९८–२१३०

अंक ५४—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५, १९२७, १९३०, १९३८, १९४०, १९४२ से १९४६, १९४८, १९४९, १९५३, १९५६, १९५८, १९६०, १९६२, १९६४, १९६६, १९२६, १९६३, १९३१ और १९३७ ... ... २१०१–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२८, १९२९, १९३२, १९३४ से १९३६, १९३९, १९४१, १९४७, १९५० से १९५२, १९५४, १९५५, १९५७, १९५९, १९६१ और १९६५ ... ... २१२१–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९७ ... २१२७–३९

दैनिक संक्षेपिका ... २१४०–४२

अंक ५५––सोमवार, ७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६७, १९६९, १९७१, १९७२, १९७५, १९७८, १९७९, १९८१, १९८२, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१ से १९९३, १९९५, १९९७, १९९८, २०००, १९६८, १९७०, १९९९, १९८३ और १९८९ २१४३–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २१६६–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७७, १९९६, १९८०, १९८५, १९९०, १९९४ और २००१ से २००३ २१६८–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९८ से १८३६ और १८३८ से १८५० २१७१–८७

दैनिक संक्षेपिका २१८८–९०

अंक ५६––मंगलवार, ८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००४, २००७, २००९, २०१२ से २०१६, २०१८, २०१९, २०२१, २०२२, २०२४, २०२८, २०३० से २०३२ और २०३४ २१९१–२२११

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००५, २००६, २००८, २०१०, २०११, २०१७, २०२०, २०२३, २०२५ से २०२७ से २०२९, २०३३, २०३५ और २०३६ २२११–१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ से १८८५ और १८८७ से १८९३ २२१५–२९

दैनिक संक्षेपिका ... २२३०–३२

अंक ५७––बुधवार, ९ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३९, २०४०, २०४२, २०४३, २०४५ से २०५०, २०५२ और २०५६ से २०६० २२३३–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४१, २०४४, २०५१, २०५३ से २०५५ और २०६१ से २०८३ २२५४–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८९४ से १९२४ और १९२६ से १९३८ ... २२६४–८०

दैनिक संक्षेपिका २२८१–८३

अंक ५८—गुरुवार, १० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८४, २०८५, २०८७, २०९० से २०९२, २०९४, २०९५, २०९८ से २१०२, २१०५ से २१०७, २१०९ और २१११ से २११६ — २२८४–२३०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८६, २०८८, २०८९, २०९३, २०९७, २१०३, २१०४, २१०८, २११० और २११७ से २१२५ — २३०४–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९६४ ... २३०९–१८

दैनिक संक्षेपिका — २३१९–२०

अंक ५९—शुक्रवार, ११ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१२८, २१३१, २१३३, २१३७, २१३९, २१४२ से २१४४, २१४९ से २१५१, २१५३, २१५६, २१२६, २१२९, २१४५, २१४६, २१४८, २१५४ और २१५५ — २३२१–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तरांकित प्रश्न संख्या २१२७, २१३२, २१३४ से २१३६, २१३८, २१४०, २१४१, २१४७, २१५२, २१५७ — २३४२–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १९६५ से १९९२ — २३४५–५४

दैनिक संक्षेपिका — २३५५–५६

अंक ६०—सोमवार, १४ मई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण — २३५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१५८ से २१६२, २१६४ से २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७६ और २१७८ से २१८१ ... २३५७–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६३, २१७१, २१७४, २१७७ और २१८३ से २१९६ — २३७८–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९३ से २०३१ ... २३८३–९६

दैनिक संक्षेपिका — २३९७–९८

M60LSD—190—20-3-58—GIPF

लोक-सभा

शुक्रवार, ११ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकीय गवेषणा संस्था

†*२१२८. **श्री वेलायुधन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकीय गवेषणा संस्था, मैसूर, में की गई खोजों को किस सीमा तक व्यावहारिक उपयोग में लाया गया है; और

(ख) सामान्य जनता के उपयोग के लिये ये खोजें किस सीमा तक विज्ञापित की गई हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या १**]

†**श्री वेलायुधन** : सागो (साबूदाना) उद्योग, जिसका विवरण में उल्लेख किया गया है, तथा आम और शोफहर (केश्यू एपल) के स्टार्च के उद्योग के सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि वस्तुतः ये वस्तुएं सरकार द्वारा ही पैदा की जाती और बेची जाती हैं अथवा किसी अन्य संगठन द्वारा यह कार्य किया जाता है ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह कार्य सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है हम उद्योगों से घनिष्ट सम्पर्क रखते हैं । सागो (साबूदाना) उद्योग के सम्बन्ध में मद्रास सरकार ने इस संस्था की सलाह ली है ।

†**श्री वेलायुधन** : इस संस्था द्वारा टेपिओना से जो चावल की गवेषणा---कृत्रिम चावल बनाने की गवेषणा---की जा रही थी, उसके सम्बन्ध में क्या हुआ और इस संस्था द्वारा इस प्रयोजन के लिये खरीदे गये यंत्रों का क्या हुआ ?

†**डा० एम० एम० दास** : मेरे विचार से इन यंत्रों द्वारा अन्य खाद्यान्नों का निर्माण किया गया था ।

†**डा० रामा राव** : विवरण में लिखा गया है कि वे आमों से स्टार्च (निशास्ता) उद्योग का विकास कर रहे हैं । स्टार्च बनाने के लिये इतने अधिक फलों की बरबादी क्यों की जाती है जब कि वह संसाधनों से उपलब्ध हो सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० एम० एम० दास :** इस सम्बन्ध में हमें मद्रास की यथार्थ अवस्था ज्ञात नहीं है। यह गवेषणा मद्रास सरकार के कहने पर प्रारम्भ की गई थी जो कि गृह उद्योग के आधार पर स्टार्च उद्योग का प्रारम्भ करना चाहती थी ?

†**श्री ए० एम० थामस :** विवरण से यह ज्ञात होगा कि शोफह्रर (केश्यू एपल) के सम्बन्ध में कुछ गवेषणा की गई है और वे त्रावणकोर-कोचीन में काफी बड़ी संख्या में ाप्य है। लेकिन इस संस्था के द्वारा की गई गवेषणा का परिणाम कोई नहीं जानता है। क्या इनके परिणामों को प्रादेशिक भाषा में प्रकाशित करने की कोई व्यवस्था की गई है ?

†**डा० एम० एम० दास :** जी हां। संस्था का अपना प्रचार विभाग है और वे गवेषणा के परिणामों को प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करते हैं।

†**श्री वेलायुधन :** विवरण में यह उल्लेख है कि सागो के सम्बन्ध में सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। इस समिति का कार्य किस स्थिति में है ? वह अपना प्रतिवेदन राज्य सरकारों को प्रस्तुत करेगी अथवा संस्था को, जिससे कि अपेक्षित आगामी कार्यवाही की जा सके ?

†**डा० एम० एम० दास :** यह विशेष समिति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई थी इसलिये स्वभावतः ही यह समिति केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि इमली की और आम की जो गुठली होती है वह स्टार्च के काम में आती है। इसलिये आम की बरबादी नहीं होती ?

†**डा० एम० एम० दास :** इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी।

शिक्षितों की बेकारी

†*२१३१. **डा० रामा राव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को शिक्षितों में बेकारी को दूर करने के लिये १९५४–५५ और १९५५–५६ में दिये गये अनुदानों को किस सीमा तक व्यय किया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) :** १९५४–५५ में मंजूर की गई ३,४०,७१,६१९ रुपये की राशि में से राज्य सरकारों ने २,२३,४०,८०० रुपये का उपयोग किया। १९५५–५६ में ३,२५,६४,२२७ रुपये मंजूर किये गये थे। उसमें से राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई राशि के आँकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

†**डा० रामा राव :** यह अनुमान लगाया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में शिक्षित व्यक्तियों की बेकारी आज से अधिक होगी। और राज्य सरकारों द्वारा उपयोग न किये जाने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत राशि में भी कमी हो जायेगी केन्द्रीय सरकार यह देखने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि धन का पूर्णतः उपयोग किया जाय और बेकारी को दूर करने के लिये अधिक राशि स्वीकृत की जाय ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली :** केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से प्रार्थना की है और निधियाँ उनके हाथों में सौंप दी हैं। किन्तु योजना में कुछ कठिनाइयाँ हैं। नगरों में रहने वाले बहुत से शिक्षित व्यक्ति गाँवों में जाने को इच्छुक नहीं हैं। यह एक बहुत बड़ी कठिनाई है जिसका सामना करना पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० रामा राव :** क्या यह सच है कि शिक्षित बेकार व्यक्तियों को इतना कम वेतन दिया जाता है कि उन्हें गाँवों में काम करने को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। यदि हां, तो क्या सरकार उनके वेतन में वृद्धि करने का विचार कर रही है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली :** वेतनों में वृद्धि करने के प्रश्न पर सरकार पहिले से ही विचार कर रही है और वह इस सम्बन्ध में सक्रिय कार्यवाही कर रही है।

†**श्री आर० पी० गर्ग :** क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कई राज्यों में कोई योजना प्रारम्भ नहीं की गई है और एक भी व्यक्ति को काम दिये बिना सारा रुपया व्यय कर दिया गया है।

†**डा० के० एल० श्रीमाली :** जहाँ तक मेरी जानकारी है, अधिकांश राज्यों ने इस योजना से फायदा उठाया है। मेरे विचार से भारत के कुल राज्यों में से २५ राज्यों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है।

†**श्री आर० पी० गर्ग :** क्या सरकार के पास ऐसे आँकड़े हैं जिनसे यह पता चले कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली :** बेकारी के आँकड़े हैं। किन्तु इस योजना का क्षेत्र सीमित है। यह केवल कुछ शिक्षित व्यक्तियों को काम देने के लिये है। यह बेकारी की सम्पूर्ण समस्या को, जो कि बहुत व्यापक है, हल नहीं कर सकती।

†**श्री भागवत झा आजाद :** १९५४–५५ और १९५५–५६ में करोड़ों रुपये व्यय करने के परिणाम-स्वरूप बेकारी में कितनी कमी हुई है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली :** यह स्पष्ट है ! इस योजना के द्वारा ही शिक्षित बेकार व्यक्तियों को रोजगार मिला है और उसी अंश तक बेकारी घटी है। किन्तु जैसा मैं कह चुका हूँ इस योजना का क्षेत्र सीमित हैं। यह सारी बेकारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकती है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** मैंने केवल प्रतिशत पूछा था।

सामान्य निर्वाचन

†*२१३३. **श्री एस० सी सामन्त :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी सामान्य निर्वाचन के प्रश्न पर विचार किया गया है और उसके लिये कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम किस प्रकार का है;

(ग) क्या आगामी निर्वाचन के पूर्व ही लोक-सभा विघटित हो जायेगी;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) क्या ऐसा करने में कोई वैधानिक अथवा रस्मी कठिनाई उपस्थित होगी ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) :** (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** जब सरकार ने यह घोषणा की है कि चुनाव १९५७ के प्रारम्भ में हो जायेंगे तो यह कार्य अब तक क्यों नहीं किया गया ?

†**श्री पाटस्कर :** सरकार का इरादा यही है, किन्तु इस विशेष मामले पर कभी विचारन नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में.

†**श्री कामत** : सरकार के अनाड़ीपन और गलतियों की दुहाई है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : यह किस बात की भूमिका है ?

†**श्री कामत** : अन्यथा बात समझ में नहीं आयेगी मैं प्रश्न पर आता हूँ। यह तीन 'ब' कार का प्रश्न है--बम्बई, बंगाल और बिहार। क्या सरकार, सामान्य निर्वाचन की तैयारियाँ प्रारम्भ करने के पूर्व, जनमत के समक्ष, जो कि बम्बई विधानसभा में हाल में हुए उपनिर्वाचनों से प्रगट हुआ है, उसी प्रकार सिर झुकाएगी--और बम्बई नगर को महाराष्ट्र में शामिल करने पर गम्भीरता और सच्चाई से विचार करेगी--जिस प्रकार कि उसने बंगाल और बिहार के विलय के प्रश्न पर लोकमत का सम्मान किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री कामत** : सामान्य निर्वाचन उसके पूर्व नहीं हो सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : निर्वाचन हो सकते हैं किन्तु यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सेठ गोविन्ददास : अभी माननीय मंत्री जी ने इस सवाल की धारा १ के सम्बन्ध में कहा कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक हो जाने की आशा है और यह निश्चय पूर्वक कब तक कहा जा सकेगा कि चुनाव कब तक होंगे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य जानते हैं हैं कि कायदे और हमारे विधान के हिसाब से आम चुनाव अगले साल होगा। चुनांचे उसकी पूरी तैयारी, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन (चुनाव आयोग) का सवाल है, वह करते हैं। यह सिलसिला जारी रहता है और उनको बताने की जरूरत नहीं है। उस सिलसिले में अगर कोई दिक्कत आई है तो वह यह है कि यहाँ एक कानून विचाराधीन है, जिसका नतीजा यह होगा कि नई-नई स्टेट्स (राज्य) बनेंगी और फिर उसके बाद डिलिमिटेशन (परिसीमन) होगा। इसलिये जिस वक्त तक वह कानून यहाँ पूरा नहीं हो जाता उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन उस बारे में कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता। और कार्रवाई तो उसकी जारी है और तैयार है। जैसी कि हिन्दुस्तान में आजकल कांस्टीट्यूंसीज़ (निर्वाचन क्षेत्र) हैं अगर उनके हिसाब से हम इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन करने को कहें तो वे दो महीने में इलेक्शन कर सकते हैं लेकिन चूंकि कांस्टीट्यूएंसीज़ में तबदीली होगी इसलिये उनको वक्त चाहिये और वह उस चीज़ को उस वक्त तक शुरू नहीं कर सकते जब तक कि उनको यह न मालूम हो जाये कि कास्टीट्यूंसीज़ किस तरह से होंगी। यह पेच पड़ गया है। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, उसका इरादा है कि मार्च में या उसी जमाने में आम चुनाव हो।

†**डा० रामा राव** : क्या मैं प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में सुन सकता हूं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने कहा है कि संविधान के अनुसार सामान्य चुनाव अगले वर्ष के प्रारम्भ में होंगे। आगामी कार्यवाही के लिये चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। उनका मुख्य कार्य चुनाव की तैयारी करना है और वह तैयार है। यदि हम वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर चुनाव करने को कहें तो वह काम शुरू कर सकता है। वे कार्यक्रम बना करदो तीन महीनों में चुनाव करवा सकता है। अत: वह बिल्कुल तैयार है। कठिनाई यह है कि नये राज्यों तक अन्य कारणों से नये निर्वाचन क्षेत्र बनाने पड़ेंगे। वह ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे संसद का अन्तिम निर्णय ज्ञात न हो। अन्तिम निर्णण ज्ञात होते ही--वे सारी प्रारम्भिक कार्यवाहियाँ कर चुका है--वह आगे की कार्यवाही करेगा। इसलिये कार्य प्रारम्भ करने की सही तारीख तब तक प्रारम्भ नहीं की जा सकती जब तक कि

†मूल अंग्रेजी में

आप संसद् में इस विधेयक को अन्तिम रूप दिये जाने की तारीख निश्चित न कर लेवें। जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है, वह आगामी मार्च में चुनाव करवा लेना चाहती है।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : परस्पर विरोधी वक्तव्यों के कारण देश में द्विविधा की स्थिति पैदा हो गई है। कभी यह कहा जाता है कि आगामी मार्च में चुनाव होंगे, और कभी कहा जाता है कि चुनाव मार्च के बाद होंगे। यह द्विविधा की स्थिति कब तक रहेगी ? हमें चुनावों के सम्बन्ध में कब तक निश्चित संकेत प्राप्त हो सकेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य अफवाहों और सुनी सुनाई बातों पर अधिक विश्वास करते हैं। जो लोग ऐसी बातों पर ध्यान देते हैं उन लोगों पर इन बातों का प्रभाव नहीं रोका जा सकता।

गैर भारतीयों की नियुक्ति

†*२१३७. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने हाल में ग़ैर भारतीयों की सेवाओं में नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ शर्तें निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या ये शर्तें इस सामान्य सिद्धान्त के अतिरिक्त हैं कि ग़ैर-भारतीयों की नियुक्ति ऐसे पदों पर की जानी चाहिये जिनके लिये विशेषित तथा प्रविधिक अर्हताओं या अनुभव की आवश्यकता है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). हाल में ग़ैर-भारतीयों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई नई शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं। जिन शर्तों के अन्तर्गत ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है वे भूतपूर्व गृह-विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या २०/१०६/४६–ई.एस टी एस (एस) दिनांक ४ नवम्बर, १९४६ में बताई गई हैं। उसमें से संगत उद्धरण लोक-सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या २]**

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : इस प्रश्न के सम्बन्ध में लोक-सभा पटल पर जो विवरण रखा गया है उस का सम्बन्ध दस वर्ष पहले की शर्तों से है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन ग़ैर-भारतीयों के स्थान पर भारतीयों को नियुक्त करने के लिये स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद सरकार ने क्या अग्रेतर कार्यवाहियाँ की हैं।

†**श्री दातार** : इन नियमों के अधीन सरकार ग़ैर-भारतीयों के स्थान पर भारतीयों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्यवाहियाँ कर रही है। स्वयं नियमों में यह बात स्पष्ट है। ये नियम बहुत ही लाभदायक तथा प्रभावशाली हैं और इसलिये इन नियमों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : मैं उन ग़ैर-भारतीय पदाधिकारियों की संख्या जानना चाहता हूं जो १९४६ के बाद से अब तक अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं।

†**श्री दातार** : मैं इन सब वर्षों के आंकड़े नहीं दे सकता हूं परन्तु इस समय सेवाओं में ११५ ग़ैर-भारतीय हैं।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : इन ग़ैर-भारतीयों के स्थान पर भारतीय व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाहियाँ की गई हैं और क्या कारण हैं कि इस आदेश को पारित हुए दस वर्ष बीत चुके हैं फिर भी उन्हें अब तक नियुक्त किया हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहाँ तक इस मामले का सम्बन्ध है वर्तमान नियम प्रभावी हैं। किसी ग़ैर-भारतीय को नियुक्त करने से पहले हम यह मालूम करते हैं कि क्या कोई ऐसा भारतीय है जो उस पद के लिये उपयुक्त हो। जब कोई भारतीय उपयुक्त नहीं होता केवल उसी स्थिति में ग़ैर-सरकारी व्यक्ति को न्यूनाधिक एक ठेके के आधार पर नियुक्त किया जाता है और यह शर्त भी रखी जाती है कि उसे अन्य भारतीयों को भी प्रशिक्षित करना होगा ।

†**श्री वेलायुधन** : जो भारतीय नागरिक बर्मा, लंका तथा मलाया और उन सभी स्थानों पर प्रव्रजन कर गए हैं क्या उनके लिये भारत में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिये प्रार्थना पत्र देने में, इस विषय पर आजकल लागू नियमों के कारण, कोई प्रविधिक कठिनाई है ?

†**श्री दातार** : मेरे विचार में जब तक भारत सरकार से इस बात का फैसला नहीं हो जाता तब तक कुछ कठिनाई बनी रहेगी। यदि यह बात तय हो जाए तो कोई कठिनाई नहीं होगी, हो सकता है मेरा यह विचार ठीक न हो ।

†**श्री केलप्पन** : इनमें से कितने ग़ैर-भारतीय पदाधिकारियों के स्थान पर १९४६ के बाद से अब तक भारतीय व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ?

†**श्री दातार** : मेरे पास इस सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं। हम उनके स्थान पर सामान्यता भारतीय व्यक्तियों को नियुक्त कर रहे हैं ।

अध्यापकों के वेतन

†*२१३९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्यों ने प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन बढ़ाना स्वीकार किया है उनके नाम क्या हैं ?

(ख) जिन राज्यों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है उनके नाम क्या हैं; और

(ग) जहाँ तक केन्द्र का सम्बन्ध है, उस का कुल कितना व्यय होगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) से (ग). आसाम, बिहार, बम्बई, हैदराबाद, मद्रास, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रावनकोर-कोचीन तथा विन्ध्य प्रदेश ने प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों को वेतन श्रेणी बढ़ाना स्वीकार कर लिया है, अजमेर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कूच, पैप्सू, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मनीपुर राज्यों का यह विचार है कि प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों की वर्तमान वेतन श्रेणी उचित ही है। अन्य राज्यों ने अब तक अपने अन्तिम उत्तर नहीं भेजे हैं। सभी राज्यों से जानकारी प्राप्त होने के बाद यह मालूम किया जाएगा कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कितना अतिरिक्त व्यय करना होगा ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : कुछ ऐसे राज्य भी हैं, जैसे कि पंजाब राज्य है, जहाँ पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित मूल वेतन से उनका मूल वेतन अधिक है। क्या इन राज्यों को भी सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : जी, नहीं ।

†**श्री बूबराघस्वामी** : सारे देश में प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों को एक सा वेतन देने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिए हैं ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : केन्द्रीय सरकार उन्हें आदेश नहीं दे सकती है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये कुछ मूल वेतन रखने की मंत्रणा दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : आजकल किस राज्य में प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन सबसे कम हैं ? क्या वह उत्तर प्रदेश है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : मैं इस समय यह आंकड़े नहीं बता सकता ।

†**श्री ए० एम० थामस** : शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्तमान योजना प्रख्यापित करने से पहले कई राज्य सरकारों ने लोगों की मांग पर प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों की वेतन श्रेणियों में वृद्धि कर दी थी, हालांकि सम्बन्धित राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कठिन थी । क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्यों की सहायता भी करेगी या वे केवल उन राज्यों को ही सहायता देगी जो इस योजना की प्रख्यापना के बाद वेतन में वृद्धि करेंगे ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : जहाँ तक वर्तमान योजना का सम्बन्ध है, यह केवल उन मामलों पर ही लागू होती है जहाँ राज्य सरकारों द्वारा वेतनों में वृद्धि कर के उन्हें न्यूनतम स्तर तक बढ़ाने के लिये अतिरिक्त व्यय किया जायगा ।

†**श्री ए० एम० थामस** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं यह जानना चाहता था कि यदि किन्हीं राज्यों में योजना की प्रख्यापना के पहले ही वेतन बढ़ाया जा चुका हो, तो क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्यों की सहायता भी करेगी ।

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : यदि किसी सरकार ने पहले ही वेतनों में वृद्धि की है तो वह बधाई का पात्र है । परन्तु हमारी प्रमुख चिन्ता यह है कि सारे देश में सभी अध्यापकों को कम से कम एक न्यूनतम मूल वेतन दिया जाना चाहिये ।

†**श्री कासलीवाल** : माननीय मंत्री द्वारा जो उत्तर दिया गया है उससे यह मालूम होता है कि अजमेर में जो वेतन दिए जाते हैं उनमें तथा राजस्थान में दिए जाने वाले वेतनों में अन्तर है । जब अजमेर को राजस्थान में मिला दिया जायगा तो क्या तब भी यह अन्तर बना रहेगा ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : इस प्रश्न का निर्णय राजस्थान सरकार को करना होगा ।

†**श्री केलप्पन** : क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है कि सारे देश में वेतन सम्बन्धी एक रूप श्रेणी हो ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : हमने यह सुझाव दिया है कि प्रारम्भिक स्कूल के अप्रशिक्षित अध्यापक का न्यूनतम वेतन ४० रुपये तथा प्रशिक्षित अध्यापक का न्यनतम वेतन ५० रुपये होना चाहिये । हमें आशा है कि प्रारम्भिक स्कूल के प्रत्येक अध्यापक के लिये सारे देश में यही न्यूनतम मूल वेतन होगा ।

†**श्री बी० डी० पांडे** : इस विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : जहाँ तक मुझे ज्ञात है उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : जिन राज्यों की अभी चर्चा की गई है उनमें जो बढ़ी हुई रकमें दी जायेंगी इन राज्यों की प्रार्थना पर केन्द्रीय सरकार का इनमें कितना अनुपात होगा ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : ५० प्रतिशत ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : आज कल भारत में एक अप्रशिक्षित अध्यापक तथा एक प्रशिक्षित अध्यापक को कितना न्यूनतम मूल वेतन दिया जाता है ? मैं इन दो वर्गों के सम्बन्ध में न्यूनतम वेतन जानना चाहता हूं और उस राज्य या राज्यों का नाम भी बताया जाए जहाँ न्यूनतम वेतन दिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : प्रत्येक राज्य में वेतनों में अन्तर है । सारे देश में एक रूप श्रेणी कोई नहीं है ।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

†*२१४२. **श्री के० के० दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने एक समूह श्रवण सहायक यन्त्र (ग्रुप हियरिंग एड) तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सैट का परीक्षण किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो परीक्षण के परिणाम क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). जी, हां ।

(ग) यह यन्त्र लाभदायक सिद्ध हुआ है परन्तु प्रयोगशाला से इसमें कुछ अग्रेतर सुधार करने की सम्भावनाओं की जाँच करने की प्रार्थना की गई है ।

†**श्री के० के० दास** : उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन में परीक्षण किया गया था ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : यह परीक्षण गर्वनमेंट लेडी नोयस स्कूल और दिल्ली के मूक और बधिर स्कूल में किया गया था ।

†**श्री के० के० दास** : इस यंत्र का मूल्य कितना है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : उसका अभी हिसाब नहीं लगाया गया है, परन्तु यह उस यंत्र से सस्ता है जो हमको विदेश से प्राप्त हुआ था ।

अंदमान द्वीप समूह

†*२१४३. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५ के आरम्भ में अंदमान द्वीप राज्य को कोई कृषि-ऋण मंजूर किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशि मंजूर की गई थी; और

(ग) क्या उस ऋण का वितरण अभी तक नहीं किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). अंदमान में विशेष मध्यम और दीर्घकालीन ऋण मंजूर करने के लिये जनवरी, १९५६ में दो लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की गई थी

(ग) जी नहीं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मैं यह जानना चाहता हूं क्या १९५५ में कोई ऋण मंजूर किया गया था; १९५६ में नहीं ।

†**श्री दातार** : सन् १९५६ में दी गई यह राशि वर्ष १९५५–५६ के लिये प्रयोग किये जाने के लिये थी ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : माननीय मंत्री ने कहा कि यह राशि जनवरी, १९५६ में मंजूर की गई थी । मेरा प्रश्न यह है कि क्या १९५५ में कोई धन राशि मंजूर की गई थी जो अभी तक वितरित नहीं की गई है ।

†**श्री दातार** : राजस्व वर्ष १९५५–५६ के लिये मंजूरी कुछ देर से दी गई थी और यह जनवरी, १९५६ में दी गई । इसको ३१ मार्च, १९५६ से पूर्व ही व्यय किया जाना था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या सरकार को पता है कि इस कृषि-ऋणों को प्रत्येक वर्ष नवम्बर से पहले, अर्थात् मंजूर किये जाने के आठ मास पश्चात् तक, वितरित नहीं किया जाता है और क्योंकि सम्पूर्ण राशि को चार ही मास के भीतर वितरित करना कठिन होता है इसलिये यह राशि व्यपगत हो जाती है ?

†**श्री दातार** : कुछ अनिवार्य कठिनाइयों के कारण, अनुदान की मंजूरी की सूचना समय पर नहीं दी जा सकी थी। परन्तु फिर भी, मैं समझता हूं कि कुछ धन राशि वास्तव में वितरित की जा चुकी है।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या सरकार का ध्यान अंदमान में प्रकाशित होने वाले इस पाक्षिक पत्र की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अंदमान के लिये मंजूर की गई सम्पूर्ण धन राशि को अभी तक वितरित नहीं किया गया है और जो भी थोड़ी बहुत धन राशि वितरित की गई है वह बहुत ही बुरे ढंग से वितरित की गई है।

†**श्री दातार** : सरकार का ध्यान **हमारी आवाज़** की ओर आकृष्ट किया गया है; संभवत: यह वही पत्र है जिसकी ओर माननीय सदस्य संकेत कर रहे हैं। सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है। परन्तु मैं समझता हूं कि इस धन राशि के कुछ भाग का पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : मंजूर की गई इस धन राशि के कितने भाग का इस्तेमाल किया जा चुका है ?

†**श्री दातार** : इस समय यह सूचना मेरे पास नहीं है।

विदेशी धर्म प्रचारक

*२१४४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंच महाल ज़िले के भील आदिम जाति क्षेत्र में विदेशी धर्म प्रचारक कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा उनके द्वारा वहाँ पर कितनी संस्थाएं चलाई जा रही हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). बम्बई राज्य में कोई "भील आदिम जाति क्षेत्र" नहीं है किन्तु पंच महाल ज़िले में कुछ अनुसूचित क्षेत्र हैं जिनमें अधिकतर भील बसे हुए हैं। इन क्षेत्रों में तीन आइरिश मिशनरियां और आठ शिक्षा संस्थाएं हैं जो कि आइरिश प्रेसबिटेरियन मिशन द्वारा चलाई जा रही हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : इसमें कितनी सहायता बाहर से आती है ?

श्री दातार : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या नागपुर से **इनक्वायरी** नाम का कोई अंग्रेजी पत्र प्रकाशित किया जाता है और क्या यह पत्र भारत सरकर के विरुद्ध कोई आन्दोलनात्मक प्रचार कर रहा है ? यदि हां, तो इस प्रकार के प्रचार को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

†**श्री दातार** : यह एक सामान्य प्रश्न है, परन्तु मैं यह कह सकता कि हूं सरकार को ज्ञात है कि **इनक्वायरी** नाम का एक पत्र नागपुर से प्रकाशित किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया

†*२१४९. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश की समस्त बैंकों से माल, सोने-चाँदी, अंशों और ऋण पत्रों पर उनके द्वारा दी गई पेशगी के सम्बन्ध में पाक्षिक प्रतिवेदन देने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) जी हां, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया एक परिपत्र सभी बैंकों को नहीं, वरन् सभी अनुसूचित बैंकों और दो महत्त्वपूर्ण अननुसूचित बैंकों को भेजा गया था ।

(ख) यह परिपत्र, पहले ही, मार्च, १९५० में जारी किये गये एक दूसरे परिपत्र के, जिसमें बैंकों से विशिष्ट सामानों और सोने चाँदी पर दी गई पेशगी के सम्बन्ध में मासिक विवरण रिजर्व बैंक के पास भेजने को कहा गया था, स्थान पर जारी किया गया था । अब यह सूचना पक्षिक रूप से और अधिक ब्योरेवार देने के लिये कहा गया है जिससे कि रिजर्व बैंक आवश्यक सामानों, सोने चाँदी और समन्यायों के व्यापार में पूंजी लगाने के लिये बैंकों द्वारा दी जाने वाली छूट पर और अधिक निगरानी रख सके और अनुचित सट्टेबाजी की प्रवत्ति को रोकने के लिये उचित कार्यवाही कर सके ।

†**श्री बंसल** : यह अन्तिम परिपत्र कब जारी किया गया था, और क्या इस परिपत्र के जारी किये जाने के बाद से रिजर्व बैंक को इन सामानों और सोने चाँदो पर दो गई किसी भी पेशगी के कोई विवरण प्राप्त हुए हैं ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : यह परिपत्र १८ अप्रैल को जारी किया गया था और विवरण शायद अभी रिजर्व बैंक में न पहुँचे हों । वह अगले मास में किसी समय रिज़र्व बैंक में पहुँचेंगे ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : खाद्यान्नों के मूल्य में हुई वृद्धि की दृष्टि से, क्या सरकार इस स्टॉक को अर्जित करने की कोई प्रस्थापना करती है, और क्या इसी प्रयोजन के लिये सरकार को इस सूचना की आवश्यकता है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं यह कुछ सामानों पर विशेष रूप से कृषि-सामानों पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली पेशगी पर नियंत्रण रखने के लिये है । हाल ही में, यह देखा गया है कि पेशगी दी गई रक़म १०० करोड़ रुपयों से भी अधिक बढ़ गई है और चावल जैसे कृषि सामानों पर तो बैंकों द्वारा दी गई पेशगी में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है । इसलिये इस बात का संदेह किया जाता है कि संभव है कि कुछ संचय और सट्टेबाजी की जा रही है । इन सब बातों को रोकने के लिये ही यह परिपत्र जारी किया गया है ।

†**श्री बंसल** : क्या इसका उद्देश्य संचय को रोकना है अथवा साधारण विपणन के लिये बैंकों द्वारा सामान्यतया दी जाने वाली पेशगी में बाधा डालना है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : यह साधारण विपणन के लिये बैंकों द्वारा सामान्यतया दी जाने वाली पेशगी में बाधा डालने के लिये नहीं है । यह सट्टेबाजी के उद्देश्य से किये जाने वाले संचय को रोकने के लिये ही है ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या इन बैंकों से यह सूचना देने को कह कर, सरकार इन बैंकों को ऐसा कोई निदेश जारी करने का विचार कर रही है जिससे कि इनको सट्टेबाजी के उद्देश्य से पेशगी ऋण देने से रोका जा सके ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : रिजर्व बैंक को सूचना प्राप्त होन के बाद ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी यदि निदेश जारी करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, तो रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राथमिक शिक्षा

†*२१५०. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण भारत में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू करने के उद्देश्य से किसी कर अथवा उपकर लगाने के प्रश्न पर राज्यों से परामर्श किया जा रहा था; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों से किस प्रकार का प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) :** (क) राज्य सरकारों का ध्यान योजना आयोग की इस प्रस्थापना की ओर, कि शिक्षा सम्बन्धी कुछ प्रयोजनों के लिये शिक्षा-उपकर लगाया जाये, आकृष्ट किया गया है ।

(ख) अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि राज्य सरकारें किस सीमा तक इस प्रस्थापना को लागू कर सकेंगी ।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** क्या इस परिपत्र में उस उपकर की लगभग राशि का, जो लगाया जाने वाला है, संकेत किया गया है, और यदि हां, तो वह लगभग राशि कितनी है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली :** यह उपकर लचकदार होगा । मैं नहीं समझता हूं कि हम कोई कड़ा अथवा कठोर नियम निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों में अन्तर है ।

†**श्री कामत :** इस सम्बन्ध में दिये गये स्पष्ट संवैधानिक निदेश को दृष्टि में रखते हुए, कि संविधान के लागू किये जाने के दस वर्ष के भीतर निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उपबन्ध किया जाये, और इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि दस वर्ष की इस अवधि का दो तिहाई भाग व्यतीत हो चुका है, क्या मंत्री महोदय लोक-सभा को यह बताने की स्थिति में हैं कि क्या दो तिहाई कार्य किया जा चुका है, और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कुल कितना कार्य किया गया है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली :** इस सम्बन्ध में सरकार अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूर्णतया जागरूक है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, मुझे आशा है कि ८ से ११ तक की आयु वर्ग के ६२ प्रतिशत बच्चे स्कूलों में होंगे । परन्तु मुझे भय है, कि अपने सीमित संसाधनों के कारण संवैधानिक निदेश को पूरा करना सम्भव न हो । परन्तु सरकार प्रत्येक सम्भव प्रयास कर रही है । इसी दृष्टि से हमने राज्य सरकारों से भी संविधान के इस निदेश को कार्यान्वित करने के लिये समस्त संभव संसाधनों का पता लगाने को कहा है । इस संवैधानिक निदेश के अतिरिक्त, जिसमें कहा गया है कि राज्य प्रयास करेगा . . . आदि, हम यह महसूस करते हैं कि इस सम्बन्ध में सरकार का नैतिक उत्तरदायित्व भी है ।

†**श्री पुन्नूस :** उन राज्यों के क्या नाम हैं जहाँ इस समय निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाती है और क्या यह उपकर उन राज्यों में भी लगाया जायेगा ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली :** कुछ राज्यों में ऐसे सीमित क्षेत्र हैं जिनमें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रयोग किया जा रहा है । परन्तु मैं ऐसे किसी राज्य के सम्बन्ध में नहीं जानता हूं जिसमें समस्त राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हो । इसके सम्बन्ध में मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री पुन्नूस :** क्या इस उपकर को उन राज्यों में भी लगाने का विचार है । जिसमें काफी हद तक व्यवस्था वर्त्तमान हैं ?

डा० के० एल० श्रीमाली : यह एक ऐसा मामला है जिसका निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है । यह हमारे निदेश देने की बात नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बूबराघस्वामी** : क्या सरकार ने देशभर में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने में होने वाले व्यय का कोई प्राक्कलन तैयार किया है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : कुछ स्थूल प्राक्कलन हैं ।

†**श्री बूबराघस्वामी** : प्राक्कलन की राशि कितनी है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : सरकार द्वारा अनेक समितियाँ नियुक्त की गई हैं। पहले सार्जेंट समिति थी, फिर खेर-समिति द्वारा इस प्रश्न की पूरे तौर पर जाँच की गई । प्राक्कलन मौजूद हैं ।

†**श्री बूबराघस्वामी** : मैं कुल राशि जानना चाहता था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री चाहते हैं कि माननीय सदस्य इन प्रतिवेदनों को देखें ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : राज्य सरकारों को यह परिपत्र कब भेजा गया था; और क्या कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई थी जिस तक राज्य सरकारों के उत्तर आ जाने चाहिये थे ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : हमने राज्य सरकारों को फरवरी, १९५६ में लिखा था। यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मामला है और राज्य सरकारों को स्वाभाविक रूप से ही इस प्रश्न पर विचार करने में समय लगेगा । अभी उनसे उत्तर पाने की आशा करना समय से पहले की बात है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय उपमंत्री को मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि ऐसे मामलों में जिनमें ऐसे महत्त्वपूर्ण मामले लोक-सभा के समक्ष आयें और यह प्रश्न पूछा जाये कि प्राक्कलन क्या है, तो हमारे पास पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना मौजूद हैं, और यदि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू करने का प्राक्कलित व्यय ज्ञात हो, तो वह उसको लोक-सभा को बता दें । यदि वह ज्ञात न हो तो वह पूर्व सूचना माँग सकते हैं। १० से १५ वर्ष तक की अवधि में अनेक प्रतिवेदन किये गये थे। वह उपयोगी नहीं भी हो सकते हैं ।

†**श्री कामत** : उपमंत्री महोदय ने लोक-सभा को यह बताया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के बाद, अर्थात् १९६१ में, संविधान द्वारा निर्धारित की गई दस वर्ष की अवधि के एक वर्ष के बाद, स्थिति क्या होगी । मैंने यह जानना चाहा था कि यदि ठीक-ठीक नहीं तो लगभग अब तक कितना कार्य किया जा चका है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : मैं यों ही कुछ नहीं कह सकता हूं । मैं समझता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पूरे होने तक ८ से ११ वर्ष तक की आयु वाले स्कूल जाने वाले बच्चों में से ६२ प्रतिशत स्कूलों में होंगे । परन्तु मैं इसी समय पूरे आँकड़े नहीं बता सकता हूं ।

भारत का राज्य बैंक

†*२१५१. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि भारत के राज्य बैंक के लेखे की लेखा परीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक अथवा उनके परामर्श से नियुक्त किये गये किसी लेखा-परीक्षक द्वारा किये जाने का कोई उपबन्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुए हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि वर्त्तमान विधि के उपबन्धों में परिवर्त्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : एक संसदीय समिति की सिफारिश पर १९५२ में भारतीय वित्त निगम अधिनियम, १९४२ में संशोधन करके महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा का उपबन्ध किया गया था। समवाय विधेयक पर लोक-सभा में की गई आलोचना के कारण, इस से मिलता-जुलता एक उपबन्ध सम्मिलित किया गया था। यदि ऐसी बात है, तो राज्य बैंक अधिनियम और भारतीय बीमा निगम विधेयक में ऐसा उपबन्ध क्यों नहीं है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : संसद् में इस विषय पर चर्चा की गई थी परन्तु संसद् ने राज्य बैंक अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं किया। बीमा निगम विधेयक भी शीघ्र ही लोक-सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या महालेखा परीक्षक ने इसके अतिरिक्त अन्य जिन निगमों के बारे में विचार किया जा रहा है उनके सम्बन्ध म सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, और यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री लोक-सभा के लाभार्थ उन टिप्पणियों का सारांश लोक-सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**श्री एम० सी० शाह** : सरकार और नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के मध्य हुआ पत्र-व्यवहार गोपनीय है। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने राज्य बैंक अधिनियम के बारे में अगस्त, १९५५ में वित्त मंत्रालय के राजस्व और व्यय विभाग के सचिव को एक अर्द्ध-सरकारी पत्र लिखा था। हाल ही में उसने बीमा निगम विधेयक में ऐसे किसी खंड का उपबन्ध न किये जाने की ओर निर्देश किया था।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : मेरे माननीय मित्र श्री सी० आर० नरसिंहन् द्वारा ८ तारीख को पूछे गये एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि उन मामलों में जहाँ नई संस्थाएं खोली जाती हैं सरकार महा लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा किये जाने का उपबन्ध करने की प्रस्थापना करती है। और जब वह वर्तमान संस्थाओं का कार्यभार सम्भालती है तो उसने इसका उपबन्ध नहीं किया है। क्या इसी सिद्धान्त पर यह कार्य किया गया है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : हमने बताया है कि साधारणतः सरकार महालेखा परीक्षक से परामर्श करती है, परन्तु जब सरकार यह समझती है कि वर्तमान लेखा-परीक्षा प्रणाली को बदला नहीं जाना चाहिये तो वह परामर्श नहीं करती है। संसद् सर्वोच्च निकाय है और संसद् विधान द्वारा इस बात का निश्चय करती है कि क्या किया जाना चाहिये और क्या नहीं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या राज्य बैंक दर रिज़र्व बैंक पर कोई अधीक्षणात्मक नियन्त्रण रखता है अथवा भारत के राज्य बैंक के लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में इसकी बात का कोई महत्व नहीं है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : भारत का रिज़र्व बैंक भारत सरकार के अनुमोदन से लेखा-परीक्षक नियुक्त करता है।

†**श्री मुरारका** : इंगलैण्ड में ऐसे राष्ट्रीयकृत उद्योगों और ऐसे सार्वजनिक निगमों की लेखा-परीक्षा की जहाँ कि ऐसे निगमों में सार्वजनिक धन काफी मात्रा में विनियोजित किया जाता है, क्या हालत है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : जहाँ तक हमें जानकारी है ब्रिटेन में जहाँ हमारे देश की तरह स्वतन्त्र नियन्त्रक महालेखा परीक्षक हैं और जहाँ एक विस्तृत सार्वजनिक क्षेत्र हैं, राष्ट्रीयकृत उपक्रमों की लेखा-परीक्षा महालेखा परीक्षक के नियन्त्रण में नहीं है न ही उसने उनकी लेखा परीक्षा के किसी अन्तर्निहित अधिकार का दावा किया है।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या यह सच है कि बीमा निगम विधेयक जैसे विधानों में लेखा-परीक्षा का उपबन्ध करने के मामले में नियन्त्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श नहीं किया जा रहा है क्योंकि

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक वित्त निगम के बारे में उसने जो लेखा परीक्षण किया था वह सरकार को पसन्द नहीं आया था ?

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहाँ तक राज्य बैंक अधिनियम का सम्बन्ध था और बीमा निगम विधेयक का सम्बन्ध है, सरकार का विचार था कि वर्तमान लेखा-परीक्षा प्रणाली को बदला न जाये और इसी लिये उसने नियन्त्रक महा-लेखा परीक्षक से परामर्श करना उचित नहीं समझा था ।

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : जब विधेयक पर वाद-विवाद हुआ था तो मैं विधेयक का प्रभारी था मेरे विचार से सुसंगत धारा अधिनियम की धारा ४१ है । जहाँ तक मुझे स्मरण है, इस विषय के कुछ संशोधन थे कि महा लेखापरीक्षक को ऐसा प्राधिकार दिया जाये । परन्तु लोक-सभा ने यह विनिश्चय किया कि क्योंकि राज्य बैंक सब से बड़ा वाणिज्यिक बैंक था, इसलिये यह महालेखा परीक्षक के नियन्त्रण अधीन नहीं होना चाहिये और भारत सरकार के परामर्श से रिजर्व बैंक द्वारा एक सवतन्त्र लेखा-परीक्षक नियुक्त किया जाना चाहिये और वे संशोधन अस्वीकृत कर दिये गये थे ।

†**श्री वेलायुधन** : आजकल महालेखा परीक्षक द्वारा नियन्त्रण अथवा लेखा परीक्षा किये जाने से बचने की प्रवृत्ति पाई जाती है । क्या ऐसा न करने से राज्य बैंक के सम्बन्ध में जनता के विश्वास पर प्रभाव नहीं पड़ता ?

†**श्री एम० सी० शाह** : इससे जनता के विश्वास पर प्रभाव नहीं पड़ता है । संसद् सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न निकाय है और उसी ने इस विधेयक में यह उपबन्ध रखा है ।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन्** : श्री मुरारका के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि ब्रिटेन में स्थिति भिन्न थी । क्या हमारे संविधान की भांति ब्रिटेन के संविधान में भी हमारे जैसा इसी प्रकार का कोई उपबन्ध है जिसमें उसने सरकारी उपक्रमों के सार्वजनिक उत्तरदायित्व के लिये संविधान द्वारा एक विशेष व्यवस्था बनाई है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : माननीय सदस्य को कदाचित कोई भ्रम है । यदि वह अनुच्छेद १४९ को देखें, तो उन्हें पता चलेगा कि संसद् द्वारा एक विधि पारित की जानी है । जब संसद् द्वारा राज्य बैंक विधेयक सम्बन्धी यह अधिनियम पारित किया गया था, तो स्वयं संसद् ने यह विनिश्चय किया था कि यही स्थिति होनी चाहिये ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के उपबन्ध की अनुपस्थिति में, संसद् राज्य बैंक और बीमा निगम इन दोनों संस्थाओं पर किस प्रकार से नियन्त्रण करेगी ?

†**श्री एम० सी० शाह** : बाद में संसद् क्या निर्णय करती है यह तो मैं नहीं जानता परन्तु यह उपबन्ध किया गया है कि लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन लोक-सभा पटल पर रखे जायेंगे । यदि लोक-सभा चाहे तो वह लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा कर सकेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन सब प्रश्नों के बारे में मुझे केवल यही कहना है कि यह बातें उस समय कही जानी चाहियें थीं जब कि उक्त अधिनियम को पारित किया गया था । अधिनियम पारित करने के पश्चात् मंत्री से झगड़ा करने का क्या अर्थ है ?

†**श्री सी० आर नरसिंहन्** : सरकार ने महालेखा परीक्षक का अपवर्जन करने की सामान्य नीति बना ली है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं । यह केवल राज्य बैंक और राज्य बैंक पर नियन्त्रक के प्राधिकार के बारे में ही है ।

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : इस विषय में सदस्यों के संशोधन अस्वीकृत हो गये थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को विधेयक के उपबन्धों का निश्चय प्रश्नकाल में नहीं करना चाहिये । यदि विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका हो, तो उस पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिये । यदि वह पारित किया जाना है, तो वे उसकी प्रतीक्षा करें । प्रश्नकाल इसके लिये उपयुक्त अवसर नहीं है ।

भारतीय प्रशासन सेवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

*२१५३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासन सेवा प्रशिक्षण स्कूल में सामुदायिक विकास योजना सम्बन्धी ज्ञान और अनुभव प्राप्त कराने की वर्तमान व्यवस्था क्या है,

(ख) क्या सामुदायिक विकास प्रशासन के उच्चाधिकारियों से कोई सहायता ली जाती है, और

(ग) यदि हां, तो किस रूप में ?

†**श्री बूबराघस्वामी** : माननीय मंत्री अंग्रेजी में उत्तर दें ।

†**श्री दातार** : मैं अंग्रेजी में उत्तर पढ़ता हूं :

(क) भारतीय प्रशासन सेवा प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण के दौरान में भारतीय प्रशासन सेवा परिवीक्षाधीनों को लगभग दस दिन के लिये नीलोखेड़ी में खंड विकास पदाधिकारियों के प्रशिक्षण केन्द्र से सम्बद्ध किया जाता है जहाँ उन्हें विकास सम्बन्धी सभी प्रकार की गतिविधियों की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है, वे पंजाब और उत्तर प्रदेश के परियोजना क्षेत्रों में भी जाते हैं जहाँ गहन विकास कार्य हो रहा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रशासक समेत, सामुदायिक परियोजना प्रशासन के विभिन्न वरिष्ट पदाधिकारी परिवीक्षाधीनों से वार्ता करते हैं और नीलोखेड़ी प्रशिक्षण केन्द्र के साथ उनको सम्बद्ध करने का कार्यक्रम प्रशिक्षण कर्मचारियों और निकट के सामुदायिक परियोजना के कर्मचारियों के परामर्श से निश्चित किया जाता है ।

†**श्री के० सी० सोधिया** : यह परिवीक्षाधीन इस प्रकार के प्रशिक्षण में जो कालावधि व्यतीत करते हैं उसका कुल कालावधि से क्या अनुपात है ?

†**श्री दातार** : जहाँ तक इस स्कूल में रहते इनके प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, इसके लिये केवल १० दिन आवंटित किय जाते हैं । शेष समय उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल के नियमित पाठ्यक्रम में देना होता है । परन्तु मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि जब यह परिवीक्षाधीन वापस जाते हैं, उन्हें विभिन्न राज्यों में अग्रेतर प्रशिक्षण दिया जाता है । भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती किये गये व्यक्तियों को यहाँ परिवीक्षा समाप्त कर लेने क पश्चात् राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक परियोजनाओं में ग्राम-स्तर कार्यकर्ताओं और खंड विकास पदाधिकारियों के तौर पर एक व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दिया जाता है ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : क्या इन भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षणार्थियों को देहाती लोगों के सम्पर्क में आने और सामुदायिक परियोजनाओं के प्रति उनकी भावनाओं और उनकी आवश्यकताओं को जानने का कोई अवसर दिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : स्वाभाविक है कि उन्हें वहाँ जाकर अपना काम करना पड़ता है। वस्तुतः, उन्हें वास्तविक परियोजना कार्य में भाग लेना पड़ता है और किसी हद तक उन्हें शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। वे देहाती लोगों के घनिष्ट सम्पर्क में आते हैं।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : भारतीय प्रशासनिक सेवा पदाली को वह मनोस्थिति प्रदान करने के लिये जिसकी कि एक व्यापारी को आवश्यकता होती है क्या राजकीय व्यापार और अन्य उपक्रमों की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल में व्यापार प्रबन्ध का व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त कराने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य ने कई विषयों का उल्लेख कर दिया है जिनका प्रशासन से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। उनका सम्बन्ध व्यापार की व्यवस्था आदि से है। इस समय हमारे पाठ्यक्रम प्रशासनिक पक्ष तक ही सीमित हैं।

श्री भक्त दर्शन : जब ये अफ़सर इस विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तब उनको क्या इस आशय की हिदायत दी जाती है कि जब वे गाँवों में जायें, तो भारतीय वेश-भूषा में जायें, क्योंकि प्रायः यह देखने में आता है कि जब हैटेड, कोटेड और बूटेड (टोप, कोट और जूते पहने) लोग गाँवों में जाते हैं, तो वहाँ के लोगों में प्रेम के बजाय भय का संचार होता है ?

†**श्री दातार** : वास्तव में यही किया जा रहा है।

आंध्र में कल्याण विस्तार परियोजनाएं

†*२१५६. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आँध्र में अब तक कितनी कल्याण विस्तार परियोजनायें आरम्भ की गई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने गाँव आते हैं;

(ग) ज़िला कुरनूल (आँध्र) के किन गाँवों में यह परियोजनायें आरम्भ की गई हैं; और

(घ) १९५४–५५ और १९५५–५६ में इन परियोजनाओं पर कितनी धन-राशि व्यय की गई ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) सोलह।

(ख) लगभग ५००।

(ग) कुरनूल परियोजना जिसके केन्द्र खीपादू, येमुगंनूर, गोरन्था, ब्रम्बन कोठुर, कोदानूर, हेमूर और परला में हैं।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-सम्भव शीघ्र लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के खर्च का ब्योरा जिला विकास समितियों के समक्ष रखा जाता है जिनसे संसद् सदस्यों को सम्बद्ध नहीं किया गया है और यह पता नहीं चलता है कि यह राशियां परियोजनाओं में कैसे व्यय की जाती हैं। क्या सरकार किसी ऐसे तरीके के बारे में विचार कर रही है जिसके द्वारा वह संसद् सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त कर सके ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : इन परियोजनाओं का संचालन समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है और इनका सामुदायिक परियोजना प्रशासन अथवा राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा संगठित परियोजानओं से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। परियोजना परिपालन समितियाँ इन परियोजनाओं की देख-भाल करती हैं।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : जबकि करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं और गैर-सरकारी संस्थाओं को बड़ी-बड़ी धन राशियाँ मंजूर की जा रही हैं, सरकार ने यह देखने के लिये कि अनुदान के रूप में दी

†मूल अंग्रेजी में

गई राशियों का इन ग़ैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है, क्या कार्यवाही की है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : एक परियोजना परिपालन समिति बनाई गई है, जो कि राज्य समाज कल्याण बोर्ड के परामर्श से सारे कार्यक्रम की देख भाल करती है ।

†**श्री गार्डिलिगन गौड़** : सरकार संसद् सदस्यों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने के बारे में क्यों विचार नहीं करती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सरकार को लिखें । यह तो एक सुझाव है ।

†**डा० रामा राव** : इन परियोजनाओं को कब तक वित्त दिया जायेगा । क्या तीन वर्ष के पश्चात् यह बन्द कर दिया जायेगा या जारी रखा जायेगा ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : उन्हें आगामी पंचवर्षीय योजना में जारी रखा जायेगा ।

†**श्री बूबराघस्वामी** : क्या यह सच है कि यह समाज कल्याण बोर्ड पर नगरों और कस्बों की कुछ फैशनपरस्त महिलाओं ने अपना एकाधिकार जमाया हुआ है और ग्रामों के लिये वे कोई उपयोगी कार्य नहीं कर रही हैं ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : फैशनपरस्त महिलायें भी उपयोगी कार्य और सेवा कर सकती हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या २१५७ अनुपस्थित ।

†**डा० रामा राव** : क्या मैं प्रश्न संख्या २१३८ पूछ सकता हूँ ? अभी समय है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी को अधिकृत नहीं किया गया है । जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे वे खड़े हो कर बता सकते हैं कि वे कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

†**श्री भक्त दर्शन** : २१२६ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य प्राधिकृत हैं ?

†**श्री भक्त दर्शन** : मुझे सामान्य प्राधिकार प्राप्त है ।

†**श्री सी० डी० पाँडे** : क्या मुझे प्रश्न संख्या २१५२ पूछने की अनुज्ञा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानता हूँ कि श्री जोशी ने श्री भक्त दर्शन को प्राधिकार दिया था । प्राधिकार पत्र यहाँ रखा गया था ।

†**श्री त्यागी** : उनका कहना है कि उन्हें स्थायी प्रतिपत्री दी गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई बात नहीं । यह निर्णय मुझे करना है कि वह स्थायी है या नहीं ।

†**श्री ए० एम० थामस** : माननीय मंत्री उत्तर देने से मुंह क्यों चुराते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री भक्त दर्शन प्रश्न संख्या २१२६ पूछें ।

सहायक विमान बल स्क्वैड्रन

†*२१२६. **श्री भक्त दर्शन (श्री कृष्णाचार्य जोशी की ओर से)** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में सहायक विमान बल स्क्वैड्रन में भर्ती के लिये कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) चुने गये व्यक्तियों की कुल संख्या ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) ७१७

(ख) ३०

श्री भक्त दर्शन : जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था क्या वह इस संख्या से पूरा हो जाता है और अगर नहीं, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री त्यागी : यह निश्चय किया गया था कि यह स्क्वैड्रन दिल्ली, बम्बई और मद्रास, इन तीन जगहों पर कायम किया जायेगा । जो अंक मैं ने दिये हैं, वे दिल्ली की बाबत हैं ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि प्रश्न संख्या २१२८ का उत्तर दिया जाये ? मैं माननीय मंत्री से एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दिया जा चुका है । माननीय सदस्य उस समय उपस्थित नहीं थे, मैं क्या कर सकता हूँ ?

आदिम जाति क्षेत्र

†*२१२९. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी भारत के आदिम जाति के मुखियों ने हाल ही में नई दिल्ली में प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी और राज्य विधान-सभा और संसद् में आदिम जाति क्षेत्रों को अधिक प्रतिनिधित्व दिये जाने पर आग्रह किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). जी, हाँ; इस मामले की जाँच की गई थी और यह निर्णय किया गया कि उनको अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिये संविधान में संशोधन करने का कोई औचित्य नहीं था ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या मैं जान सकता हूँ कि आदिम जनों में व्याप्त असंतोष को ध्यान में रखते हुए क्या इस प्रश्न पर सरकार द्वारा पुनः विचार किया जायेगा और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ?

†**श्री दातार** : यह प्रश्न असंतोष का नहीं है । प्रश्न है उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने का । संविधान के अनुच्छेद ३३२ के खंड ४ के अनुसार, उन्हें १४ स्थान प्राप्त करने का अधिकार था । वास्तव में उन्हें १७ स्थान दिये गये हैं । अब वह कुल मिलाकर २९ स्थानों की माँग कर रहे हैं ।

†**डा० रामा राव** : मैं अनुरोध करता हूँ कि प्रश्न संख्या २१३८ का उत्तर दिया जाये । मुझे कोई प्राधिकार नहीं दिया गया है। किन्तु मेरा आप से अनुरोध है कि आप कृपा कर के इस प्रश्न का उत्तर दिये जाने की अनुमति दें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी प्रश्नों के समाप्त हो जाने पर मैं इस बात पर विचार करूँगा ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : क्या मैं प्रश्न संख्या २१५२ का उत्तर प्राप्त कर सकता हूँ ? मेरे पास सामान्य या विशिष्ट कोई प्राधिकार नहीं हैं ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : मुझे भी उक्त प्रश्न में दिलचस्पी है ।

†**श्रीमती ए० काले** : क्या मैं अनुरोध कर सकती हूँ कि प्रश्न संख्या २१४१ का उत्तर दिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले मुझे उन माननीय सदस्यों को मौका देने दीजिये जो उनके प्रश्न जब यहां पूछे गये थे तब अनुपस्थित थे किन्तु अब उपस्थित हैं । इसके बाद मैं अन्य माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बुनियादी और प्राथमिक स्कूल

†*२१४५. **श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में १९५५–५६ में नये खोले गये बुनियादी स्कूलों की और ऐसे प्राथमिक स्कूलों की जिन्हें कि बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित किया गया है, संख्या क्या है; और

(ख) १९५५–५६ में जिन शिक्षकों ने बुनियादी शिक्षा में अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है उनकी संख्या कितनी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) और (ख). इस मामले का सम्बन्ध मुख्यतः राज्य सरकारों से है ?

†**श्री मादिया गौडा** : क्या मैं जान सकता हूँ कि यद्यपि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिये अनुदान दे रही है तथापि क्या उसे राज्यों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : जो जानकारी माननीय सदस्य प्राप्त करना चाहते हैं वह वर्ष १९५५-५६ के बारे में है। हमें अभी तक राज्य सरकारों से विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

†**डा० रामा राव** : श्रीमान एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि प्रश्न को आपने स्वीकार किया है। किन्तु माननीय मंत्री कहते हैं कि वह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सम्बन्ध मुख्यतः राज्य सरकार से है। यही प्रधान उत्तर है जो उन्होंने दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यद्यपि ऐसे हज़ारों प्रश्नों की ओर भी मेरा ध्यान आकर्षित किया जाता है तथापि एक-दो प्रश्न छूट जाते हैं और सभा में प्रस्तुत कर दिये जाते हैं मुझे भी यह अधिकार होना चाहिये कि जब कभी मेरा ध्यान ऐसे प्रश्न की ओर आकर्षित किया जाये तो मैं उसे भूतलक्षी प्रभाव से अस्वीकृत कर सकूं।

†**श्री पुन्नूस** : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने उन शिक्षकों के लिये, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, कोई वेतन क्रम निर्धारित किये हैं और यदि हाँ, तो क्या उन वेतन क्रमों का सभी राज्यों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : केन्द्रीय सरकार के अपने वेतन क्रम हैं, और यह भी सच है कि सभी राज्य सरकारों द्वारा इन वेतनक्रमों के अनुसार शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। किन्तु मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य इस बात को समझते हैं कि यह उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकार का है।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारों को इन बुनियादी स्कूलों में कोई विश्वास नहीं है, और इसलिये वह अपने राज्यों में इन बुनियादी स्कूलों को बढ़ाव देने के लिये तैयार नहीं हैं ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : नहीं, यह सच नहीं है। केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड में इस प्रश्न पर अनेक बार चर्चा की गई है, और सर्व सम्मति से यह स्वीकार किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा का ढाँचा बुनियादी शिक्षा होगी।

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या मैं अनुरोध कर सकता हूँ कि प्रश्न संख्या २१३५ का उत्तर दिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस को बाद में लूंगा।

मोटर गाड़ी के नीचे के ढांचों का आयत

†*२१४६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में आयतित मोटर गाड़ी के नीचे के ढांचों की कुल संख्या क्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनका मूल्य लगभग कितना है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूँ प्रतिरक्षा मंत्रालय को अपेक्षित मोटर गाड़ियों और मालवाहक ट्रकों के नीचे के ढांचों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री त्यागी** : माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध १९५५–५६ में आयात किये गये मोटर गाड़ी के नीचे के ढाँचों की संख्या से है और हमने कोई आयात नहीं किया है । मैं नहीं जानता कि इस प्रश्न के बारे में क्या अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूँ कि चूंकि हम अपने प्रतिरक्षा बलों के लिये मालवाहक ट्रकों का आयात नहीं कर रहे हैं क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय को अपेक्षित मोटर वाहनों मालवाहक ट्रकों और मोटर लारियों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सम्बन्ध में क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय में कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री त्यागी** : माननीय सदस्य का यह प्रश्न मुख्य प्रश्न की सीमा से बाहर है । किन्तु चूंकि आपने इसकी अनुज्ञा दी है इसलिये मैं.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री संभवत: यह कह सकते हैं कि वाहनों का कोई आयात नहीं किया गया है क्योंकि उनको यहीं बनाने का उपबन्ध किया गया है ।

†**श्री त्यागी** : उनके आयात न किये जाने का केवल यही एक कारण नहीं है किन्तु उस वर्ष में आयात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्ट है कि माननीय सदस्य सरदार इकबाल सिंह को कोई और प्रश्न नहीं पूछना है ।

वायुसेना प्रतिरक्षा रिजर्व (संचिति)

†*२१४८. **श्री भक्त दर्शन (श्री कृष्णाचार्य जोशी की ओर से)** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षित तथा सहायक वायुसेना अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत वायुसेना प्रतिरक्षा रिज़र्व में कर्मचारियों का पंजीयन प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कितने व्यक्तियों को पंजीबद्ध किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) और (ख). पंजीयन के लिये आवेदनपत्र प्राप्त किये जा रहे हैं। आवेदनपत्रों की जाँच करने के बाद पंजीयन किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : जिन लोगों को रिजर्व में भेजा जा रहा है उनको किन शर्तों पर भेजा जा रहा है ? क्या इन पर वही शर्तें लागू होंगी जो कि साधारण पैदल सेना के लिये लागू होती हैं ?

श्री त्यागी : यह रिज़र्व पार्लियामेंट (संसद्) के ऐक्ट (अधिनियम) के मुताबिक बनाया जा रहा है जिसमें कहा गया था कि जो जो लोग हवाई जहाज़ को उड़ाने की और ग्राउंड वर्क की क्वालीफिकेशन (अर्हता) रखते हैं उन तमाम को कम्पल्सरीली रजिस्टर (अनिवार्यत: पंजीबद्ध) किया जायेगा । उस कानून के मुताबिक सब को एक निश्चित तिथि पर अपनी अपनी खबर देनी पड़ती है । उनकी एप्लीकेशन्स (आवेदनपत्र) आ गई हैं और वह रजिस्टर होंगी । जब जरूरत होगी तब उनको बुलाया जायेगा अन्यथा जहाँ वह काम कर रहे हैं वहीं काम करते रहेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन :** रिजर्व में इनको कितना भत्ता दिया जायेगा क्या यह निश्चित किया गया है ?

†**श्री त्यागी :** अभी यह मामला तै नहीं हुआ है ।

†**श्री डी० सी० पांडे :** क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि प्रश्न संख्या २१५२ का उत्तर दिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस क्रम की समाप्ति के बाद मैं उसे लूंगा ।

चूने के पत्थर के निक्षेप

†*२१५४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में चूने के पत्थर के ऐसे निक्षेप पाये गये हैं जिनसे कि ऊंची किस्म का सीमेन्ट बनाया जा सकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी मात्रा के उपलब्ध हो सकने की संभावना है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ३**]

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या पंजाब में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में सीमेन्ट बनाने योग्य चूने के पत्थर की उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करने के लिये उक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का अनुरोध पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से किया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** कुछ क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के सम्बन्ध में पंजाब सरकार से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं । मेरे पास उन क्षेत्रों के नामों की सूची यहाँ नहीं है । किन्तु उन सभी सुझावों पर हम विचार कर रहे हैं ।

विज्ञान मंदिर

†*२१५५. **श्री मादिया गौडा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान मन्दिरों और सामुदायिक परियोजना केन्द्रों अथवा समाज शिक्षा केन्द्रों में क्या अंतर है;

(ख) इन विज्ञान मंदिरों में से प्रत्येक का प्रधान अधिकारी कौन होगा तथा उसकी अर्हताएं और प्रशिक्षण क्या होगा;

(ग) क्या इस मामले के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये कोई समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ४**]

†**श्री मादिया गौडा :** क्या मैं जान सकता हूँ कि समूचा देश कितने वर्षों में विज्ञान मन्दिर योजना के अन्तर्गत आ जायेगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** अगले पांच वर्षों में १२० विज्ञान मंदिरों की स्थापना करने की हमारी एक योजना है । यदि योजना सफल होती है, और हम उससे लाभान्वित होते हैं, तो निश्चय ही तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम और विज्ञान मंदिर स्थापित करेंगे ।

---

†मुल अंग्रेजी में

†**श्री मादिया गौडा :** क्या मै जान सकता हूं कि अब तक कितने विज्ञान मंदिर खोले गये है और वह किन स्थानों में खोले गये हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** तीन खोले गये हैं और दो खोले जा रहे हैं। अब तक खोले गये तीन विज्ञान मंदिरों में से एक दिल्ली के निकट कापासेरा में है, दूसरा मद्रास के निकट है और तीसरा उत्तर प्रदेश में है। जहां तक खोले जाने वाले दो विज्ञान मंदिरों का सम्बन्ध है, एक कोयम्बटूर में होगा तथा दूसरा त्रावनकोर-कोचीन में ।

†**श्री बूबराव स्वामी :** क्या मैं मद्रास राज्य के उस स्थान का नाम जान सकता हूं जहां एक विज्ञान मंदिर खोला गया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** उस स्थान का नाम मुझे इस समय स्मरण नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

†**श्री चट्टोपाध्याय :** मैं आप से अनुरोध कर सकता हूं कि प्रश्न संख्या २१५२ का उत्तर दिया जाये । वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका सम्बन्ध स्वर्ण से है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे खेद है । प्रश्नकाल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस अधिकारी

†*२१२७. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा १ अप्रैल, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक देश के केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के जिन अधिकारियों के विरुद्ध आनुशासिक कार्यवाही की गई है उनकी संख्या कितनी है;

(ख) आनुशासिक कार्यवाही किये जाने के क्या कारण थे; और

(ग) ऐसे कितने मामले इस समय लम्बित हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार में कल्याण विस्तार परियोजनायें

†*२१३२. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य में वर्ष १९५५–५६ में खोली गई कल्याण विस्तार परियोजनाओं की संख्या क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) :** बारह ।

अनुसूचित आदिम जातियो के लिये बस्तियां

†*२१३४. **श्री बालकृष्णनन् :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलगिरी जिले में और मदुरा जिले के कोडाईकनाल तालुक में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियाँ बसाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां। नीलगिरी जिले में अनुसूचित आदिम जातियों क लिय बस्तियां बसाने की कुछ योजनाएं हैं। मदुरा जिले में कोई अनुसूचित जातियां नहीं हैं।

(ख) नीलगिरी जिले में अनुसूचित आदिम जातियों केलिये प्रस्तावित योजनाओं का ब्योरा दिखाने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ५]**

त्रिपुरा में कोयले की खान

†*२१३५. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की कोयले की खान को चालू करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यह काम वहां किस अभिकरण द्वारा शुरू किया गया है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के०डी० मालवीय)** : (क) से (ग). अभी तक त्रिपुरा में कोयल की कोई निक्षेप नहीं पाये गये हैं। लिगनाइट की दो पतली तहों का पता लगाया गया है और भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा इन की जाँच की जा रही है।

त्रिपुरा की आदिम जाति भाषा

†*२१३६. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६–५७ में त्रिपुरा की आदिम जाति भाषा को विकसित करने के लिये कोई धन राशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशि आवंटित की गई है; और

(ग) यह धन कैसे व्यय किया जायगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

तेल कम्पनी

†*२१३८. **श्री अमजद अली** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम में तेल की खोज करने के लिये रूपी कम्पनी बनाने के सम्बन्ध में भारत सरकार और आसाम ऑयल कम्पनी के बीच जो बातचीत हुई थी उसमें आसाम सरकार भी प्रतिनिधित थी ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : जी नहीं; इरादा यह था कि जब कुछ प्रारम्भिक मामले तय हो जायें, तब आसाम सरकार को इस बातचीत से सम्बद्ध किया जाये।

त्रावनकोर-कोचीन के मछवे

†*२१४०. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावणकोर-कोचीन समुद्र तट के मछवे राज्य में सबसे कम शिक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह भी सच है कि तटीय ग्रामों में जहां मछुवों की बहु संख्या है; सफाई की हालत बहुत खराब है ?

†**गृह-काय मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

विदेशों में भारतीय मिशन

†*२१४१. **श्री इब्राहीम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में हमारे मिशन उन निजी भारतीय विद्यार्थियों को जो वहां पढ़ने जाते हैं क्या सुविधाएं देते हैं; और

(ख) ऐसे विद्यार्थियों के कल्याण के लिये भारत सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जाती है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ६**]

उड़न तश्तरियां

†*२१४७. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ सितम्बर, १९५५ से ३० अप्रैल, १९५६ तक भारत में कितनी उड़न तश्तरियां देखी गई हैं;

(ख) उन स्थानों क नाम क्या हैं और प्रत्येक तश्तरी कितनी देर तक दिखाई देती रही; और

(ग) क्या उन देशों का पता लगाया गया है, जहां से ये आई थीं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) से (ग). सरकार को इस विषय में कोई अधिकृत जानकारी प्राप्त नहीं है ।

सोना

†*२१५२. **श्री इब्राहीम** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में भारत में कितना स्वर्ण निकाला गया;

(ख) उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) अस्थायी अनुमानों के अनुसार, १९५५ में भारत में २११४६२ औंस स्वर्ण निकाला गया ।

(ख) बताया गया है कि उत्पादन में कमी हो जाने के वास्तविक कारण मालूम नहीं हैं । सम्भवत: इस कमी के कारण खानों की अधिक गहराई, खुदाई की कठिनाइयां, श्रमिकों की कम उत्पादन क्षमता, उत्पादन व्यय में वृद्धि और कोलार की स्वर्ण की चार खानों में से एक का जुलाई १९५३ से बन्द कर दिया जाना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा निर्माण कार्य

†*२१५७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ और १९५५–५६ अनुमान तैयार किये बिना और टेक्निकल मंजरी के बिना कितने निर्माण कार्य आरम्भ किये गये;

(ख) क्या यह निर्माण कार्य समय पर समाप्त हो गये थे; और

(ग) इस प्रकार की अनियमिताओं को फिर होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ग). यह जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है और इकट्ठी की जा रही है । इसे यथासम्भव शीघ्र लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

नाटक गोष्ठी

†१९६५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मार्च १९५६ में नाटक गोष्ठी द्वारा की गई सिफ़ारिशें प्राप्त हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं । गोष्ठी संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित की गई थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय सचिवालय

†१९६६. **श्री० पी० त्रिपाठी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनर्गठन और पुनर्बलन) योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सचिवालय और इसके सम्बद्ध कार्यालयों में असिस्टैंटों के पदों के लिये असिस्टैंटों की नियमित अस्थायी पदाली बना दी गई है;

(ख) उक्त पदाली के गठन के लिये आदेश कब जारी किये गये थे;

(ग) उक्त पदाली कब से स्थापित की गई थी;

(घ) क्या यह सच है कि स्थायी और अस्थायी असिस्टैंटों की किसी विशिष्ट कार्यालय या मंत्रालय में किन्हीं विशिष्ट पदों पर नियुक्ति नहीं की गई है किन्तु इस बात के अनपेक्ष कि ये पद अस्थायी हैं या स्थायी और इन पदों पर काम करने वाले व्यक्ति अस्थायी या स्थायी असिस्टैंट्स हैं, उन्हें किसी भी कार्यालय या मंत्रालय में उस कार्यालय या मंत्रालय में पदों की अपेक्षित संख्या को ध्यान में रख कर काम करने दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस बात की अनुमति है कि एक अस्थायी असिस्टैंट को किसी स्थायी पद पर और एक स्थायी असिस्टैंट को किसी अस्थायी पद पर काम करने दिया जाय ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) नियमित अस्थायी संस्थापन के गठन के लिए निदेशों को अन्तिम रूप दे कर अगस्त १९५२ में जारी किया गया था ।

(ग) १ जुलाई, १९५२ से;

(घ) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) जी हां । केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी ४ के पदों की स्थायी संख्या निश्चित करने में हमने कुछ ऐसे पदों के अनुपात को ध्यान में रखा है जिनकी मंजूरी तो अस्थायी आधार पर दी गई है किन्तु जिनके अनिश्चित समय तक चालू रहने की आशा है । स्थायी और अस्थायी पदों की संख्या प्रत्येक मंत्रालय/कार्यालय के संस्थापन में मंजूर किये गये पदों की संख्या पर निर्भर है और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्रेणी ४ में स्थायीकरण केन्द्रीय आधार पर उस श्रेणी के पदों की स्थायी संख्या को देखकर किया जाता है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल

†१९६७. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल, दिल्ली के प्रिंसिपल के कार्यालय को भारत सरकार सचिवालय का एक सम्बद्ध कार्यालय समझा जाता है;

(ख) यदि हां तो, उस कार्यालय के और कौन-कौन से पदों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस सेवा के गठन के समय सम्मिलित किया गया था;

(ग) इस सेवा के गठन के समय इनमें से कौन से पद अस्थायी थे और कौन से स्थायी; और

(घ) उस कार्यालय के कौन-कौन सें स्थायी और अस्थायी पद इस समय केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सम्मिलित हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां ।

(ख) प्रशासनिक पदाधिकारी (श्रेणी ३) का एक पद और एक सहायक का पद ।

(बाद में प्रशासनिक पदाधिकारी के पद को केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी २ का पद बना दिया गया था और इसे २५ अप्रैल, १९५६ से केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सम्मिलित कर दिया गया था)

(ग) दोनों पद अस्थायी हैं ।

(घ) जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी १–४ तक का सम्बन्ध है, स्थिति में कोई अन्तर नहीं हुआ है ।

श्रेणी ४ के पदाधिकारी

†१९६८. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर १९५५ में हुए असिस्टैंट ग्रेड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिये गये हैं और नियुक्तियां कर दी गई हैं;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं; और

(ग) नियुक्तियां किस सिद्धांत के अनुसार की जाती हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) नियुक्तियां उम्मेदवारों की योग्यता और उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को देख कर गुणों के आधार पर की जायेगी । इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर १०० रिक्तियों को भरने का विचार है इनमें से २५ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मेदवारों के लिये सुरक्षित हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की हड़ताल

†१९६९. **श्री राम कृष्ण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ से, प्रतिरक्षा मंत्रालय की "छंटनी नीति" के विरुद्ध २१ मई, १९५६ से हड़ताल करने की सूचना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अस्पृश्यता निवारण

†१९७०. **श्री राम कृष्ण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में पैप्सू को अस्पृश्यता निवारण और गन्दी बस्तियों को हटाने के प्रयोजन के लिये पृथक-पृथक कितनी धन राशि की सहायता दी गई है;

(ख) यह राशि किस तरह व्यय की गई है;

(ग) क्या कोई राशि बच गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) १९५५–५६ में अस्पृश्यता निवारण के लिये पैप्सू सरकार को १५०,००० रुपये की मंजूरी दी गई थी । गन्दी बस्तियां हटाने के लिये दी गई सहायता के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

†१९७१. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वित्त** मंत्री पैप्सू के उन ग्रामों की संख्या और नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्हें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम के दसवें दौर के लिये चुना गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :** राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम के दसवें (चालू) दौर के लिये पैप्सू में कुछ ७६ ग्राम चुने गये हैं ।

इन ग्रामों के नाम दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ७]**

छावनियां

१९७२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजन के समय कितनी छावनियां भारत संघ के हिस्से में आईं;

(ख) किन स्थानों पर स्वतन्त्रता के बाद नई छावनियां स्थापित की गई; और

(ग) किन स्थानों पर नई छावनियां स्थापित करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ५७ ।

(ख) देश की स्वतन्त्रता के बाद कोई नई छावनी नहीं स्थापित की गई ह । किन्तु भारत सरकार ने सन १९५४ और १९५५ में जम्मू, बादामी बाग तथा मोरार छावनियों के प्रशासन का काम सम्बन्धित राज्य सरकारों से संभाल लिया है।

(ग) इस समय कोई नई छावनी स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

यौगिक अभ्यास

†१९७३ **श्री एस० सी० सामंत :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस मार्सेल में अन्तर्राष्ट्रीय "मस्तिष्क की विद्युत गति गोष्ठी" में भारत के प्रतिनिधि थे;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में यौगिक अभ्यास मे "मस्तिष्क की विद्युत गति" पर एक पत्र वहाँ प्रस्तुत किया गया था;

(ग) यदि हाँ तो वह किसने प्रस्तुत किया था;

(घ) सम्मेलन में विख्यात वैज्ञानिकों ने इस पत्र का किस प्रकार स्वागत किया; और

(ङ) क्या ध्यानावस्था और समाधि की स्थिति में मस्तिष्क, हृदय और पेशियों के बहु बिन्दु रेख भारत की प्रयोगशालाओं में से किसी में अभिलिखित किये गये हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) :** (क) हाँ, श्रीमान् ।

(ख) हाँ श्रीमान् ।

(ग) कलकत्ता विश्वविद्यालय के शरीर विज्ञान के प्राध्यापक डा० एन० एन० दास ।

(घ) ऐसा समाचार है कि इस का खूब स्वागत हुआ है ।

(ङ) इसका अध्ययन केवल्यधाम श्रीमान् माधव योग मन्दिर समिति लोनावाला, पूना में किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल

†१९७४. **श्री वेलायुधन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में राष्ट्रीय सेना छात्र दलों पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) राज्यवार कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में लगभग ४ करोड़ रुपये व्यय किये ।

(ख) यह जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रखी जायेगी ।

सेना कर्मचारी वर्ग

†१९७५. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से भारत में गोली के जख्मों से कितने सैनिक कर्मचारी मरे;

(ख) उसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) से (ग). यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के ठेके

१९७६. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कैंटीनों को चलाने के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय में १ जनवरी, १९५३ से किस किस प्रकार के ठेके प्रचलित हैं ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत उन कैंटीनों की ओर है जो कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (आई) के संरक्षण में चल रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब अधिकतर कैंटीनें स्वयं यूनिटों द्वारा ही चलाई जाती हैं। केवल थोड़ी सी कैंटीनें, जो कुल संख्या की ४ प्रतिशत हैं, ठेकेदारों द्वारा चलाई जाती हैं। इस प्रकार के जो ठेके दिये जाते है वह एक समान होते हैं और आदर्श संविद् पर आधारित होते हैं, जिसकी प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ८**]

नाटक गोष्ठी

†१९७७. { **श्रीशिवनंजप्पा :**
श्रीगाडिलिंगन गौड : } क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की संगीत नाटक अकादमी ने एक नाटक गोष्ठि संगठित की थी;

(ख) यदि हाँ तो कितने नाटककारों ने इसमें भाग लिया;

(ग) कितनी भाषाओं के प्रतिनिधि आये; और

(घ) गोष्ठी पर कुल कितना व्यय हुआ ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) :** (क) हाँ श्रीमान्।

(ख) छत्तीस।

(ग) चौदह।

(घ) ३२५०० रुपये।

पिछड़ी हुई जातियों की कल्याण योजनायें

†१९७८. **श्री राम कृष्ण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण और अस्पृश्यता के अन्त के लिये योजनाएं पूर्णत: तैयार हो गई हैं; और

(ख) यदि हाँ तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). द्वितीय पंच वर्षीय योजना की कालावधि में लागू की जाने वाली योजनाओं की सामान्य रूप रेखा तैयार कर ली गई है। पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण के लिये ९० करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा जिसमें से ५८ करोड़ रुपया राज्यों की योजनाओं पर और ३२ करोड़ रुपया केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली कतिपय योजनाओं पर व्यय किया जाएगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लागू की जाने वाली योजनाओं के रूप प्रकार को दर्शाने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ९**]

प्रत्येक पंचवर्षीय कालावधि में योजनाओं के विभिन्न शीर्षकों के सम्बन्ध में व्यय और आर्थिक लक्ष्य तैयार किये जा रहे हैं और शीघ्र ही उन्हें अन्तिम रूप दिया जायेगा।

निषिद्ध वस्तुएं

†१९७९. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में त्रिपुरा में भूमि सीमा शुल्क विभाग ने कितनी निषिद् वस्तुएं पकड़ीं;

(ख) ऐसी वस्तुएं किस प्रकार की हैं;

(ग) उक्त कालावधि में इन वस्तुओं का कैसे निबटारा किया गया था;

(घ) गोदाम में कितनी वस्तुएं हैं; और

(ङ) निबटाई गई वस्तुओं का मूल्य क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) १९५५–५६ में त्रिपुरा में भूमि सीमा शुल्क कर्मचारी वर्ग ने २,०३,०८१ रुपये की निषिद्ध वस्तुएं पकड़ी थीं ।

(ख) जो वस्तुएं पकड़ी गईं उनमें से मुख्य वस्तुएं इस प्रकार थीं :– सोना, चांदी, कपड़ा, सूत का धागा, कपास, सुपारी और नोट ।

(ग) नीचे लिखी गई वस्तुओं का निबटारा किया गया है :

	रुपये
उन वस्तुओं का मूल्य जो जुर्माना दिये जाने पर छोड़ी गईं	२,११०
आम निलाम में बेची गई वस्तुओं का मूल्य	९,३२३
बिना दण्ड के छोड़ी गई वस्तुओं का मूल्य	१,४३४
मामलों के सम्बन्ध में निर्णय होने तक के लिये प्रतिभूति निक्षेप ले कर सम्बन्धित व्यक्तियों को दी गई वस्तुओं का मूल्य	८,७६६
गोदाम में रखी गई वस्तुओं का मूल्य	१,८१,४४८
कुल मूल्य	२,०३,०८१

(घ) १,८१,४४८ रुपये की वस्तुएं सीमा शुल्क के पास रखी हैं ।

(ङ) उत्सर्जित वस्तुओं का मूल्य २१,६३३ रुपये है ।

त्रिपुरा में अनुसूचित आदिम जातियां

†१९८०. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६–५७ के लिये त्रिपुरा की अनुसूचित जातियों के विकास की प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं, और

(ख) वर्ष १९५६–५७ में उन में से प्रत्येक के लिये कितनी राशि मंजूर की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) प्रस्तावित योजनाओं और उन पर होने वाले अनुमित व्यय का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या १०**]

(ख) योजना पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही मंजूरी दी जायगी ।

शिक्षित लोगों में बेरोज़गारी

१९८१. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षित लोगों में बेरोज़गारी कम करने की योजना के अन्तर्गत प्रायमरी स्कूलों में नियुक्त किये गये ८०,००० व्यक्तियों की राज्यवार संख्या क्या है ।

शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) : १९५३–५४ व १९५४–५५ में नियुक्त किये गये शिक्षकों की संख्या बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ११**] १९५५–५६ में नियुत किये गये शिक्षकों की संख्या के सम्बन्ध में अभी राज्य सरकारों द्वारा सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

केन्द्रीय सचिवालय के स्टेनोग्राफरों की सेवा

†१९८२. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय और उससे सम्बद्ध कार्यालयों के उन स्टेनोग्राफरों को, जिन की नियुक्ति संघ लोक सेवा-आयोग की सिफारिश पर नहीं की गई थी, केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर

†मूल अंग्रेजी में

सेवा के पदों पर भर्ती के लिये संघ लोक सेवा-आयोग द्वारा की जाने वाली परीक्षाओं में बैठने के लिये तीन बार आयु की रियायत दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि यह रियायत बाहर के उम्मीदवारों को नहीं दी गई;

(ग) क्या यह सच है कि बाहर के उम्मीदवारों की तुलना में सेवायुक्त स्टेनोग्राफरों को अधिक लाभदायक स्थिति में रखा गया था;

(घ) क्या सेवायुक्त स्टेनोग्राफरों को भविष्य में भी रियायत देने की सरकार की इच्छा है;

(ङ) इन सेवायुक्त स्टेनोग्राफरों में से जो संघ लोक सेवा-आयोग द्वारा की जाने वाली तीन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हैं कितने अभी पदासीन हैं;

(च) क्या बाहर के कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो संघ लोक सेवा-आयोग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा की भर्ती के लिये की जाने वाली परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए थे परन्तु उन्हें कोई पद नहीं दिया गया; और

(छ) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). केन्द्रीय सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों में स्टेनोग्राफरों को श्रेणी तीन में स्थायी होने से पूर्व संघ लोक सेवा-आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। अतएव वर्तमान स्टेनोग्राफरों को चाहे उनकी आयु कुछ भी थी आयोग द्वारा ली गई परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी गई थी। अनर्हत उम्मीदवारों के स्थान पर अर्हता प्राप्त स्टेनोग्राफर रखे जाने हैं परन्तु उन्हें अभी रक्खा हुआ है क्योंकि उनके स्थान पर रखने के लिये पर्याप्त संख्या में अर्हता प्राप्त स्टेनोग्राफर नहीं हैं ।

(घ) वर्तमान स्टेनोग्राफरों को आयु की रियायत दी गई है ताकि उन्हें अर्हता प्राप्ति का एक और अवसर मिल जाये ज्यों ही अर्हता प्राप्त स्टेनोग्रोफर पर्याप्त संख्या में मिल जायेंगे और वर्तमान अनर्ह स्टेनोग्राफरों के स्थान पर रक्खे जायेंगे तो यह रियायत स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

(ङ) सितम्बर १९५५ में संघ लोक सेवा आयोग के स्टेनोग्राफरों की गत परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पश्चात् सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों में अनर्ह स्टेनोग्राफरों की कुल संख्या ४४८ थी। जितने अर्हता प्राप्त स्टेनोग्राफर उपलब्ध होंगे उनके अनुसार कनिष्ठता के आधार उन्हें अनर्ह स्टेनोग्राफरों के स्थान पर रखा गया है या रखा जा रहा है।

(च) और (छ). बाहर के उम्मीदवारों को सिवाय उन १९ उम्मीदवारों के जिन के मामलों में कुछ प्रारम्भिक बातें अभी पूरी नहीं हुई, नियुक्ति पत्र भेजे गये हैं।

भारत-पाकिस्तान वित्तीय मामले

†१९८३. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री उन वित्तीय मामलों की संख्या और स्वरूप को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जो अब तक पाकिस्तान और भारत के बीच निबटाये जा चुके हैं ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : विभाजन पश्चात् भारत और पाकिस्तान के कई वित्तीय मामलों पर कई बार चर्चा की गई है और कभी उन में से बहुत करार हुए हैं। ऐसे सभी करारों का प्रेस आदि के द्वारा उपयुक्त प्रचार किया गया है जिन का सीधा सम्बंद्ध जनता से है। सब महत्वपूर्ण और महत्वहीन मदों की सूची बनाना सम्भव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सचिवालय

†१९८४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निम्न उच्च श्रेणी के क्लर्कों की संख्या क्या है जो विभाजन के समय अधीक्षकों के स्थान पर काम कर रहे थे;

(ख) उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें बाद में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (गवेषणा तथा निर्देशन) योजना के लागू होने के पश्चात् तक के लिये पदोन्नत किया गया था;

(ग) उन स्थायी निम्न/उच्च श्रेणी के क्लर्कों की संख्या क्या है जिन्हें १५ अगस्त, १९४७ और केन्द्रीय सचिवालय सेवा (गवेषणा और निर्देशन) योजना के लागू होने के बीच की कालावधि में असिस्टेंट श्रेणी अथवा उससे उच्च श्रेणी में स्थायी बनाया गया था;

(घ) केन्द्रीय सरकार के उन स्थायी विस्थापित कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें उपर्युक्त कालावधि में असिस्टेंट श्रेणी में स्थायी बनाया गया; और

(ङ) यदि कोई नही तो इसके कारण क्या हैं और यह कैसे सरकार की उस नीति के अनुकूल है जो १६ दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६९५ के उत्तर में बताई गई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि विभिन्न मंत्रालयों/कार्यालयों ने बिना इस मंत्रालय से परामर्श किये पदोन्नतियाँ और स्थायीकरण किये हैं;

(ग) उपलब्ध जानकारी पहले ही १८ मार्च, १९५५ को श्री अच्युतन द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२०६ के उत्तर में सभा को दी जा चुकी है।

(घ) दो।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क

†१९८५. **श्री रामकृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में महेन्द्रगढ़ ज़िला (पैप्सू) में तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क वसूल करने में कितना व्यय हुआ ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : कोई निश्चित आंकड़े बताना कठिन है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर किये गये उपरि व्यय के साथ इस व्यय का हिसाब लगाया जाता है। महेन्द्रगढ़ ज़िला में प्रत्यक्ष व्यय अर्थात् उपरि व्यय के बिना व्यय लगभग १३,००० रुपये होगा।

शिक्षा का प्रसार

१९८६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहन शिक्षा विकास योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक बुनियादी शिक्षा का तीव्र विकास करने के लिये सरकार ने जो सुगठित क्षेत्र चुने हैं वे कौन, कौन से हैं;

(ख) मध्य प्रदेश में ऐसे क्षेत्रों की संख्या कितनी है और उन के नाम क्या हैं;

(ग) इस योजना के अधीन १९५६–५५ में मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्र द्वारा मदवार कितनी सहायता दी जायेगी; और

(घ) १९५५–५६ में कितनी सहायता दी गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों द्वारा चुने गए तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सुगठित क्षेत्रों के नाम बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या १२**]

(ख) दो क्षेत्र, जबलपुर तथा अमरावती।

(ग) चालू वर्ष में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकारों द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावों तथा केन्द्र व राज्यों में होने वाले व्यय-भाग के आधार पर निर्भर होगी, ऐसा निश्चय किया गया है।

(घ) १,८६,०६२ रु०।

वायुयानों का क्रय

१९८७. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने हाल ही में कुछ इस प्रकार के वायुयान खरीदे हैं जो हैलीकोप्टरों की तरह छोटे से मैदान में उतर सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन के नाम, निर्माता, मूल्य, संख्या और विशषताओं आदि का क्या विवरण है ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

†**१९८८.** { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विश्व विद्यालयों से आये हुए कितने प्रार्थनापत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास इस समय विचाराधीन हैं और अभी तक उनका निर्णय नहीं किया गया;

(ख) वे किन विश्वविद्यालयों की ओर से आये हैं और वे किन प्रयोजनों से दिये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पंजाब विश्वविद्यालय ने विशेष अनुदान के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रार्थना की है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) से (घ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या १३**]

एम० ई० एस० के ठेकेदार

†**१९८९. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५६ को पूरे किये गये कार्यों के लिये एम० ई० एस० के पास ठेकेदारों के कितने बिल बिना भुगतान के पड़े हैं; और

(ख) उनके भुगतान के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :

(क) ५७३।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार द्वारा विहित टेक्नीकल परीक्षा और लेखा परीक्षा हो जाने के पश्चात् सैनिक इंजीनियर सेवा का सामान्य कर्मचारीवर्ग विषयों का भुगतान करेगा। कोई विशेष कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

चलार्थ पत्र

†१९९०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक रुपये तथा उससे अधिक मूल्य के क्रमशः ऐसे नोटों की संख्या कितनी थी जिनके लिये १९५५–५६ में विशेष प्रकार का कागज़ खरीदा गया था; और

(ख) इस प्रकार का कितने मूल्य का कागज़ खरीदा गया था ?

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह) : (क) एक रुपये के और उससे अधिक मूल्य के नोटों की संख्या, जिनके लिये १९५५–५६ में विशेष प्रकार का कागज़ खरीदा गया था, क्रमशः १०६ करोड़ १० लाख और १०२ करोड़ ९० लाख थी।

(ख) इस प्रकार खरीदे गये कागज़ का मूल्य ८९ लाख रुपये (एक रुपये के नोटों के लिये ३४ लाख और अन्य नोटों के लिये ५५ लाख रुपये) का कागज़ खरीदा गया था।

केन्द्रीय भू-भौतिकीय संस्था

†१९९१. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भू-भौतिकीय संस्था के लिये योजना तैयार की गई थी और भू-भौतिकी के लिये योजना समिति ने सरकार को जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसके साथ क्या वह छापी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) यह केवल प्रारम्भिक योजना थी।

(ख) यह प्रस्ताव प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका किन्तु यह तय किया गया था कि योजना काल में विभिन्न सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों को भू-भौतिकीय कार्य के लिये जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिये। भू-भौतिकीय गवेषणा संगठन की स्थापना करना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के एक अंग के रूप में सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया गया है।

उपकर, उत्पादन शुल्क और निर्यात शुल्क आदि

†१९९२. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४, १९५४–५५ और १९५५–५६ में चाय, पेट्रोल और आसाम राज्य में पैदा किये गये पटसन से उत्पादन शुल्क, उपकर और निर्यात करके रुप में भारत सरकार ने कितनी राशि एकत्र की है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : चाय, कच्चे पटसन पर उपकर तथा चाय और मोटर स्प्रिट पर उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व सम्बन्धी सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी। मोटर स्प्रिट पर निर्यात शुल्क नहीं है और न ही जिन वर्षों के बारे में प्रश्न पूछा गया है कच्चे पटसन का निर्यात ही किया गया था। पटसन पर भी निर्यात शुल्क नहीं लगता।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, ११ मई, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--(क्रमशः)		२३२१–४२
तारांकित प्रश्न संख्या		
२१२८	केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिक गवेषणा संस्था	२३२१–२२
२१३१	शिक्षितों की बेकारी	२३२२–२३
२१३३	सामान्य निर्वाचन	२३२३–२५
२१३७	ग़ैर-भारतीयों की नियुक्ति	२३२५–२६
२१३९	अध्यापकों के वेतन	२३२७–२८
२१४२	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला	२३२८
२१४३	अंदमान द्वीपसमूह	२३२८–२९
२१४४	विदेशी धर्म प्रचारक	२३२९
२१४९	रिजर्व बैंक आफ इंडिया	२३३०
२१५०	प्राथमिक शिक्षा	२३३१–३२
२१५१	भारत का राज्य बैंक ...	२३३२–३५
२१५३	भारतीय प्रशासन सेवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ...	२३३५–३६
२१५६	आँध्र में कल्याण विस्तार परियोजनायें	२३३६–३७
२१२६	सहायक विमान बल स्कवैड्रन ...	२३३७–३८
२१२९	आदिम जाति क्षेत्र ...	२३३८
२१४५	बुनियादी और प्राथमिक स्कूल ...	२३३९
२१४६	मोटर गाड़ी के नीचे के ढ़ांचों का आयात	२३३९–४०
२१४८	वायु सेना प्रतिरक्षा रिजर्व संचित	२३४०–४१
२१५४	चूने के पत्थर के निक्षेप	२३४१
२१५५	विज्ञान मन्दिर	२३४१–४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		२३४२–५४
तारांकित प्रश्न संख्या		
२१२७	केंन्द्रीय रिजर्व पुलिस अधिकारी ...	२३४२
२१३२	बिहार में कल्याण विस्तार परियोजनाएं ...	२३४२
२१३४	अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियाँ	२३४२–४३
२१३५	त्रिपुरा में कोयले की खान ...	२३४३
२१३६	त्रिपुरा की आदिम जाति भाषा	२३४३
२१३८	तेल कम्पनी	२३४३
२१४०	त्रावणकोर-कोचीन के मछुए	२३४३–४४
२१४१	विदेशों में भारतीय मिशन	२३४४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

२१४७ उड़न तश्तरियाँ २३४४
२१५२ सोना २३४४
२१५७ प्रतिरक्षा निर्माणकार्य ... २३४५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१९६५ नाटक गोष्टी ... २३४५
१९६६ केन्द्रीय सचिवालय २३४५–४६
१९६७ भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल २३४६
१९६८ श्रेणी चार के पदाधिकारी २३४६
१९६९ प्रतिरक्षा कर्मचारियों की हड़ताल ... २३४७
१९७० अस्पृश्यता निवारण २३४७
१९७१ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ... २३४७
१९७२ छावनियाँ ... २३४७
१९७३ यौगिक अभ्यास ... २३४८
१९७४ राष्ट्रीय सेना छात्र दल २३४८
१९७५ सेना कर्मचारीवर्ग ... २३४८
१९७६ प्रतिरक्षा मंत्रालय के ठेके २३४८–४९
१९७७ नाटक गोष्ठी २३४९
१९७८ पिछड़ी हुई जातियों की कल्याण योजनाएं ... २३४९
१९७९ निषिद्ध वस्तुएं २३४९–५०
१९८० त्रिपुरा में अनुसूचित आदिम जातियाँ २३५०
१९८१ शिक्षित लोगों में बेरोजगारी २३५०
१९८२ केन्द्रीय सचिवालय के स्टेनोग्राफरों की सेवा ... २३५०–५१
१९८३ भारत-पाकिस्तान वित्तीय मामले ... २३५१
१९८४ केन्द्रीय सचिवालय २३५२
१९८५ तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क २३५२
१९८६ शिक्षा का प्रसार २३५२–५३
१९८७ वायुयानों का क्रय २३५३
१९८८ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग २३५३
१९८९ एम० ई० एस० के ठेकेदार २३५३–५४
१९९० चलार्थ पत्र २३५४
१९९१ केन्द्रीय भू-भौतिकीय संस्था २३५४
१९९२ उपकर उत्पादन शुल्क और निर्यात शुल्क आदि ... २३५४

M59LSD—190—17-8-57—GIPF

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग--२ प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ५, १९५६

(९ मई से ३० मई, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ५ में अंक ६१ से ६७ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

[वाद-विवाद; भाग २—खण्ड ५; ९ मई से ३० मई, १९५६]

	पृष्ठ
अंक ६१—बुधवार, ९ मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३२७९
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतीसवां तथा छत्तीसवां प्रतिवेदन	३२८०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
बावनवां प्रतिवेदन	३२८०
अनुपस्थिति की अनुमति ...	३२८०–८१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	३२८१
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन	३२८१–८२
सभा का कार्य	३२८२–८४
भारतीय टंक अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई	
प्रारूप अधिसूचनाओं के बारे में प्रस्ताव	३२८४–९०
संविधान (दसवां संशोधन)—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३२८४–९०
कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३३१७–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	३३२६
अंक ६२—गुरुवार, १० मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	३३२७
सदस्यों का बन्दीकरण तथा निरोध ...	३३२७–२८
भारतीय रड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक ...	३३२८–२९
कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३३२९–८५
दैनिक संक्षेपिका ...	३३८६
अंक ६३—शुक्रवार, ११ मई, १९५६	
राज्य-सभा से सन्देश	३३८७
मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक	३३८७
समितियों के लिये निर्वाचन—	
प्राक्कलन समिति	३३८८
लोक लेखा समिति	३३८८
राज्य-सभा के सदस्यों का लोक लेखा समिति में सम्मिलित किये जाने के	
बारे में प्रस्ताव	३३८८
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन ...	३३८९–९१

पृष्ठ

सभा का कार्य ३३९१–९२

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव ... ३३९२–३४२७

खण्ड २ से ५५ और १ तथा अनुसूची ३३९९–३४२५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ३४२५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

बावनवां प्रतिवेदन ३४२७

व्यक्ति की अधिकतम आय के बारे में संकल्प ३४२७–५०

दैनिक संक्षेपिका ३४५१

अंक ६४––सोमवार १४ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४५३–५४

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३४५४

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति––

चौथा प्रतिवेदन ३४५४

राज्य पुनर्गठन विधेयक ... ३४४४–५६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ३४५६

जीवन बीमा निगम विधेयक ३४५६

त्रावनकोर-कोचीन आय-व्ययक––

सामान्य चर्चा ३४५७–३५००

अनुदानों की मांगें ... ३५००–३२

त्रावनकोर-कोचीन विनियोग विधेयक ३५४७–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ३५४९

अंक ६५––मंगलवार, १५ मई, १९५६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में वक्तव्य ३५५१–५४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५५४

राज्य-सभा से सन्देश ३५५४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३५५४–३६०२

दैनिक संक्षेपिका ... ३६०३

अंक ६६––बुधवार, १६ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३६०५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

त्रेपनवां प्रतिवेदन ३६०५

सभा का कार्य––

द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा ३६०६–१०

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ... ३६१०–११

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा

प्रतिवेदित रूप में ३६११–६१

पृष्ठ

खण्डों पर विचार--

खण्ड ४, ५ और ७ ... ३६१४–२९

खण्ड २, ३, ६ और ८ से ४० ३६२९–५४

खण्ड ४१, ४२ और ४७ ३६५४–६१

राज्य-सभा से सन्देश ३६६२

दैनिक संक्षेपिका ३६६३

अंक ६७--गुरुवार, १७ मई, १९५६

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३६६५–६६

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३६६६–३७१६

खण्ड ४१ से ८३ तक ... ३६६६–३७१५

पारित करने का प्रस्ताव, संशोधन रूप में ३७१६

दैनिक संक्षेपिका ... ३७१७

अंक ६८--शुक्रवार, १८ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७१९

राज्य-सभा से संदेश ... ३७१९–२०

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक ... ३७२०

प्राक्कलन समिति--

सत्ताईसवां प्रतिवेदन ३७२०

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (खड्गपुर) विधेयक ३७२०

त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक ३७२१–२२

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ... ३७२२–३५

पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में ३७२२

जीवन बीमा निगम विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३७३५–५३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--तिरपनवां प्रतिवेदन ३७५४

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९४ का संशोधन) ... ३७५४

खान संशोधन, विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन) ३७५४–६२

विचार करने का प्रस्ताव ३७५४

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहणन विधेयक ३७६३–६४, ३७६५–७३

विचार करने का प्रस्ताव ३७६३

सभा का कार्य ३७६४–६५

नियम समिति--

चौथा प्रतिवेदन ३७६५

दैनिक संक्षेपिका ३७७४–७५

अंक ६९--सोमवार, २१ मई, १९५६ **पृष्ठ**

स्थगन प्रस्ताव ३७७७–७८
सभा का कार्य ... ३७७८–७९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७७९–८०
राज्य-सभा से सन्देश ३७८०–८६
प्राक्कलन समिति--
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ... ३७८६
जीवन बीमा निगम विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३७८६–३८३५
खण्डों पर विचार--
खण्ड २ ३८३१--३५
दैनिक संक्षेपिका ३८३६

अंक ७०--मंगलवार, २२ मई, १९५६

स्थगन-प्रस्ताव--
भुखमरी के कारण कुछ नागाओं की कथित मृत्यु ३८३७–३९
सदस्यों की रिहाई ३८३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
अल्जीरिया के सम्बन्ध में सरकार की नीति ... ३८३९–४२
जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--
खण्ड ४, १९ और २२ ३८४३–५८
खण्ड ११ और १२ ३८५८–६८
खण्ड १४ ३८६८–७०
खण्ड २५ और २९क ... ३८७०–८५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८८५
दैनिक संक्षेपिका ३८८६

अंक ७१--बुधवार, २३ मई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
खडगपुर और काजीपेट जंकशनों पर रेलवे श्रमिकों की हड़ताल ... ३८८७–९३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८९३–९४
राज्य-सभा से सन्देश ३८९४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चौवनवां प्रतिवेदन ३८९४
भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका ... ३८९४
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३८९४
पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के सामूहिक निष्क्रमण के बारे में वक्तव्य ३८९४–९८
जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३८९८–३९४१
खण्ड ४३ ३८९८–३९०५

पृष्ठ

खण्ड १६, ३५, ३६ और अनुसूचियां ३९०६–३०

खण्ड ५ से १०, १३, १५, १७, १८, २०, २१, २३, २४, २६ से ३४, ३७ से ४२, ४४ से ४९ और १ ... ३९३०–४१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३९४१

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प ३९४१–६०

कार्य मंत्रणा समिति––

सैंतीसवां प्रतिवेदन ३९६०

दैनिक संक्षेपिका ३९६१–६२

अंक ७२––शुक्रवार, २५ मई, १९५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

काजू के कारखानों में तालाबन्दी ३९६३–६४

द्वितीय पंचवषीय योजना के बारे में संकल्प ३९६४–७०, ३९७१–९४

सभा का कार्य ३९७०–७१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

चौवनवां प्रतिवेदन ... ३९९४

व्यक्ति की आय पर उच्चतम सीमा सम्बन्धी संकल्प ३९९४–४००७

आयकर विभाग के कार्य की जांच के बारे में संकल्प ४००८–१३

गन्ने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ४०१३–२०

दैनिक संक्षेपिका ४०२१

अंक ७३––शनिवार, २६ मई १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४०२३, ४०२५–२६

प्राक्कलन समिति––

उनतीसवां और तीसवां प्रतिवेदन ... ४०२३

भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका ... ४०२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना––

त्रिपुरा में चावल के भाव में वृद्धि ... ४०२४

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र में लगातार गोलीबारी ... ४०२४–२५

कार्य मंत्रणा समिति––

सैंतीसवां प्रतिवेदन ४०२६–२७

मालिक-मजदूर झगड़े सभा के सामने लाने के बारे में विनिर्णय ४०२७–२८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प ४०२८–७२

राज्य-सभा से संदेश ... ४०७२–७४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ४०७४

दैनिक संक्षेपिका ४०७५–७६

	पृष्ठ
अंक ७४--सोमवार, २८ मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४०७७-७९
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	४०७९
प्राक्कलन समिति--	
इक्तीसवां प्रतिवेदन ...	४०७९
सभा का कार्य	४०८०-८१
त्रावणकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन)	
विधेयक	४०७९, ४०८१-४१०१
विचार करने का प्रस्ताव	४०७९
खण्ड २, ३ और १	४०९३-४१०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	४१०१
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ...	४१०२-०७
विचार करने का प्रस्ताव	४१०२
खण्ड १ और २ ...	४१०७
पारित करने का प्रस्ताव ...	४१०७
खड्गपुर में हड़ताल की स्थिति के बारे में चर्चा	४१०८-३३
राष्ट्रीय अनुशासन योजना के बारे में आध घंटे की चर्चा ...	४१३४-३९
दैनिक संक्षेपिका ...	४१४०-४१
अंक ७५--मंगलवार, २९ मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४१४३-४४
प्राक्कलन समिति--	
बत्तीसवां प्रतिवेदन ...	४१४४
लोक लेखा समिति--	
सोलहवां प्रतिवेदन	४१४४
सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	४१४४
काजू के कारखानों में तालाबन्दी के बारे में वक्तव्य	४१४४-४५
सदस्यों का बन्दीकरण और रिहाई	४१४५
सभा का कार्य	४१४५-४६
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक--	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	४१४६-८६
खण्ड २ से ४ और १	४१८०-८६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	४१८६
निवारक निरोध अधिनियम की कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव ...	४१८७-९३
पीलिया जांच समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में आधे घंटे की चर्चा ...	४१९३-९८
राज्य-सभा से संदेश	४१९८
दैनिक संक्षेपिका	४१९९-४२००

पृष्ठ

अंक ७६—बुधवार, ३० मई, १९५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना तथा स्थगन प्रस्ताव—

कालका रेलवे स्टेशन पर उपद्रव ४२०१–०८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४२०८–०९

प्राक्कलन समिति—

तैंतीसवां प्रतिवेदन ४२०९

याचिका समिति—

नवां प्रतिवेदन ४२१०

अनुपस्थिति की अनुमति ... ४२१०

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ४२१०

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक ... ४२१०–११

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति ४२११–१६

सभा का कार्य ४२१६–१७

निवारक निरोध अधिनियम का कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव ... ४२१७–४५

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के भारत की ओर सामुहिक निष्क्रमण के बारे में चर्चा ४२४५–६३

राज्य-सभा से संदेश ४२६३

भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये आपातकालीन भर्ती के बारे में नियमों पर चर्चा ४२६३–७३

कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४२७३–७६

प्रतिलिप्याधिकार विधेयक ४२७६

दैनिक संक्षेपिका ... ४२७७–७९

बारहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश ४२८०–८१

M148LSD—190—8-4-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शुक्रवार, ११ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

११-३० म० पू०

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव :** श्रीमान् मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा ९ मई, १९५६ को पारित अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक, १९५६ को राज्य-सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक अभी सभा में विचाराधीन है। ३० अप्रैल १९५६ को हमने यह प्रस्ताव* पारित किया था कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि वह मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक को वापस लिये जाने की अनुमति दे किन्तु उसकी भाषा में प्रविधिक दृष्टि से यह परिवर्तन होना चाहिये कि वह सभा विधेयक को वापस लिये जाने की अनुमति देने पर सहमत हो। इस परिवर्तन के लिये मैंने सचिव को आदेश दे दिया है। राज्य-सभा को भेजने से पहले प्रस्ताव की भाषा में यह प्रविधिक परिवर्तन आवश्यक है।

†**श्री चट्टोपाध्याय** (विजयवाड़ा): ऐसी त्रुटियों के लिये कौन उत्तरदायी है?

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले तो इन बातों पर ध्यान देना लोक-सभा सचिवालय और लोक-सभा का काम है फिर भी यदि विधि की कोई त्रुटि रह जाये तो अध्यक्ष उसे ठीक कर देता है।

†मूल अंग्रेजी में

*देखिये वाद-विवाद भाग २, दिनांक १५-३-१९५६ और दिनांक ३०-४-१९५६

समितियों के लिए निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

†**श्री बी० जी० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २४३ के उप-नियम (२) की रीति के अनुसार प्राक्कलन समिति के लिये वर्ष १९५६–५७ के लिये अपने में से तीस सदस्य चुनें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २४३ के उप-नियम (२) की रीति के अनुसार प्राक्कलन समिति के लिये वर्ष १९५६–५७ के लिये अपने में से तीस सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक लेखा समिति

†**श्री वी० बी० गांधी** (बम्बई नगर-उत्तर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २४२ के उप-नियम (१) की नीति के अनुसार लोक-लेखा समिति के लिये वर्ष १९५६–५७ के लिये अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २४२ के उप-नियम (१) की रीति के अनुसार लोक-लेखा समिति के लिये वर्ष १९५६–५७ के लिये अपने में से पन्द्रह सदस्य चुने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राज्य-सभा के सदस्यों को लोक-लेखा समिति में सम्मिलित किये जाने के बारे में प्रस्ताव

†**श्री वी० बी० गांधी** (बम्बई नगर-उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि वह वर्ष १९५६–५७ के लिये इस सभा की लोक-लेखा समिति में काम करने के लिये राज्य-सभा के सात सदस्य नाम निर्देशित करने के लिये सहमत हो और राज्य-सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्देशित किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि वह वर्ष १९५६–५७ के लिये इस सभा की लोक-लेखा समिति में काम करने के लिये राज्य-सभा के सात सदस्य नाम निर्देशित करने के लिये सहमत हो और राज्य-सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्देशित किये गये सदस्यों का नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य-मंत्रणा समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुकम सिंह** (कपूरथला–भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा

(१) कार्य मन्त्रणा समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन से, जो ९ मई, १९५६ को सभा के समक्ष उपस्थापित किया गया था, सहमत है, और

(२) राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि वह उक्त प्रतिवेदन में प्रस्तावित द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी समितियों में सम्मिलित हो और विभिन्न समितियों के लिये राज्य-सभा के सदस्यों के नाम १४ मई, १९५६ तक इस सभा को भेज दे ।"

इस प्रतिवेदन की प्रतियां सदस्यों के पास पहले ही भेज दी गई हैं और अब मैं इसके बारे में कुछ शब्द कहना आवश्यक समझता हूं ।

पंचवर्षीय योजना के विषय इतने अधिक और विभिन्न हैं कि सभा में उन पर भली भांति चर्चा नहीं की जा सकती । अतः यह आवश्यक समझा गया कि कुछ समितियां बनाई जायें । प्रत्येक सदस्य को इन समितियों में से किसी एक के लिये मत देने का अधिकार होगा और प्रत्येक की दो दो पसन्द होंगी । इसका यह नतीजा होगा कि किसी समिति विशेष की संख्या बहुत न होने पायेगी और सब समितियों में लगभग बराबर सदस्य होंगे ।

समितियों के प्रतिवेदन अक्षरशः तैयार किये जायेंगे । सभा में इस विषय पर चर्चा होने के समय ये प्रतिवेदन सदस्यों को उपलब्ध हो सकेंगे । समितियों में बहुत लाभप्रद चर्चा की जा सकेगी और इन समितियों के कारण सभा का समय अधिक खर्च नहीं होगा । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इन बातों से सहमत होंगे ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद): इस नई तजवीज का मैं स्वागत करता हूं किन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिन के लिये मैं माननीय प्रस्तावक से स्पष्टीकरण का अनुरोध करता हूं । प्रतिवेदन में कहा गया है कि चार समितियां बनाई जायेंगी । यह विचार तो बहुत सुन्दर है किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभा की बैठक के समय समितियों की बैठकें भी होती रहेंगी ? यदि ऐसा है तो बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि दो स्वामियों की सेवा बहुत कठिन है ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** (विजयवाड़ा) : दो क्या एक की भी कठिन होती है ।

†**श्री कामत** : जी हां, किन्तु वैसे देखा जाये तो हम सब यहां समान हैं । कोई किसी का स्वामी नहीं है । फिर भी मैं नहीं चाहता कि दो बैठकें साथ-साथ होती रहें । सभा में इस समय दो महत्वपूर्ण विधेयक विचाराधीन हैं, एक तो जीवन बीमा निगम विधेयक और दूसरा लोक प्रतिनिधित्व विधेयक । इन दोनों की चर्चा में भाग लेना आवश्यक है और यदि सदस्य भाग न भी लें तो गणपूर्त्ति नहीं होगी ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि समितियों के प्रतिवेदन अक्षरशः तैयार नहीं किये जाने चाहियें । हम लोग प्रायः देखते हैं कि समितियों में बहुत सी अनौपचारिक बातें भी होती हैं और उन सब का रिकार्ड तैयार करना ठीक नहीं है । मुझे आशा है कि इन बातों को स्पष्ट किया जायेगा ।

†**श्री बंसल** (झझर–रेवाड़ी) : श्रीमान्, मैं भी एक दो बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि योजना पर चर्चा के समय ये समितियां कोई संकल्प पारित करेंगी या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बंसल]

यदि वे ऐसा करने लगी तो हमें कई बातों पर ध्यान देना पड़ेगा । अभी तो यही पता नहीं है कि विभिन्न समितियां किन-किन विषयों पर विचार करेंगी और वे अपने में सम्पूर्ण नहीं होंगी क्योंकि योजना के अन्य विषयों पर चर्चा नहीं की जायेगी । ऐसी दशा में उनके दृष्टिकोण को समस्त सभा का दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता । अतः हमें यह बताया जाना चाहिये कि उनमें संकल्प पारित किये जायेंगे या नहीं ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : मुझे खेद है कि मैंने इन बातों को पहले स्पष्ट नहीं किया । समितियों द्वारा कोई संकल्प पारित नहीं किये जायेंगे । उनके विचार सदस्यों के लाभ के लिये उपलब्ध होंगे । ऐसी समिति में बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के जो दृष्टिकोण होंगे वे यथावत् रखे जायेंगे ।

इन समितियों में जो नियम लागू होंगे उनका निर्णय तो माननीय अध्यक्ष ही करेंगे क्योंकि यह एक नया सुझाव ह । साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि सभा की कार्यवाही में किसी हर्ज के बिना यह काम कैसे किया जा सकता है ।

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा): मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्रियों को सभा में भाषण देने के लिये कहा जायेगा ताकि हम सब को उनके विचार मालूम हो सकें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : समितियों का यह अर्थ नहीं कि वे सभा के निश्चयों से भी आगे बढ़ जायेंगे । सभा में तो चर्चा होगी ही किन्तु बहुतसी बातें समितियों में ही सुलझ जायेंगी ।

जहां तक समितियों की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि यह एक नया प्रयोग है । मैंने तो बजट के बारे में भी यही तरकीब सोची थी किन्तु उस समय इसे व्यवहार में नहीं लाया जा सका । अगले वर्ष ऐसा हो सकता है ।

समिति की प्रक्रिया औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की होगी । यदि कोई सदस्य अपनी किसी बात को दर्ज नहीं कराना चाहता तो वह उसके लिये वैसा ही कह देगा ।

†**श्री अशोक मेहता** (भंडारा) : इन समितियों का क्या समय रहेगा ? हमें प्रतिवेदन के अध्ययन के लिये भी एक दो दिन मिलने चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : १५ और २३ तारीख के बीच में ९ दिन हैं । समितियों के जो सभापति हैं वे आपस में इसका फैसला कर लेंगे । सदस्यों की सुविधा के अनुसार बैठक किसी भी समय हो सकती है । जो सदस्य इन बैठकों में अधिक भाग लेंगे उनकी सुविधा पर भी ध्यान दिया जायेगा और यदि वे रात को देर तक बैठना चाहेंगे तो उनके लिये केफेटेरिया भी बराबर खुला रहेगा ।

†**श्री कामत** : मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार की समितियों की बठकें प्रश्न-काल में नहीं होनी चाहियें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं चाहता हूं कि प्रश्न काल में सारी सभा पूर्ण हो, इसलिये इस काल में इस प्रकार की समितियों की बैठकें न हो । उसके बाद उसकी बैठकें हो सकती हैं ।

जहां तक मन्त्री के उत्तर का सम्बन्ध है, मुझ पूर्ण विश्वास है कि वह सभा में यथासम्भव पूरा-पूरा उत्तर देंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा—

(१) कार्य मन्त्रणा समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन से, जो ९ मई, १९५६ को सभा के समक्ष उपस्थापित किया गया था, सहमत है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि वह उक्त प्रतिवेदन में प्रस्तावित द्वितीय पंच-वर्षीय योजना सम्बन्धी समितियों में सम्मिलित हो और विभिन्न समितियों के लिये राज्य-सभा के सदस्यों के नाम १४ मई, १९५६ तक इस सभा को भेज दे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे सदस्य जो इन समितियों में काम करना चाहते हैं वे १४ मई, १९५६ के ३ बजे मध्यान्ह पश्चात् तक अपने-अपने नाम संसदीय सूचना कार्यालय में दे दें और यह भी बता दें कि वे किस समिति को प्राथमिकता देते हैं।

छतीसवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्यमन्त्रणा समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन से, जो ९ मई, १९५६ की सभा के समक्ष उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि इसका सम्बन्ध बीमा विधेयक से है।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्यमन्त्रणा समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन से, जो ९ मई, १९५६ को सभा के समक्ष उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : श्रीमान् मैं आपकी अनुमति से १४ मई, १९५६ से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये वैधानिक कार्य के सम्बन्ध में एक घोषणा करना चाहूंगा।

उक्त सप्ताह के लिये जो कार्य सूची, माननीय सदस्यों के पास पहुंच चुकी है, उसके अतिरिक्त त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लिये अनुदानों की मांगों से सम्बन्ध रखने वाला विनियोग विधेयक भी पुरःस्थापन, विचार तथा पारण के लिये सभा में प्रस्तुत किया जायेगा।

यह भी विचार है कि उक्त सप्ताह में आय-कर अधिनियम को संशोधित करने वाला एक विधेयक पुरःस्थापित किया जाये, उस पर विचार करने के लिये तथा उसे पास करने के लिये सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये। यह एक अत्यावश्यक विधान है जिसकी उस समय कल्पना नहीं की गयी थी जबकि ४ मई को मैंने इस मास के लिये कार्य सूची के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था।

†**श्री कामत** : (होशंगाबाद) : अग्रिम कार्य सूची से यह ज्ञात होता है कि त्रावनकोर-कोचीन के आय-व्ययक को सोमवार को लिया जायेगा, और उस पर ६ घण्टे लगेंगे। मेरी प्रार्थना है कि सोमवार को तो लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक लिया जाये और फिर उसे पूरा करने के बाद वीरवार को त्रावनकोर-कोचीन आय-व्ययक पर विचार किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : संसद्-कार्य मन्त्री ने यह बताया है कि आय-कर (संशोधन) विधेयक पर भी विचार किया जायेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक को उस सूची में प्राथमिकता की दृष्टि से क्या स्थान दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : यह एक छोटा-सा विधान है। उसे सोमवार को पुरःस्थापित किया जायेगा, और सरकार उसे सर्वाधिक प्राथमिकता देना चाहती है।

†**श्री साधन गुप्त** : उस पर विचार कब किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें इस बारे में सोचने दीजिये।

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री ए० पी० जैन द्वारा ९ मई, १९५६ को प्रस्तुत किये गये कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक पर आगे और विचार करेगी। श्री ए० पी० जैन अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री बंसल** (झझर—रेवाड़ी) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि विधेयक के तृतीय वाचन के लिये कितना समय दिया जायेगा ? यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधान है, और उस पर विचार करने का हमें अवसर नहीं मिला है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि विधेयक के तृतीय वाचन के दौरान में मुझे अपने विचार प्रकट करने को थोड़ा-सा समय दिया जाये।

†**श्री एन० वी० चौधरी** (घाटल) : इस सम्बन्ध में बहुत से संशोधन हैं, इसलिये खण्डशः चर्चा से समय निकाल कर तृतीय वाचन के लिये नहीं दिया जा सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि समय बचा तब तो वह तृतीय वाचन के लिये दिया जायेगा; यदि नहीं बचा तो नहीं दिया जायेगा।

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : मैं माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस विधेयक के प्रति इतनी रुचि दिखाई है और उसका समर्थन किया है। मुझे आशा है कि उनकी यह रुचि कम नहीं होगी और वे इस विधेयक में निर्धारित की गयी योजना को कार्यान्विति में मुझे और अपने आपको सावधान रखेंगे। मुझे आशा है कि वे सभी सदस्य, जिन्होंने इसकी चर्चा में भाग लिया है और वे भी जिन्होंने भाग नहीं लिया है, इस विधेयक में निर्धारित सहकारी योजना के प्रचार तथा उसे लोकप्रिय बनाने के कार्य के लिये संगठित होंगे।

कल यह बिल्कुल ठीक कहा गया था कि विधेयक की सफलता इसमें निहित उपबन्धों पर निर्भर नहीं करती जितनी कि उनकी कार्यान्विति पर निर्भर करती है और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य विधेयक की सफल कार्यान्विति को उतना ही महत्व देंगे जितना कि वे विधेयक के उपबन्धों की चर्चा को दे रहे हैं।

विधेयक की योजना सभी सदस्यों द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। विधेयक के अन्तर्गत तीन निकाय स्थापित किये गये हैं, वे हैं राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भाण्डार व्यवस्था बोर्ड, केन्द्रीय भाण्डार व्यवस्था निगम, तथा राज्य भाण्डार व्यवस्था निगम। जहां तक राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भाण्डार व्यवस्था बोर्ड की स्थापना तथा उसके उद्देश्यों का सम्बन्ध है, उनके बारे में कोई भी मतभेद प्रकट नहीं किया गया है। केवल एक बात जिस पर मतभेद है, वह बोर्ड के गठन के बारे में है। माननीय सदस्यों को ज्ञात होना चाहिये कि ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति ने यह सिफारिश की है कि बोर्ड में १४ सदस्य हों; जिनमें से खाद्य और कृषि मन्त्री उसके सभापति हों, उस मन्त्रालय के सचिव

†मूल अंग्रेजी में

उप-सभापति होंगे, योजना आयोग, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामले), रेलवे बोर्ड और परिवहन मन्त्रालय का एक-एक प्रतिनिधि हो । इन छः सरकारी प्रतिनिधियों के अतिरिक्त रक्षित बैंक और राज्य बैंक का भी एक-एक प्रतिनिधि होगा । शेष सदस्य होंगे—वायदा बाजार आयोग का सभापति, एक अर्थशास्त्री, दो सहकारी तथा दो अन्य गैर-सरकारी व्यक्ति । ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के परीक्षण के समय, सरकार ने यह अनुभव किया था कि इस बोर्ड को और अधिक सदस्यों की आवश्यकता है और ६ और सदस्य बढ़ा दिये गये, जिनका विवरण इस प्रकार से है—खाद्य और कृषि मन्त्रालय का एक और प्रतिनिधि, एक वित्त (राजस्व और व्यय) मन्त्रालय से, एक वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय से, एक उत्पादन मन्त्रालय से तथा दो और सहकारी । सभा यह अनुभव करेगी कि सहकारी कार्यों से सम्बन्धित सभी मन्त्रालयों तथा विभागों के प्रतिनिधि इस बोर्ड में हों। उदाहरणार्थ वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय हथकरघा उद्योग के संगठन को सम्भाले हुए हैं, और उत्पादन मन्त्रालय कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों से सम्बन्ध रखता है, और उन्हें सहकारी आधार पर संगठित करेगा ।

यह विचार प्रकट किया गया है कि बोर्ड में सरकारी सदस्य अधिक हैं । मैं समझता हूं कि सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों में भेदभाव का समय अब बीत चुका है । दोनों ने ही कुछ एक राष्ट्रीय नीतियों को कार्यान्वित करना होता है । यदि वे पारस्परिक नीतियों में समन्वय नहीं उत्पन्न कर सकते तो यह अच्छा नहीं है । एक दूसरे की सहायता करने की अपेक्षा भेद-भाव पर अधिक जोर देना इन योजनाओं के विकास तथा उत्थान में बाधा पहुंचाता है । इसलिये हमें मिलजुल कर काम करना चाहिये ।

वाद-विवाद के दौरान में यह सुझाव दिया गया है कि गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जानी चाहिये ।

मैं उस सुझाव पर विचार करने के लिये तैयार हूं । मैं यह जानता हूं कि कोई भी योजना तभी सफल होगी जब कि गैर-सरकारी सदस्यों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा । मैं यह भी जानता हूं कि मध्य तथा छोटे स्तर के किसानों को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये । मैं यह बात ध्यान में रखूंगा कि इस बोर्ड में केवल उन्हीं व्यक्तियों को नाम निर्देशित किया जाये जो ग्राम्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

यह एक सुझाव भी दिया गया है कि कार्यकारिणी समिति में गैर-सरकारी व्यक्तियों का और अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिये । मैं उस सुझाव को भी स्वीकार करने के लिये तैयार हूं ।

एक माननीय सदस्य ने—मैं समझता हूं शायद श्री मुरारका ने यह कहा कि उन्माद को, किसी मन्त्री की अनर्हताओं में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया । इसके बारे में मेरा निवेदन है कि आज तक कोई उन्मत्त मन्त्री नियुक्त नहीं किया गया है और न ही आगे कभी नियुक्त किया जायेगा। अतः जब तक मन्त्री स्वयं पागल न होगा वह किसी भी पागल को नियुक्त न करेगा । इसलिये इस बार में किसी को कोई भय नहीं होना चाहिये ।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम) : ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति ने तो यह रपोर्ट दी है कि खाद्य तथा कृषि मन्त्री ही उस बोर्ड के सभापति होंगे । परन्तु आपने सभापति को सदस्य में से चुनने के बारे में उपबन्ध रखा है । यह बदला किस लिये ?

†**श्री ए० पी० जैन** : नहीं हमने ऐसा उपबन्ध नहीं रखा है । सभापति और उप-सभापति खाद्य और कृषि मन्त्री द्वारा चुने जायेंगे । दो निगमों की स्थापना के बारे में दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० पी० जैन]

गये हैं । श्री वेलायुधन द्वारा पूछे गये प्रश्नों का श्री श्यामनन्दन सहाय द्वारा बिल्कुल ठीक उत्तर दिया गया है । मैं समझ नहीं सका कि भाण्डार के निर्माण पर उन्हें क्या आपत्ति है ।

श्री कासलीवाल ने यह पूछा है कि हमने दो निगम स्थापित करने का निर्णय क्यों किया है । इस बात के सम्बन्ध में हमने प्रारम्भिक अवस्था में ही विचार किया था और मामले पर अच्छी प्रकार से विचार करने के बाद हमने यह अनुभव किया कि दो निगमों की स्थापना न ही केवल उचित है अपितु आवश्यक भी है । केन्द्रीय भाण्डार व्यवस्था निगम के पूंजी सम्बन्धी ढांचे के परीक्षण से ज्ञात होगा कि सरकार प्रारम्भिक रूप में ४ करोड़ रुपया देने वाली है और यह कि बीमा समवाय, राज्य बैंक अनुसूचित बैंक, संयुक्त स्कन्ध समवाय, अभिज्ञात संस्थायें, सहकारी संस्थायें, आदि ६ करोड़ रुपया देंगी । हमने यह अनुभव किया कि ६ करोड़ रुपया तभी प्राप्त किया जा सकेगा जबकि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय निगम स्थापित किया जायेगा । परन्तु यदि राज्यों में १६ या २० निगम स्थापित किये गये तो ये वाणिज्यिक समवाय इन सभी १६ या २० निगमों में धन न लगा सकेंगे । इन ६ करोड़ रुपये के आधार पर हम ६० करोड़ रुपया उधार ले सकते हैं । यदि हम केन्द्रीय निगम स्थापित न करते तो हम उधार लेने की शक्ति से वंचित हो जाते ।

विधेयक में यह भी लिखा हुआ है कि केन्द्रीय भाण्डार व्यवस्था निगम द्वारा जारी किये गये बन्ध पत्रों तथा ऋण पत्रों को भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत किया जायेगा । मैं राज्य सरकारों का अपमान तो नहीं करना चाहता परन्तु यह बिल्कुल सच है कि भारत सरकार की प्रत्याभूति राज्य सरकारों की प्रत्याभूति से अधिक पक्की है । इसलिये भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत कोई भी बन्ध पत्र, राज्य सरकारों द्वारा प्रत्याभूत बन्ध पत्रों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से प्रभावकारी हो सकेगा ।

कार्य संचालन की दृष्टि से भी यह बात अधिक हितकर सिद्ध होगी । केन्द्रीय भाण्डार व्यवस्था निगम कार्य संचालन में सहयोग देगा । माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि देश के कई भाग घाटे वाले क्षेत्र हैं जहां पर खाद्यान्न तथा अन्य कृषि सम्बन्धी वस्तुओं की अधिक मात्रा में खपत होती है । केन्द्रीय भाण्डागार व्यवस्था निगम उन वस्तुओं के लाने ले जाने और बेचने दोनों कामों में सहायता करेगा ।

यह कहा जा सकता है कि हमें केवल एक केन्द्रीय भाण्डागार-व्यवस्था निगम ही स्थापित करना चाहिये था, राज्य भाण्डागार-व्यवस्था निगम की कोई आवश्यकता नहीं थी । माननीय सदस्य मेरे इस कथन से सहमत होंगे कि यदि सारे देश के लिये केवल एक ही केन्द्रीय भाण्डागार-व्यवस्था निगम होता तो प्रशासन में बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता । सारांश यह है कि दो निगम अर्थात् केन्द्रीय भाण्डागार-व्यवस्था निगम तथा राज्य भाण्डागार-व्यवस्था निगम स्थापित करना एक अच्छी योजना है । लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक गोदामों के अर्जन और उनकी स्थापना का सम्बन्ध है, मैं केन्द्रीय भाण्डार व्यवस्था निगम के कार्यों को न्यूनतम तक सीमित रखना चाहूंगा और, जहां तक सम्भव होगा, हम राज्य भाण्डार व्यवस्था निगम द्वारा गोदामों की स्थापना को प्रोत्साहित करेंगे । मैं आशा करता हूं कि इससे माननीय सदस्य की बात पूरी हो जाती है ।

भाण्डार व्यवस्था निगम की पूंजी २० करोड़ रुपये से बढ़ाकर ३० करोड़ रुपये अथवा ५० करोड़ रुपये करने के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये गये हैं । कुछ सुझाव केन्द्रीय और राज्य भाण्डार व्यवस्था निगमों की पूंजी रचना बदलने के लिये भी दिये गये हैं । मुझे दुःख है कि मेरे लिये कोई भी परिवर्तन स्वीकार करना सम्भव नहीं होगा । माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि औद्योगिक वित्त निगम की प्राथित पूंजी केवल ५ करोड़ रुपये है । वास्तव में, इस केन्द्रीय भाण्डार व्यवस्था निगम की समस्त योजना प्राथित पूंजी को अपक्षाकृत निम्न तल पर रखना और मुख्यतः उधार द्वारा अपने संचालनों की

वित्त व्यवस्था करना है। विधेयक में ये शक्तियां केन्द्रीय भाण्डार व्यवस्था निगम को पर्याप्त रूप से दी गई हैं। इस बैंक द्वारा जारी किये गये बन्ध पत्रों और ऋण पत्रों को केन्द्रीय सरकार जो प्रत्याभूति प्रदान करेगी उसके अतिरिक्त वह भारत के रक्षित बैंक से उधार ले सकता है, वह राज्य बैंक से उधार ले सकता है, वह केन्द्रीय सरकार से उधार ले सकता है और वह विकास और भाण्डार व्यवस्था बोर्ड से उधार ले सकता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इन गोदामों और भाण्डारों की स्थिति के सम्बन्ध में जोरदार शब्दों में अपने विचार व्यक्त किये। मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयत्न किया। मुझे खेद है कि मेरे समझाने में अवश्य ही कोई गलती रही होगी, इसी कारण मैं माननीय सदस्यों के समक्ष सही चित्र नहीं रख सका। हम गांवों में बहुत से गोदाम बनाने का विचार कर रहे हैं। उनका स्वामित्व बड़े आकार की सहकारी समितियों के हाथ में होगा। जैसा कि मैंने कहा, इनमें से प्रत्येक सहकारी समिति ५ से लेकर ९ गांवों तक की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। उन ५ से लेकर ९ तक गांवों के छोटे उत्पादक, जो सहकारी समिति के सदस्य हैं, इन छोटे गोदामों में अपनी पैदावार जमा करेंगे। यह इसका संग्रह पक्ष है।

फिर, एक 'पाइप-लाइन' होगी जो सहकारी विपणन समितियों, राज्य भाण्डार व्यवस्था निगम और केन्द्रीय भाण्डार व्यवस्था निगम में होकर गुजरेगी। वह इन छोटे ग्राम-गोदामों में संग्रहीत कृषि सम्बन्धी पैदावार को इकट्ठा करेगी और उसे इस 'पाइप लाइन' के माध्यम से बड़े बाजारों में ले जायेगी जहां खाद्यान्नों और अन्य कृषि सम्बन्धी पैदावार का पूरा मूल्य वसूल किया जायेगा जो अन्त में मूल उत्पादक के पास वापस चला जायेगा।

उसका वित्त व्यवस्था पक्ष भी है। एक माननीय सदस्य ने ---मैं समझता हूं वह डा० जयसूर्य थे---कहा.....

†**अध्यक्ष महोदय** : 'पाइप-लाइन' से आपका क्या तात्पर्य है ?

†**श्री ए० पी० जैन** : हम पैदावार को पहले प्राथमिक साख समितियों द्वारा संचालित छोटे ग्राम गोदामों में संग्रहीत करेंगे। 'पाइप लाइन' से मेरा तात्पर्य यह है कि ये खाद्यान्न विपणन सहकारी समितियों, राज्य भण्डार, केन्द्रीय भण्डार के माध्यम से बड़े बाजारों में बेचे जाते हैं। वह एक निरन्तर कड़ी होती है। मैंने 'पाइप लाइन' शब्द का प्रयोग उपलक्षण के रूप में किया था।

अस्तु, मैं इसके वित्त व्यवस्था पक्ष के सम्बन्ध में कह रहा था। जब पैदावार ग्राम गोदामों में जमा हो जाती है तो सहकारी समिति पैदावार के बदले में खेतिहरों को धन दे सकती है। जब पैदावार ग्राम गोदामों से विपणन सहकारी समितियों के भण्डारों में जाती है तो भाण्डार व्यवस्था रसीदें जारी की जायेंगी। ये रसीदें बैंक में जमा की जा सकती हैं और रुपया लिया जा सकता है। इस तरह, यह केवल कृषि सम्बन्धी पैदावार के संग्रहण की प्रणाली नहीं है वरन् वित्त व्यवस्था का उपबन्ध करने और पैदावार के विपणन की नियमित प्रणाली है। इसी कारण से भारत के इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसको भारत के राज्य बैंक में परिवर्तित किया गया और उसका विस्तार किया जा रहा है।

इन मुख्य बातों के बाद मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कतिपय अन्य प्रश्नों को लूंगा। बहस के दौरान में और संशोधनों में अनेक वस्तुओं को "कृषि सम्बन्धी पैदावार" की परिभाषा में सम्मिलित करने के लिये अनेक सुझाव दिये गये हैं। यह सुझाव दिया गया है कि गुड़, चीनी, सब्जियों, मसालों, तम्बाकू, हैम्प, हल्दी, नारियल, नारियल की जटा और उससे बनी वस्तुओं, नारियल की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० पी० जैन]

गरी, चाय और फलों को, फल उत्पादों और रेशम को सम्मिलित करते हुए, इस परिभाषा में सम्मिलित कर लिया जाये ।

इस विधि के पास करने में हम संविधान की सप्तम अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि ३३ से बन्धे हुए हैं । उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है :

"..... में व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, सम्भरण और वितरण,

मैं उन भागों को छोड़ता जा रहा हूं जो इस विधेयक से सम्बन्ध नहीं रखते--

"खाद्यान्न, खाद्य तिलहनों और तेलों को सम्मिलित करते हुए;
पशुओं का चारा, खली और अन्य संकेन्द्रित पदार्थों को सम्मिलित करते हुए;
कच्ची रुई, धुनी या बिना धुनी, और रुई के बीज; और
कच्चा पटसन ।"

हमें अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार नहीं है ।

†**श्री ए० एम० थामस** : यह सक्षम विधान है और इसमें राज्य के क्षेत्र के अतिक्रमण का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री ए० पी० जैन** : हमने महान्यायवादी से परामर्श कर लिया है और उनका यही मत है कि इस विधान को संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची ३ की प्रविष्टि ३३ तक ही सीमित रखना आवश्यक है ? यह किसी को बाध्य करने या न करने का प्रश्न नहीं है । यह विधायिनी शक्तियों का प्रश्न है और केन्द्र की विधायिनी शक्तियां इन्हीं अनुच्छेदों तक सीमित हैं ।

यहां मैं यह भी बता दूं कि 'खाद्यान्न' का निर्वचन उदारता से किया गया है ताकि पोषण के लिये खाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु सम्मिलित हो जाये । उसमें चीनी, गुड़, आटा, नमक, सरसों, गोल मिर्च और अन्य अनेक चीजें सम्मिलित हैं ।

†**एक माननीय सदस्य** : तम्बाकू ?

†**श्री ए० पी० जैन** : लोक-सभा के लिये यह सम्भव नहीं होगा कि वह संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची ३ की प्रविष्टि ३३ में सन्निहित वस्तुओं में कोई वस्तु बढ़ाये ।

श्री के० सी० सोधिया ने यह आपत्ति की कि हमने उस मन्त्रणा निकाय की स्थापना का उपबन्ध क्यों नहीं किया है जिसकी सिफारिश ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने की थी । मैं ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति द्वारा प्रतिवेदन के पृष्ठ ४०२ में की गई सफिारिशों को पढ़कर सुनाना चाहूंगा :

"..... हम एक मन्त्रणा परिषद् के निर्माण की सिफारिश करेंगे जिसमें समस्त अथवा अधिकांश राज्यों का प्रतिनिधित्व हो और इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्री, सहकारी आदि सम्मिलित हों । इस परिषद् की बैठक वर्ष में एक बार होनी चाहिये और यदि आवश्यक हो तो दो बार भी हो सकती है । ..... यह परिषद् रक्षित बैंक के कार्यों और भारत सरकार के खाद्य और कृषि मन्त्रालय के संगत कार्यों और उसके अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास और भाण्डार व्यवस्था बोर्ड से सम्बन्धित अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण कार्यों के लिये एक ही हो सकती है । दूसरे शब्दों में, खाद्य और कृषि मन्त्रालय, राष्ट्रीय सहकारिता विकास और भाण्डार व्यवस्था बोर्ड और रक्षित बैंक के लिये एक ही सामान्य मन्त्रणा समिति हो सकती है ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

निगम विधेयक

हमने ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और हम एक मन्त्रणा समिति स्थापित करना चाहते हैं, परन्तु हमने उसके लिये इस कानून में इसलिये उपबन्ध नहीं किया कि यह मन्त्रणा निकाय केवल खाद्य और कृषि मन्त्रालय और इस विधेयक द्वारा निर्मित विकास बोर्ड के सम्बन्ध में ही कार्य नहीं करेगा वरन् रक्षित बैंक का भी । इसलिये माननीय सदस्य को कोई भय नहीं होना चाहिये । मन्त्रणा समिति अथवा निकाय स्थापित किया जायेगा यद्यपि इस विधेयक में उसका उपबन्ध नहीं किया गया है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार के सहकारिता आन्दोलन में भाग लेने के सम्बन्ध में चेतावनी दी । वह कोई गम्भीर आपत्ति नहीं थी । वास्तव में, आज इस बात को अधिक अनुभव किया जा रहा है कि यदि सहकारिता आन्दोलन को वास्तविक प्रोत्साहन देना है, यदि उसको सफल बनाना है, तो सरकार को पूरी तरह भाग लेना चाहिये । सरकार ने अंश पूंजी में भाग लेने का निर्णय कर लिया है, परन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारा उद्देश्य मूल समितियों की अंश पूंजी में स्थायी रूप से भाग लेना नहीं है । जैसे ही सहकारी समितियों के सदस्य अपनी स्वयं की पूंजी का अंशदान करने की स्थिति में हो जायेंगे हम सरकारी पूंजी लौटा देंगे और मूल समिति, जो अभी तक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पूर्णतः सदस्यों के हाथ में आ जायेगी । हमारे उसमें रहते हुए भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि प्रतिदिन के कार्य-करण में हस्तक्षेप किया जाये । हमारा कार्य केवल सहायता करने का है और हम तभी भाग लेते हैं जब नीति के प्रश्न या कोई मुख्य वित्तीय सुधार उपलक्षित होते हैं । अन्यथा, शेष कार्यकरण अन्य सदस्यों के हाथ में छोड़ दिया जायेगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने किसानों को सहकारी समितियों का सदस्य बनने को बाध्य करने का प्रश्न उठाया । सहयोग इच्छा पर निर्भर करता है । उसका अर्थ अनिवार्यतः अपने आपका विकास है । अभी तक हम सहयोग को स्वेच्छा से किया गया आन्दोलन मानते आये हैं, और यही कारण है कि जब सरकार ने बहुत अधिक प्रवेश करना चाहा तो गैर-सरकारी सहकारियों की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई थी । चीन भी, जहां भिन्न प्रकार की व्यवस्था है, यह कहने में गर्व करता है कि वहां का सहकारिता आन्दोलन ऐच्छिक है । अब, यदि हम किसी प्रकार की बाध्यता रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि आन्दोलन की उन्नति होने के बजाय आन्दोलन के विरुद्ध सामान्य उदासीनता उत्पन्न हो जायेगी । फिर भी इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें कर्ज के वितरण में, बीजों, उर्वरकों और अन्य चीजों के सम्भरण में, अधिकतम सीमा के परिणामस्वरूप और अन्यथा उपलब्ध होने वाली भूमि के वण्टन में आन्दोलन को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । हमें सहकारी समितियों को निरपेक्ष अग्रिमता देनी चाहिये । परन्तु मैं समझता हूं यदि सहकारिता आन्दोलन में अनिवार्यता के तत्व का समावेश किया जायेगा तो वह घातक होगा ।

थोड़ा-सा उल्लेख राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक परियोजनाओं और उनके सहकारिता आन्दोलन से सम्बन्ध के बारे में भी किया गया था । राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना और सामुदायिक परियोजनाओं के अन्तर्गत उद्देश्य यह है कि प्रत्येक परिवार का अपने लिये अधिक उत्पादन का कार्यक्रम होना चाहिये और प्रत्येक परिवार को किसी एक सहकारी समिति का सदस्य होना चाहिये । अन्तिम लक्ष्य यह है । उसकी प्राप्ति में कुछ समय लगेगा, परन्तु उपक्रम के सहकारी स्वरूप का विकास राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक परियोजनाओं की एक मुख्य जिम्मेदारी है ? सहकारी समितियों का एकीकृत और सुनियोजित जाल स्थापित किये बिना ग्रामीण क्षेत्र की पूर्ण प्रगति सम्भव नहीं हो सकेगी, और सामुदायिक परियोजना प्रशासन विशेष दिलचस्पी ले रहा है और उस प्रशासन को निर्देश दिये गये हैं कि उसको ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी उत्पादन, विपणन, विधायन (प्रोसेसिंग) आदि में सक्रिय दिलचस्पी लेनी चाहिये ।

[श्री ए० पी० जैन]

कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि विधेयक निगम के कार्यकरण का ब्योरा नहीं प्रदान करता । यह बहुत स्वाभाविक है । एक स्वायत्तशासी निगम के कार्यकरण का ब्योरा देना सम्भव नहीं है जबकि सामान्य नीति निर्धारित की जा रही हो और कानून द्वारा रचना का उपबन्ध किया जा रहा हो । ब्योरा बोर्ड और निगम द्वारा तैयार किया जायेगा । कुछ बहुत कीमती सुझाव दिये गये हैं और मैं उन सुझावों को बोर्ड और निगम के पास भेज दूंगा । मैं आशा करता हूं वे उन पर विचार करेंगे ।

माननीय सदस्य श्री अशोक मेहता ने ठीक ही कहा कि भाण्डारों में संग्रहण का मूल्य कम से कम रखा जाना चाहिये । उन्होंने परिवहन और संचार सुविधाओं पर भी जोर दिया । वे सब आवश्यक चीजें हैं और यही कारण है कि बोर्ड में रेलवे बोर्ड और परिवहन मन्त्रालय दोनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है । हम उन सब बातों को नोट करेंगे ।

भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं श्री मुरारका द्वारा उठाई गई आपत्ति का निर्देश करूंगा । उन्होंने कहा "हम से बड़ी निधियों का वण्टन करने के लिये कहा जा रहा है; फिर भी हमें यह नहीं बताया गया कि सरकार कितने लाभांश की प्रत्याभूति देगी ।" नवयुवक श्री मुरारका पूंजीपति वर्ग के हैं और वह भली प्रकार जानते हैं कि पूंजीपति अवयस्क बच्चे के नाम से बैंक में लेखा प्रारम्भ कर देते हैं । परन्तु मैं अभी तक इस वर्ग के किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता हूं जो बिना पैदा हुए बच्चे के नाम से ही बैंक में लेखा प्रारम्भ कर देता हो । इस बोर्ड का जन्म होने जा रहा है और ब्योरा तैयार किया जायेगा । भारतीय वित्त निगम का पूर्व दृष्टान्त भी है जिसमें सरकार द्वारा २-१/४ प्रतिशत लाभांश की प्रत्याभूति दी गई है । इन सब बातों का ब्योरा तैयार किया जायेगा ।

†**श्री मुरारका** (गंगानगर–झुंझनू) : मेरी आपत्ति यह नहीं है कि सरकार ने लाभांश की प्रत्याभूति दी है । मेरी आपत्ति यह है कि विधेयक में ब्याज की दर का उल्लेख नहीं है ।

†**श्री ए० पी० जैन** : मैंने ठीक यही कहा था । लेखा बच्चा पैदा होने के बाद खोला जाता है, उसके पूर्व नहीं । इस बोर्ड का जन्म होने वाला है और ये सब चीजें बाद में निश्चित की जायेंगी ।

†**श्री मुरारका** : भारतीय वित्त निगम के सम्बन्ध में इसका उल्लेख विधेयक में किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कई तरीके हो सकते है । अधिनियम में इसका उपबन्ध किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है ।

†**श्री ए० पी० जैन** : हम माननीय सदस्यों द्वारा इस सभा में दिये गये सभी सुझावों पर ध्यान देंगे और इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों तथा जनता के सहयोग पर निर्भर रहूंगा । मैं वचन देता हूं कि जहां तक मेरे मन्त्रालय, बोर्ड तथा निगम का प्रश्न है, हमें सदैव इस बात पर प्रसन्नता होगी और हम गैर-सरकारी सहयोग का यथासम्भव स्वागत करेंगे ।

†**श्री बी० के० दास** (केटाई) : माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सरकार प्राथमिक समितियों में वित्तीय भागीदार बनने का विचार नहीं कर रही है ।

†**श्री ए० पी० जैन** : प्रारम्भ में हम भागीदार बनेंगे किन्तु हालात ठीक हो जाने पर हम अपनी पूंजी वापस ले लेंगे ।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन): विलेज स्टोर हाउस (गांव के गोदाम) में जो किसान अपना गल्ला ले जायेगा उसको किस रेट (दर) से गल्ले की कीमत मिलेगी ? जो

†मूल अंग्रेजी में

लोकल एरिया (स्थानीय) का रेट होगा वह मिलेगा या कि सरकार का कोई डाइरेक्शन (निदेश) रहेगा कि इस हिसाब से किसान को मिले।

श्री ए० पी० जैन : यह तो मैं कह चुका कि सबकी सब बातें हर इलाके के वास्ते तय होंगी। जो-जो भाव होंगे उन्हीं के हिसाब से कीमत दी जायेगी।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : क्या जो कंट्री के किसान हैं वह अब बड़ी-बड़ी मन्डियों, जैसे कलकत्ता और बम्बई, के गोदामों में अपना अनाज रख सकेंगे ?

श्री ए० पी० जैन : चौधरी साहब तो बड़े किसान हैं, उनको हम यह सहूलियत देने की जरूर कोशिश करेंगे।

चौ० रणवीर सिंह : यह गाली देने का अच्छा तरीका है।

श्री बंसल : मेरे ख्याल में श्री विभूति मिश्र का सवाल यह था कि जब कोई किसान किसी वेयरहाउस में अपना गल्ला ले जायेगा तो उसको उसकी कीमत का कितना भाग मिलेगा।

श्री ए० पी० जैन : यह तफसील तो बनाई जायेगी, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सहकारी सिद्धान्तों पर कृषि उत्पाद की भाण्डागार व्यवस्था और विकास के लिये तथा तत्सम्बन्धी मामलों के लिये निगमों के विनियमन तथा निगमन का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ (परिभाषायें)

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। खण्ड २ पर निम्न-लिखित संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे संशोधन संख्या ६, ११२, ३२, ३४, ५५, ५६, ५७ और ५८।

†**श्री राने** (भुसावल) : मैं संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री शेषगिरि राव** (नन्दयाल) : मैं संशोधन संख्या ११२ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : मैं संशोधन संख्या ३२ और ३४ प्रस्तुत करता हूं।

†**सरदार इकबाल सिंह** (फाजिलका–सिरसा) : मैं संशोधन संख्या ५५, ५६, ५७ और ५८ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सारे संशोधन सभा के समक्ष हैं।

†**श्री राने** : वस्तुतः माननीय मंत्री जी के आश्वासनों से मेरे संशोधनों का प्रयोजन हल हो गया है। उन्होंने आस्वासन दिया है कि इस अधिनियम में खाद्यान्नों के अन्तर्गत, आलू, धान, हल्दी इत्यादि भी आ जायेगी। अब केवल तम्बाकू का प्रश्न रह गया है। गुजरात, कोल्हापुर तथा अन्य जिलों के कई किसान तम्बाकू की खेती करते हैं तथा तम्बाकू से हमारे देश के करोड़ों रुपये प्रति वर्ष की आय भी होती है और यह सड़ने गलने वाली वस्तु भी नहीं है। अतः इसे खण्ड २ में शामिल करना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री जी ने यह कहा है कि समवर्ती सूची के अनुसार तम्बाकू केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में नहीं आता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राने** : मैं इस बात को भी लेता हूं। यद्यपि सरकारी विशेषज्ञों ने यह कहा है कि कुछ वस्तुयें लेने से यह बात विधेयक की शक्ति के बाहर हो जायेगी इस सम्बन्ध में मेरा इतना ही निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी इस मामले की जांच करवायें। मेरे विचार से यह विधेयक प्रथम अथवा द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। द्वितीय योजना के मसविदे के पृष्ठ ७२ में भाण्डार कार्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख भी किया गया है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि २० में यह स्पष्ट कहा गया है कि आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में संसद् द्वारा विधान पारित किया जा सकता है। अतः मेरे विचार में तम्बाकू को शामिल करना विधेयक की शक्ति के परे नहीं कहा जा सकता है।

†**श्री शेषगिरि राव** : मेरा संशोधन ११२ बहुत सीधा है मैं विधेयक में वनस्पति तेलों को भी शामिल करना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें वानस्पतिक तेल तो शामिल हैं। क्या वानपस्तिक तेल तथा खाद्य तेलों में कोई अन्तर है ?

†**श्री ए० पी० जैन** : वानस्पतिक तैल खाद्य तथा अखाद्य दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। इसमें सारे खाद्य तैल शामिल हैं।

सरदार इकबाल सिंह : मैं अपनी एमेंडमेंट नम्बर ५८ की बाबत कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक टी (चाय) का सवाल है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कांस्टीट्यूशन के तहत जो सबजेक्ट आते हैं, उनके मुताबिक लैजिस्लेट कर सकती है। जहां तक गुड़ का सवाल है, अगर हम कांस्टीट्यूशन को ठीक तरह से इंटरप्रेट करें, तो उसको भी हम इस बिल में स्थान दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि इस विधेयक में तिलहन तरकारियों व फल इत्यादि चीजों को भी इस क्लाज २ में शामिल कर लिया जाये। अगर हमने ऐसा किया तो मैं समझता हूं हम किसी तरह से भी कांस्टीट्यूशन की प्राविज़ंस को वायोलेट नहीं करेंगे। इस वास्ते में आशा करता हूं कि यह जो मेरी एमेंडमेंट नम्बर ५८ है, इसको मंजूर कर लिया जायेगा।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : माननीय मंत्री जी के स्पष्टीकरण के पश्चात मुझे अधिक नहीं कहना है। आलू के सम्बन्ध में मैं विशेष जानकारी चाहता था कि क्या उन्हें भी शामिल किया है। संशोधन में शब्दों की अशुद्धि रह गई है 'पैपर' (गोल मिर्च) के स्थान पर 'पेपर' (कागज) लिखा गया है। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि पटसन के साथ 'हेम्प' (पटुआ) को भी इसमें शामिल किया जाये।

†**श्री ए० एम० थामस** : मैं माननीय मन्त्री जी के इस तर्क से प्रभावित नहीं हुआ कि हम केवल उन्हीं वस्तुओं के लिये विधान बना सकते हैं जिनका उल्लेख समवर्ती सूची में है। वस्तुतः खण्ड ९ के अनुसार बोर्ड का कार्य ऋण तथा अन्य सुविधायें प्रदान करना है मेरे विचार में इस सूची में कुछ अन्य वस्तुयें शामिल करने से हम संविधान के उपबन्धों पर कोई आघात नहीं करेंगे। हमारे राज्य में गोल मिर्च, अदरक, अगिया घास का तेल, टेपिओका इत्यादि महत्वपूर्ण वस्तुयें हैं, जिन्हें कृषि उत्पाद की परिभाषा के अन्तर्गत लाना चाहिये अन्यथा इस विधेयक में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। जब श्री राने अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे थे तो श्री श्यामनन्दन सहाय ने यह कहा था कि राज्य-विधान बना कर किसी भी वस्तु को कृषि उत्पादों के अन्तर्गत ला सकते हैं; किन्तु खण्ड ३४ के अधीन ऐसा करना सम्भव नहीं है क्योंकि उसमें स्पष्टतः लिखा है कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, एक राज्य भाण्डार निगम अमुक-अमुक नियम बना सकता है, इत्यादि। मैं माननीय मंत्री से निवेदन

†मूल अंग्रेजी में

करूंगा कि वे इसे स्पष्ट करें कि क्या राज्य सरकारें, भाण्डार निगमों के गठन से सम्बन्धित अधिनियम बनाते समय इन वस्तुओं को भी सम्मिलित कर सकती है अन्यथा राज्य बोर्ड और राज्य निगम इस अधिनियम के अधीन दी गई सुविधाओं से लाभ नहीं उठा सकेंगे। यदि अधिनियम में केवल यह उपबन्ध रख दिया जाये कि ऐसे मामलों में भाण्डार निगम तथा बोर्ड, राज्यों की सहायता करेगा, तो बहुत कुछ प्रयोजन हल हो जायेगा । उदाहरण के लिये, अगिया घास का तेल लीजिये जो एक बहुमूल्य पहाड़ी उत्पाद है। इसके साथ ही हम जानते हैं कि टेपिओका के संग्रह के लिये सैंकड़ों सहकारी समितियां हैं। लेकिन वे इस अधिनियम के उपबन्धों का लाभ नहीं उठा सकती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि हम कृषि उत्पाद का क्षेत्र बढ़ा दें तो इससे संविधान के उपबन्धों का कोई उल्लंघन नहीं होगा। एक संशोधन में कहा गया है "ऐसी कोई अन्य वस्तु जिसका केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट (सूचनापत्र) में उल्लेख करे।" इस बात के स्वीकार कर लेने पर किसी भी आकस्मिकता का सामना किया जा सकता है। हम लोग नहीं जानते हैं कि महान्यायवादी ने क्या कहा है; किन्तु यदि माननीय मन्त्री जी उसे हमें बता दें तो सम्भव है इस विषय पर अधिक प्रकाश पड़े क्योंकि मेरे विचार में हम प्रत्येक वस्तु को भाण्डार में रखने के अधिकारी हैं। इस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना अनुचित है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मेरे विचार में यदि इस विधेयक का क्षेत्र नहीं बढ़ाया जायेगा तो इसका प्रभाव बहुत सीमित रहेगा और कई राज्य तथा कई वस्तुओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अतः हमें राज्यों के परामर्श तथा सहमति से इसमें कुछ अन्य वस्तुयें भी शामिल करनी चाहियें। उदाहरणार्थ, तम्बाकू बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है इस सम्बन्ध में हमें विधि में संशोधन करके हमें खेती के उत्पाद की परिभाषा के अन्तर्गत सभी ऐसी वस्तुयें शामिल करनी चाहिये जिनसे उन विशेष राज्यों को जो उन विशेष वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, लाभ प्राप्त हो।

†**श्री ए० पी० जैन** : संगत उपबन्ध खण्ड ६, उपखण्ड १ होगा।

".....बोर्ड का कार्य, किसी सहकारी समिति अथवा भाण्डार व्यवस्था निगम के द्वार कृषि उत्पादों के उत्पादन, विधायन, विपणन, संग्रह, भाण्डार व्यवस्था तथा आयात और निर्यात के कार्यक्रम बनाना अथवा उन्हें प्रोत्साहित करना होगा।"

यह केवल भाण्डार व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। इसमें उत्पादन, विधायन, इत्यादि भी आते हैं। इसलिये हमें अनुसूची ७ की प्रविष्टि ३३ तक ही सीमित रहना होगा। मैं माननीय सदस्यों के दृष्टिकोण का आदर करता हूं। श्री थामस ने टेपिओका का जिक्र किया है। वह खाद्यान्नों की परिभाषा के अन्तर्गत आयेगा। गोलमिर्च (पैपर) भी इसी परिभाषा के अन्तर्गत आती है; किन्तु तीन महत्वपूर्ण वस्तुओं, यथा, हेम्प (पहुआ) तम्बाकू और अगियाघास का तेल में से तम्बाकू व हेम्प परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आयेंगे हमें उक्त दो चीजों के सम्बन्ध में निश्चित परामर्श दिया गया है। हमारे लिये इन दोनों वस्तुओं को इस समय कृषि उत्पाद की परिभाषा के अन्तर्गत रखना सम्भव नहीं हो सका है। किन्तु यह मार्ग सदैव के लिये बन्द नहीं हुआ है। राज्य कृषि उत्पाद की परिभाषा के अन्तर्गत किसी भी वस्तु को जोड़ अथवा घटा सकती है। राज्य हमारी सहमति से विधान बना सकते हैं। हम केवल अपनी सहमति ही नहीं देंगे, अपितु हम राज्य सरकारों से ऐसी विधि पारित करने को कहेंगे कि यदि किसी विशेष राज्य में कोई विशेष महत्व की वस्तु हो तो वह उसे कृषि उत्पाद की परिभाषा के अन्तर्गत शामिल कर सकती है। अथवा हम संविधान के अनुच्छेद २५२ के अधीन कार्यवाही कर सकते हैं, और हम एक से अधिक राज्यों के लिये अधिनियम बना सकते हैं। किन्तु मुझे आशंका है कि इस खण्ड में जो कुछ है उसके अतिरिक्त और कोई बात स्वीकार करना मेरे लिये सम्भव नहीं है। मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि यथासम्भव अधिक से अधिक कृषि उत्पाद सम्मिलित करने के लिये मैं यथासम्भव प्रत्येक कार्यवाही करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० पी० जैन]

†**श्री केलप्पन** (पोन्नानी) : मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या अगियाघास (लेमन-ग्रास) तेल वनस्पति तेल नहीं है ।

†**श्री ए० पी० जैन** : मेरे विचार से वह वैसा ही होगा । उसमें खाद्य तेल और अखाद्य तेल दोनों ही सम्मिलित हैं । मैं समझता हूं कि वह वनस्पति तेल की परिभाषा के अन्तर्गत आयेगा किन्तु मैं कोई बहुत अधिकारपूर्ण राय देने के योग्य नहीं हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य बात यह है कि समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या ३३ के अधीन, केवल व्यापार और वाणिज्य निषिद्ध है और न कि गोदाम में माल रखना अत: बहुत अधिक मूल्य की सभी वस्तुओं जैसे तम्बाकू आदि के लिये सुविधायें दी जा सकती हैं । वहां व्यापार का कोई प्रश्न नहीं है । निगम उनके रखने, सुखाने अथवा उन्हें सेवायें देने के लिये कुछ शुल्क ले सकता है । इस पर विचार किया जाये ।

दूसरी कठिनाई यह प्रतीत होती है कि यदि यही परिभाषा हो और केवल केन्द्र को ही निगम बनाना हो, तो वह राज्यों के लिये बाध्य होगा । राज्य विधान मण्डलों को इस विधि में कोई बात जोड़ने का अधिकार नहीं है । निगम यही स्थापित करता है और उसके कार्यों के विस्तार यहीं दिये जायेंगे । अत: यह ठीक ही पूछा गया है कि क्या "कृषि उत्पाद" की परिभाषा राज्यों के लिये भी बाध्य होगी । माननीय मंत्री कृपया इस विषय पर विचार करें ।

एक दूसरी बात भी है । श्री राने ने खण्ड ९ के अधीन, बोर्ड के कार्यों की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट किया है । उनका कहना है कि यह प्रविष्टि संख्या २० के अधीन, जिस में आर्थिक योजना का निर्देश है, लायी जानी चाहिये । हम यह मान लेते हैं कि उत्पादन, विपणन भाण्डार, गोदाम में माल रखने आदि के लिये योजना अखिल भारतीय आधार पर बनाई जायेंगी । बोर्ड का कार्य केवल व्यापार और वाणिज्य ही नहीं बल्कि अन्य बातें भी हैं ।

†**श्री ए० पी० जैन** : प्रविष्टि संख्या ३३ में उत्पादन भी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सभा के समक्ष संशोधन मतदान के लिये रखूंगा ।

†**श्री राने** : मैं अपने संशोधन संख्या ६ के लिये आग्रह नहीं कर रहा हूं और मैं उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने सभा के समक्ष शेष सभी संशोधन संख्या ११२, ३२, ३४, ५५ और ५७ मतदान के लिये रखे और वे अस्वीकृत हुए ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : मैं संशोधन संख्या ५६ और ५८ को वापिस लेना चाहता हूं ।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस लिये गये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३—(राष्ट्रीय सहकारी विकास और भाण्डागार-व्यवस्था बोर्ड की स्थापना)

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राने** : मैं संशोधन संख्या ७ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : मैं संशोधन संख्या ३५ और ३६ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री एन० राचय्या** (मैसूर—रक्षित अनुसूचित जातियां): मैं संशोधन संख्या १५३ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री विभूति मिश्र** (सारन व चम्पारन) : मैं संशोधन संख्या ६१ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री मादिया गौडा** (बंगलौर—दक्षिण) : मैं संशोधन संख्या ६२ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी संशोधन अब सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री मादिया गौडा** : प्रस्थापित बोर्ड में १४ सरकारी और ७ गैर-सरकारी व्यक्ति होंगे । मैं माननीय मंत्री के इस कथन से पूर्ण सहमत हूं कि लोकतन्त्र में हमें सरकारी और गैर-सरकारी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिये । किन्तु मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अधिकतर हमारे पदाधिकारी सभी प्रकार की प्राविधिक कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं और किसी भी परियोजना को अच्छी प्रकार कार्यान्वित करना कठिन बनाते हैं । अतः मैं यह आवश्यक समझता हूं कि ग्रामीण जनता के कल्याण के लिये इस प्रकार के विधेयक में सरकारी और गैर-सरकारी पदाधिकारियों की संख्या बराबर कर दी जाये । इसलिये हमने अधिक संख्या की प्रस्थापना न करते हुए इस संशोधन में केवल दस की ही प्रस्थापना की है और आशा है कि वे यह संशोधन स्वीकार करेंगे ।

†**श्री एन० राचय्या** : माननीय मंत्री की घोषणा के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों की संख्या २० है । ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने १४ सदस्यों के लिये सिफारिश की है किन्तु सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि वह संख्या कम से कम २५ कर दी जाये ताकि खेतिहर मजदूरों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके । औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक मजदूरों के संगठित होने के कारण उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है किन्तु खेतिहर मजदूरों की बहुत उपेक्षा की गयी है । लोकतन्त्र के इस युग में जमींदारों द्वारा उनका और अधिक शोषण हमारे लोकतन्त्र के लिये एक बहुत बड़ा खतरा है । सामान्य चर्चा के अपने उत्तर में मंत्री ने मध्यम और छोटे भूमिधरों की सहायता के लिये कुछ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है किन्तु उन्होंने भूमिहीन मजदूरों के बारे में कुछ नहीं कहा है । सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वे खेतिहर मजदूरों की उपेक्षा न करें क्योंकि वास्तव में वे ही खेती के उत्पादन के लिये उत्तरदायी हैं ।

बोर्ड की सदस्यता के सम्बन्ध में, मैं श्री मादिया गौडा के संशोधन का पूर्ण समर्थन करता हूं, जिस के द्वारा बोर्ड में गैर-सरकारी पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है । हमारे पदाधिकारी बुद्धिमान और कार्यक्षम अवश्य हैं किन्तु वे गरीबों के प्रति सहृदय नहीं होते और उनका दृष्टिकोण लोकतन्त्रात्मक नहीं होता । माननीय मन्त्री ने कहा था कि सरकारी और गैर-सरकारी में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये और यदि ऐसा है, तो वे गैर-सरकारी व्यक्तियों में से ही बीस सदस्यों के नाम निर्देशित क्यों नहीं करते ? यदि सरकार को जनता में और जनता के प्रतिनिधियों में कुछ विश्वास है तो उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये । माननीय मन्त्री से मेरी प्रार्थना है कि वे इस सुझाव पर विचार करें और मेरा संशोधन स्वीकार करें । यदि आवश्यक हो तो सरकार बोर्ड के सदस्यों की संख्या २० से २५ भी कर सकती है किन्तु कम से कम पांच सदस्य खेतिहर मजदूरों में से होने चाहिये । वे इस विधेयक के उपबन्धों का प्रचार कर हमारा वास्तविक उद्देश्य पूरा कर सकते हैं । अतः प्रार्थना है कि माननीय मन्त्री मेरा संशोधन स्वीकार करें ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन० राचय्या]

†**श्री एन० बा० चौधरी :** विधेयक के अनुसार, बोर्ड में २० सदस्य होंगे। मैं केवल यह चाहता हूं कि खण्ड ३, उपखण्ड २ के पद (१) में "दस" की जगह "छः" कर दिया जाये और तब अखिल भारतीय संस्थाओं या सहकारिता संगठनों के चार प्रतिनिधि सदस्यों के लिये उपबन्ध बनाये जायें। पद (५) के अनुसार २० सदस्यों में से ७ गैर-सरकारी सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे जिनमें से एक ग्रामीण अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ होंगे और चार व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें सहकारी संस्थाओं का अनुभव होगा जिन में से एक को सहकारी शिक्षा का विशेष ज्ञान होगा। किन्तु उसके साथ ही यदि अखिल भारतीय संस्थाओं के चार प्रतिनिधियों के लिये उपबन्ध बनाया जाये, तो कोई हानि नहीं है। अब भी सरकार अपने छ प्रतिनिधि रख सकती है जैसे वायदा बाजार आयोग के अध्यक्ष, रक्षित बैंक और राज्य बैंक के प्रतिनिधि आदि। यदि अखिल भारतीय सहकारी संगठनों के चार प्रतिनिधि सदस्य हों तो कोई हानि नहीं है। वे भी सरकार द्वारा ही नाम निर्देशित किये जायेंगे। अतः यह संशोधन स्वीकार किये जाने में मैं कोई कठिनाई नहीं देखता।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट नम्बर ६१ बड़ा साधारण है और वह इस प्रकार है:

> पृष्ठ ३, पंक्ति ४ के पश्चात् जोड़ा जाये "परन्तु जहां तक हो सके ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के नाम निर्देशन में वरीयता दी जानी चाहिये"।

इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस बोर्ड में यह जो कुल मिला कर आप २० आदमियों को नामिनेट करेंगे तो जाहिर है कि आप उनमें अपने अफसरों को ही रखेंगे, खैर इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा कि आप ऐसे अफसरान को उस बोर्ड में रखिये जो विलेज माइंडेड हों और जो गांव वालों की जिन्दगी और उनकी समस्याओं से परिचित हों क्योंकि जो सिटी माइंडेड लोग होते हैं वे देहात वालों की जिन्दगी और उनकी विभिन्न समस्याओं और कठिनाइयों से बिलकुल अपरिचित होते हैं और मैं उदाहरण देकर आपको बतलाना चाहता हूं कि जब मैं कालिज में पढ़ता था तो मेरे एक सहपाठी थे जो कि शहर के रहने वाले थे और वह देहाती जिन्दगी से इतने अनभिज्ञ थे कि उन्होंने मुझ से एक बार पूछा था कि धान का दरख्त कितना बड़ा होता है, वह धान के पौधे को दरख्त बतलाते थे। मेरे वे मित्र शायद रायबरेली या बरेली के रहने वाले थे और चूंकि वे शहर में रहते आये थे इसलिये उनको गांवों की जिन्दगी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस बोर्ड में जो गैर-सरकारी सदस्य लिये जायें वे गांव के बारे में जानकारी रखने वाले होने चाहियें और जो अफसरान आप इस बोर्ड में रखें वे भी विलेज माइंडेड होने चाहियें और गांवों के रहने वाले होने चाहियें क्योंकि जैसा कि मैंने आप को बतलाया अगर वे शहर के रहने वाले हुए तो उनको यह पता नहीं होगा कि खेत क्या होता है और गांवों की कठिनाइयों और समस्याओं के प्रति वे बिलकुल अनभिज्ञ होंगे और उनके उस बोर्ड में रहने से गांव वालों को कोई विशेष फायदा नहीं पहुंच सकेगा। इसलिये मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट नामिनेशन करते वक्त इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखे।

सरदार इकबाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्लाज ३ पर जो मैंने नया अमेंडमेंट दिया है वह इस प्रकार है:

> पृष्ठ ३, पंक्ति १२ में "Seven" (सात) के स्थान पर "Nine" (नौ) रखा जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

चूंकि इस बोर्ड में हर तरीके के इंटरेट्स (हितों का रिप्रेजेंटेशन (प्रतिनिधित्व) होना चाहिये, इसलिये यह जरूरी हो जाता है इसमें हिन्दुस्तान के अलहिदा अलहिदा रीजंस से और मुख्तलिफ मक्तलिफ चीजें पैदा करने वालों के प्रतिनिधि लिये जायें और इसीलिये मैंने अपने ऊपर लिखे अमेंडमेंट् द्वारा नान-आफिशयल्स की तादाद ७ की जगह ९ करने का सुझाव दिया है ।

इस बात को सामने रखते हुए कि गवर्नमेंट ने इस बोर्ड में सात आदमी रखने की जो बात कही है , उन में से एक रूरल एकानमिस्ट होगा, एक ऐसा आदमी होगा जिसे कोआपरेटिव एजुकेशन का तजुर्बा हो, एक दो आदमी ऐसे होंगे जिनको कोआपरेटिव लाइन का तजुर्बा हो, मैं यह चाहता हूं कि अगर इस बोर्ड के मेम्बर ज्यादा नहीं बढ़ाये जा सकते तो कम से कम सात के बजाय नौ आदमी कर दिये जायें ताकि जितने भी इंटररेस्ट हों वह इस बोर्ड में आ सकें । आफिशल और नान-आफिशल का सवाल छोड़ते हुए मैं चाहता हूं कि आप चाहे जो भी पालिसी इस बोर्ड के लिये बनायें, लेकिन उसमें हर एक इंटरेस्ट की नुमाइन्दगी होनी चाहिये ताकि वहां पर हर एक इंटरेस्ट की आवाज हो सके । हर एक इन्टरेस्ट की आवाज वहां होने से, बेहतरीन नतीजे निकल सकते हैं। साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि जो आदमी चुने जायेंगे उनको कम से कम देहात का तजुर्बा होगा । इस तरह से होने से बहुत अच्छे ढंग से आपका नाम चल सकेगा । यही मेरा एमेंडमेंट है और मैं समझता हूं कि इस को गवर्नमेंट मंजूर कर लेगी ।

†**श्री राने :** मेरा संशोधन यह है कि १० गैर-सरकारी सदस्य होने चाहियें जिसमें से ५ किसान हों । मैं अपने माननीय मित्र सर्वश्री एन० राचय्या, एम० गौडा, और विभूति मिश्र के कथनों से सहमत नहीं कि सरकारी उच्च कर्मचारी नौकरशाही पद्धति के, आत्महीन और सहानुभूतिहीन हैं। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि ऐसा सोचना बिलकुल गलत है । मेरा संशोधन यह है कि बोर्ड में ५ किसान प्रतिनिधि होने चाहियें क्योंकि वे ही अपने हितों को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं । इस अधिनियम को कार्यान्वित करने में अनेक कठिनाइयां और समस्यायें उत्पन्न होंगी किन्तु उन्हें सुलझाने के लिये वे ही सर्वोत्कृष्ट हैं । इसीलिये मेरा संशोधन है कि किसानों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाये ।

†**श्री बी० के० दास :** यद्यपि मैंने कोई संशोधन नहीं रखा है फिर भी एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मैं देखता हूं कि इस बोर्ड में कोई सदस्य पूरे समय का पदाधिकारी नहीं है । केवल सचिव, जो सदस्य नहीं है, पूरे समय के लिये काम कर रहे हैं । मेरे विचार से कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिये जो पूरा समय इस काम की ओर ध्यान दे सके और इसलिये उप-सभापति को, जो कार्यकारिणी समिति के सभापति भी हैं, पूरे समय का पदाधिकारी बनाया जाना चाहिये ।

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन) : मुझे यह अर्ज करना है कि इस क्लाज पर जो एमेन्डमेंट मूव किये गये हैं उनमें ऐग्रिकल्चरिस्ट्स को रखने की बात कही गई है । मेरा विचार यह है कि अगर उनमें ऐग्रिकल्चर और कोआपरेटिव्ज के एक्स्पर्टस् रखे जायें तो बेहतर होगा । सिर्फ ऐग्रिकल्चरिस्ट्स को रखने का मतलब यह होगा कि उनको ऐग्रिकल्चर का तजुर्बा हो सकता है और वह उस में एक्स्पर्ट हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा कोआपरेटिव मूवमेंट है अगर उससे वह वाकिफ न होंगे तो उनको रखने से कोई फायदा न होगा । बड़े बड़े ऐग्रिकल्चरेस्ट्स और छोटे-छोटे ऐग्रिकल्चरिस्ट्स दोनों ही कभी-कभी कोआपरेटिव मूवमेंट खिलाफ होते हैं । इसलिये सिर्फ इन अल्फाज को रखने से ही काम नहीं चलेगा । जैसा कि मेरे लायक दोस्त ने अभी फरमाया कि यह तो एक पालिसी मेकिंग और फाइनेंसिंग बाडी होगी, जैसा कि स्टेटमट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में भी लिखा है । इसमें यकीनन एक्स्पर्टस् की जरूरत

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित सी० एन० मालवीय]

होगी, दूसरे यह कि लोक-सभा का रिप्रेजेन्टेशन हो, तीसरे यह कि इसमें नान-आफिशल्स की संख्या बढ़ाई जाये। तो नान-आफिशल्स की संख्या बढ़ जाने से या लोक-सभा का मेम्बर हो जाने से बोर्ड में नामिनेट होने की कपैसिटी और एफिशिएन्सी तो पैदा नहीं होती। इसलिये मेरी तजवीज है कि इस दफा में जो भी अल्फाज रखे गये हैं उनमें गुंजाइश है। लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब जब एमेन्डमेंट्स का जवाब दें तो इस चीज को थोड़ा साफ कर दें तो फिर जो एक किस्म की गलतफहमी पैदा हो गई है, वह दूर हो जायेगी। तो सवाल यह है कि जैसा क्लाज ३ के सब-क्लाज २ (१) में है :

(१) केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दस सदस्य जोकि उस सरकार द्वारा ऐसे ढंग से नाम निर्देशित होंगें जोकि निर्धारित किया जाये।

इसका मतलब यह है कि "**प्रेस्क्राइब्ड बाई रूल्स**" (निर्धारित उपनियम) यानी जो रुल्स बनेंगे उन रूल्स के मुताबिक दस आदमी नामिनेट (नामनिर्देशित) होंगे, दस आदमी सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेन्ट करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह सब आफिशल्स ही होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उनमें कुछ नान-आफिशल्स हों जिनको गवर्नमेंट रिकग्नाइज (स्वीकार) करे कि वह अपनी लाइन के एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) हैं और वह उसको रिप्रेजेन्ट करें। ऐसे रूल्स हों जिनके जरिये से सेन्ट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेन्टेशन भी हो लेकिन रिप्रेजेन्ट करने वाले अपनी लाइन के एक्सपर्ट हों। अगर उनमें नान-आफिशल्स ज्यादा से ज्यादा नामिनेट किये जायेंगे तो यह गुंजाइश हो सकती है कि जो नान-आफिशल्स आर्गेनाइजेशन्स (गैर-सरकारी संगठन) हैं वह अपने रिप्रेजेन्टेटिव (प्रतिनिधि) भेजेंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट रुपया लगायेगी तो ऐसे आदमी होने चाहियें जो उसके इन्टरेस्ट (हित) सामने रखते हुए काम करें। जो इस बोर्ड को कंडक्ट करेंगे (चलायेंगे) उनको चाहिये कि वह नान-आफिशल भी हों और साथ ही साथ गवर्नमेंट उनको नामिनेट करे, और गवर्नमेंट का उनके ऊपर कांफिडेन्स (विश्वास) हो।

मैं इस तजवीज को मुनासिब नहीं समझता कि बोर्ड बहुत लम्बा चौड़ा हो। मेरा खयाल तो यह है कि २० मेम्बर भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि उस वक्त २० आदमियों का बोर्ड बनाया जा रहा है, इसलिये इस सूची में घटा-बढ़ी करना मैं मुनासिब नहीं समझता। जो व्यू प्वाइंट (दृष्टिकोण) यहां जाहिर किये गये हैं उनको सामने रखते हुए ऐसे रूल्स बनाये जायें जिसमें कि, जैसा मेरे लायक दोस्त ने फरमाया और कल मैंने भी अर्ज किया था, जैसे आल इंडिया कोआपरेटिव यूनियन है, जो कि आप की ही बाडी है, रिकग्नाइज्ड बाडी है, जिसको हम और आप ऐप्रिशिएट करते हैं, और जो दूसरी नान-आफिशल एजेंसियां हो सकती हैं, उनके आदमियों को आप अपनी तरफ से नामिनेट (नामनिर्देशित) कर सकें।

साथ ही साथ जो आफिशल्स और नान-आफिशल्स का भेद है वह भी हटना चाहिये। मेरी दृष्टि से अब अगर हम इस तरह से उनमें भेद करें और जनता के लोग आफिशल्स को अविश्वास की दृष्टि से देखें तो यह ठीक बात नहीं है। जैसे-जैसे हम बदलते जा रहे हैं, उसी के लिहाज से उनका आउटलुक (दृष्टिकोण) भी बदलता जा रहा है। दूसरे कोआपरेटिव मूवमेंट के बढ़ने से उनका आउटलुक और भी तब्दील होगा। वह अपने आप तब्दील नहीं होंगे लेकिन आइन्दा ऐक्शन (क्रिया) और रिऐक्शन (प्रतिक्रिया) ऐसा होगा कि जिस की वजह से आफिशल्स का आउटलुक बदलता जायेगा। जितने हो ज्यादा नान-आफिशल्स आते जायेंगे उतना ही उनके ऊपर असर पड़ेगा और मेरे ख्याल से उनको अच्छी तरह से एकोमोडेट किया (खपाया) जा सकेगा। मेरा खयाल है कि अगर अपनी तकरीर के दौरान में मिनिस्टर साहब इस चीज़ को साफ कर दें तो बहुत-सी गलतफहमी दूर हो जायेगी और बहुत-सी एमेंडमेंट्स जो कि मूव (प्रस्ताव) की जा चुकी हैं, उनको प्रेस (आग्रह) करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री आर० एन० सिंह (जिला गाजीपुर—पूर्व व जिला बलिया—दक्षिण-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय धारा १८ के अन्दर जिसका ताल्लुक शेयर कैपिटल इत्यादि से है मेरा एक एमेंडमेंट (संशोधन)

है, जिसका नम्बर १२९ है और उसे मैं पेश करता हूं। यह एमेंडमेंट बहुत ही साधारण सा है। इसमें यह लिखा है :

"कृषि उत्पाद का व्यापार करने वाली स्वीकृत संस्थायें और संयुक्त स्कंध समवाय पांच हजार अंशों के लिये भुगतान कर सकेंगी।"

†**श्री ए० पी० जैन** : वह चर्चा के अधीन नहीं है।

†**श्री शेषगिरि राव** : इस खंड के अधीन नहीं।

श्री आर० एन० सिंह : इसमें मैं यह चाहता हूं कि ज्वाइंट स्टाक कम्पनीज़ जो हैं .....

†**श्री ए० पी० जैन** : वह खंड चर्चा के अधीन नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम केवल खंड ३ पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री एन० एम० लिंगम्** (कोयम्बटूर) : यह खंड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें नीति निर्धारित की गयी है और संपूर्ण योजना के लिये वित्त की व्यवस्था की गयी है। पदाधिकारियों के विरुद्ध की गयी आलोचना से मैं सहमत नहीं हूं। किन्तु मेरी यह धारणा है कि बोर्ड की रचना विस्तृत नहीं है। सरकार दस पदाधिकारियों को नाम निर्देशित करेगी। फिर और तीन पदाधिकारी होंगे जो विशिष्ट हितों जैसे रक्षित बैंक, राज्य बैंक, और वायदा बाजार आयोग का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये हित वहां केवल काम के एकीकरण के समन्वय के लिये हैं। किन्तु नीति निर्धारित करने के लिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि से सम्बद्ध प्रतिनिधि बोर्ड में हों जिससे कि बोर्ड को खेतिहर मजदूरों की वास्तविक स्थिति की जानकारी हो जाये। मैं मजदूरों को विशेष प्रतिनिधित्व दिये जाने के पक्ष में नहीं हूं। अन्त में, सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कृषि को दिया जाना चाहिये जिससे बोर्ड विस्तृत हो और उसकी नीति ठोस हो और अधिनियम सलरता से कार्यान्वित हो सके।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब स्पीकर साहब, यह बोर्ड जो कि क्लाज़ ३ के तहत बनाया जायेगा, वह इस एक्ट को इम्प्लेमेंट (कार्यान्वित) करने के लिये बनाया जायेगा और जब मैं इस बोर्ड के फंक्शंस (कार्य) को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने वाइड (विस्तृत) इस बोर्ड के फंक्शंस (कार्य) हैं उनको डिसचार्ज (निभाने) करने के फलस्वरूप वह सारे हिन्दुस्तान में छा जायेगा। इसके जो फंक्शंस हैं वे बेशुमार हैं। इसमें तो यह कहा गया है कि इसका काम पालिसी को ले-डाउन (निर्धारित) करना होगा। लेकिन जब मैं क्लाज़ ९ को देखता हूं और जो फंक्शंस इसके वहां पर दर्ज हैं उनको देखता हूं और इसके साथ ही साथ दफा १० को देखता हूं जिसका ताल्लुक कि इसकी एग्ज़ेक्टिव कमिटी (कार्यपालिका समिति) से है, तो यह पाता हूं कि जितने काम भी एक एग्ज़ेक्टिव कमिटी के हो सकते हैं वे सब वहां पर दर्ज हैं। लेकिन इन सब कामों को करने के लिये जो नम्बर इस बोर्ड के मैम्बरों का रखा गया है वह बिल्कुल नाकाफी है। वैसे आमतौर पर ऐसे बोर्ड में बहुत ज्यादा मैम्बर्स की जरूरत तो नहीं होती है लेकिन ताहम मैं समझता हूं जितने मैम्बर आप एक मामूली से मामूली कमेटी में रखते हैं जैसे कि कोमोडीटीज़ कमिटी (वस्तु समिति) में, तो मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि इस नम्बर को बढ़ा दिया जाना चाहिये। जितने वाइड (विस्तृत) इसके फंक्शंस हैं और जिस तरह से यह उन्हें डिसचार्ज करेगा, जिस तरह से कि यह सारे प्रासेस (विधायन) को देखेगा, मार्किटिंग करेगा, उसको देखते हुए मैं यह चाहता हूं कि इसके नम्बर को २० से बढ़ा कर २५ कर दिया जाये। यह नम्बर इतना ज्यादा नहीं है जिसके बारे में कि यह शिकायत की जा सके कि हम नाजायज़ तौर पर इसकी सदस्य संख्या को बढ़ा रहे हैं। यह इस तरह का बोर्ड नहीं है कि जिसके केवल एग्जेक्टिव फंक्शंस ही हों, इसका काम पालिसी ले-डाउन करना है और दूसरे काम करना है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि

†मूल अंग्रजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

ज्यादा नहीं तो इसका नम्बर बढ़ा कर २५ कर दिया जाये । यह एक बहुत ही मुनासिब चीज़ होगी । अगर मेरी यह तजवीज़ मान ली जाती है तो मैं चाहूंगा कि आपने जो तादाद नान-आफिशल्स की रखी है, उसको भी आप बढ़ायें ।

अभी मालवीय जी ने बताया और मिनिस्टर साहब ने भी अपनी तकरीर के दौरान में कहा था कि यह जो आफिशल्स और नान-आफिशल्स में भेदभाव है, जहां तक देश की भलाई के कामों का ताल्लुक है, वह जाता रहा है । इन दोनों का सदा ही एक ही नुक्तेनिगाह रहता है । लेकिन जहां पर यह लिखा है कि केन्द्रीय-सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दस सदस्य इस पर होंगे और सात नान-आफिशल होंगे, वहां कुछ गलतफहमी उठ खड़ी होती है । अगर आप नान-आफिशल्स का वर्ड हटा दें और जिसको चाहें मुकर्रर कर दें, तब तो ठीक है लेकिन जहां पर आपने यह कहा है कि १० मैम्बर सैंट्रल गवर्नमेंट के होंगे उससे तो यही पता चलता है कि ये सब के सब आफिशल्स ही होंगे क्योंकि बहुत-सी स्टेट गवर्नमेंट को आपको इसमें रिप्रिजेंटेशन (प्रतिनिधित्व) देना है । इस सारी चीज़ का ख्याल करते हुए मैं यह समझता हूं कि यह जो तजवीज़ श्री राने साहब की है या हमारे सरदार इकबाल सिंह की है कि नान-आफिशल्स की तादाद बढ़ाई जाये, यह ठीक है और अगर आप मेरी तजवीज़ को कि मैम्बरों की तादाद २५ कर दी जाये, एक्सेप्ट (स्वीकार) कर लें, तो नान-आफिशल्स तादाद को बढ़ाने की गुंजाइश बहुत आसानी से निकल आती है । अभी राचय्या साहब ने कहा कि उसके अन्दर एग्रिकलचरल वर्कर्स (खेतिहर) के रिप्रिजेंटेटिव लिये जायें । आखिर हमें करना क्या हैं । हमें तो लोएस्ट रेंक (निचले स्तर) पर जो एग्रिकल्चर वर्कर हैं, जो लैंडलेस लेबरर (भूमिहीन किसान) है, उसका ध्यान रखना है । इसमें शक नहीं कि जो डायरेक्टर्स होंगे वे इनके इंटरेस्ट (हित) को भी देखेंगे और जो नान-आफिशल्स होंगे वे भी देखेंगे । लेकिन ताहम मैं यह चाहता हूं कि अगर ऐसे शख्स हों जो उसकी खास तकलीफ को समझते हों, जो उनके बीच के ही आदमी हों तो बोर्ड को अपनी पालिसी बनाते वक्त उनसे काफी मदद मिल सकती है और ये लोग अपना नुक्तेनज़र बोर्ड के सामने पेश कर सकते हैं और अपनी मांगों पर खास ज़ोर दे सकते हैं । मैं समझता हूं कि कोई हरज की बात नहीं होगी अगर कोई रिप्रिजेंटेटिव एग्रिकलचरल वर्कर्स के और लैंडलेस लेबरर्स (भूमिहीन मजदूर) के इसमें लिये जायें । आज क्या हो रहा है ? पिछले दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में कुछ कहा था और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कम्पनीज़ बिल पर जब बहस हो रही थी उस वक्त कहा था और यह वादा भी किया था कि वह दो रिप्रिजेंटेटिव्स वर्कर्स (प्रतिनिधि कर्मचारी) के भी बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के ऊपर लेंगे । तो मैं यह चाहता हूं कि जो चीज़ भी बने उसमें लोएस्ट रेंक पर जो आदमी हैं उनको रिप्रिज़ेंट करने वाले भी बोर्ड के ऊपर लिये जायें । कई तरह के इंटरेस्टस् (हितों) को आप इस बोर्ड पर रिप्रिजेंटेशन देने का विचार कर रहे हैं और अगर आप एक दो रिप्रिजेंटेटिव एग्रिकल्चरल वर्कर्स के भी ले लेंगे तो वे भी अपना कुछ इनफ्लुएंस (प्रभाव) उस पर एगज़र्ट (डाल सकेंगे) कर सकेंगे और इस बोर्ड की पालिसी को कुछ लिबरलाइज़ (उदार) करा सकेंगे । आप इस हाउस में ही देख लीजिये । कई इंटिरेस्ट्स को रिप्रिजेंट करने वाले लोग यहां पर हैं । यहां ऐसे मैम्बर साहिबान भी हैं जो छोटे से छोटे आदमियों को रिप्रिज़ेंट करते हैं और ऐसे भी हैं जो हाइएस्ट (उच्चतम) को रिप्रिज़ेंट करते हैं और सब अपना-अपना नुक्तेनज़र पेश करते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि कम्पोज़िट असर हो जाता है ।

इस वास्ते मैं अर्ज़ करता हूं कि २० की तादाद को बढ़ा कर २५ कर दिया जाये और साथ ही साथ नान-आफिशल मैम्बर्स की तादाद को बढ़ा दिया जाये । साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि इस बोर्ड को उसी तरह से काम करना चाहिये जिस तरह से कि कोई नान-आफिशल बाडी काम करती है । अगर ऐसा नहीं हुआ तो कामयाबी नहीं मिल सकती है । मैं किसी आफिशल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता । मैं जानता हूं कि आज अफसरों के बीच में ऐसे लोग भी हैं जोकि लड़ कर भी ग्रोअर्ज़ (उत्पादक)

को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कितने ही अफसर मैंने इस तरह से लड़ते हुए देखे हैं। आज आफिशल्स का नुक्तेनिगाह बहुत चेंज्ड (बदला हुआ) है। लेकिन ताहम अगर जिनको आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं उसका नम्बर ज्यादा हो तो आपकी सारी पालिसी को चार चान्द लग जायेंगे। इस वास्ते मैं अर्ज़ करता हूं कि आप एक तो नम्बर बढ़ायें, दूसरे एग्रिकलचरल वर्कर्स को इसमें रिप्रिजेंटेशन दें और तीसरे नान-आफिशल एलिमेंट (तत्व) को और ज्यादा इसमें स्थान दें।

श्री बंसीलाल (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लाज़ के अनुसार जो बोर्ड बनने वाला है उसके सम्बन्ध में मैं एक सुझाव यह देता हूं कि इसमें जहां आपने नान-आफिशल्स का नम्बर ७ रखा है उसको बढ़ा कर आप तकरीबन १२ कर दें और उसमें और जो पांच मैम्बर लिये जायें वे स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशंस (भंडार निगम) के लिये जायें। जो सैंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन है उसके डायरेक्टर तो होंगे मगर इसमें स्टेट्स के कोई रिप्रिज़ेंटेटिव नहीं हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि राज्य गोदाम निगम और राज्य शीर्ष सहकारी बैंक्स् अथवा अन्य कोई सहकारी बैंक जो राज्य में काम करता हो उन सब के कुल मिलाकर ५ नुमाइंदे कम से कम इस बोर्ड में होने चाहियें। इतना ही मेरा निवेदन है।

†**श्री ए० पी० जैन** : सामान्य रूप से, प्रस्तावों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है कि बोर्ड को और बड़ा बनाया जाये, ग़ैर-सरकारी अनुपात बढ़ाया जाये; विशेष प्रतिनिधित्व के लिये संविधि में कुछ उपबन्ध बनने चाहिये, तथा कुछ छोटे-छोटे सुझाव दिये गये हैं। सभा इस बात से सहमत होगी कि बोर्ड इस तरह का होना चाहिये कि इसका प्रबन्ध कार्य भली-भान्ति हो सके। पंडित ठाकुरदास भार्गव चाहते हैं कि इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा कर २५ कर दी जाये; यह मूल प्रस्ताव किसी संशोधन में नहीं है। श्री गौडा इसको २३ करना चाहते हैं। सरदार इक़बाल सिंह, कुछ देर पूर्व के संशोधन से इसे २२ करना चाहते हैं। परन्तु मैं बोर्ड का आकार बदलना नहीं चाहता हूं। ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार छः सदस्य बहुत हैं, परन्तु सबकी सम्मति मानते हुए, मैं सरदार इक़बाल सिंह का २२ करने का संशोधन स्वीकार करता हूं। ये दोनों अतिरिक्त सदस्य ग़ैर-सरकारी होंगे।

केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दस सदस्यों के सम्बन्ध में मुझसे स्पष्टीकरण चाहा गया है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये सदस्य, उन विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहकारिता अथवा परिवहन अथवा संचार के विकास से सम्बन्धित हों। ये सरकारी कर्मचारी होंगे। उप-खण्ड (२) के पद (१) में दिये गये सदस्यों में से किसी के गैर-सरकारी होने की संभावना नहीं है। मेरा विचार है कि जहां तक इसका सम्बन्ध है, उन माननीय सदस्यों को जो इस पर बोले हैं, कुछ संतोष हो जायेगा।

श्री विभूति मिश्र ने कहा कि केवल उन्हीं पदाधिकारियों को नियुक्त करना चाहिये जो देहाती क्षेत्रों से आये हों। मेरा विचार है कि इस सिद्धान्त को स्वीकृत करने से, सरकार की कार्यकुशलता में हानि होगी। एक पदाधिकारी, एक पदाधिकारी है तथा उस पर कार्य करने का प्रभार है। यदि इस प्रकार का भेदभाव रखा जायेगा तो सरकार का कार्य होना असंभव हो जायेगा। पदाधिकारियों की नियुक्ति में, हम अवश्य ऐसे पदाधिकारियों को चुनेंगे जो यह कार्य कर रहे हों। जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों का सम्बन्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे निश्चित रूप से देहाती हितों का प्रतिनिधित्व करते होंगे। मैं 'देहाती हित' का सीमित अर्थ नहीं ले रहा हूं। ऐसा जमींदार हो सकता है जो सहकारी आन्दोलन का पूर्णतया विरोधी हो। क्या ऐसे जमींदार को बोर्ड में लाना चाहिये ? इस बोर्ड के कुछ कार्य हैं तथा केवल वही व्यक्ति इसमें रखे जायेंगे जो कार्य को पूर्ण करने के योग्य हों। क्या किस सभ्य देश ने ऐसी विधि बनाई है जिसमें इन छोटे-छोटे प्रतिनिधियों की व्यवस्था हो ? हम अपने राष्ट्र का

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० पी० जैन]

विकास कर रहे हैं तथा मुझे यह जान कर खेद होता है कि प्रत्येक स्तर पर छोटी-छोटी बातों को सामने ला खड़ा किया जाता है ।

सामान्य चर्चा के उत्तर में मैंने कहा था कि सभी ग़ैर-सरकारी सदस्य देहाती हितों का प्रतिनिधित्व अवश्य करेंगे । वह कृषि श्रम के प्रतिनिधि होंगे । वे किसान, विशेषतया मध्यम, तथा छोटे किसानों का प्रतिनिधित्व करेंगे । वे उन सहकार्य करने वालों जो अपने सामस्त जीवन अथवा इस कार्य के विकास के लिये जो पर्याप्त अवधि तक कार्य करते रहे हों, का प्रतिनिधित्व करेंगे । मैं यह ठीक नहीं समझता कि एक व्यक्ति, जिसने अपना समस्त जीवन सहकारी आन्दोलन के विकास में लगाया हो, को केवल इसलिये अलग रखा जाये क्योंकि उसके पास भूमि का टुकड़ा नहीं है । इन सभी बातों पर ध्यान रखना चाहिये तथा केवल उन्हीं व्यक्तियों का बोर्ड में नामनिर्देशन होना चाहिये, जो इस विधेयक के उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायता दे सकें तथा ग्राम्य हितों का प्रतिनिधित्व कर सकें ।

मुझे खेद है कि, मैं इस अथवा उस वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिये किसी खण्ड को बनाने का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता । और मैंने आपको वह सामान्य नीति बताई है जिसको हम व्यवहार में लाना चाहते हैं ।

श्री दास ने एक उचित प्रश्न उठाया है कि इस बोर्ड तथा कार्यपालिका समिति में एक पूर्णकालीन व्यक्ति होना चाहिये । वास्तव में इस पर ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति ने बहुत विचार किया था तथा सिफारिश की थी कि इस बोर्ड के बहुत अधिकार होने चाहियें तथा कृषि मंत्रालय का सचिव, जो उच्चतम पदाधिकारी होगा, इस बोर्ड का उप-सभापति होना चाहिये तथा उप-सभापति के रूप में, उसे कार्यपालिका समिति का सभापति होना चाहिये । समिति ने और सिफारिश की है कि खाद्य और कृषि मंत्रालय के सचिव को और प्रशासनिक कार्यों से छुट दे दी जायेगी तथा वह अपना अधिक समय इसी कार्य में लगायेगा । सरकार उसको उच्चतम महत्व देती है, तथा श्री दास के मन में जो बात है वह हमारे सामने भी है तथा हम उसी के अनुसार कार्य करने जा रहे हैं ।

†**श्री बंसल** : क्या वह सचिव नहीं रहेगा ?

†**श्री ए० पी० जैन** : वह सचिव रहेगा तथा मुख्य नीतियों को देखेगा परन्तु प्रतिदिन के कार्यों के मामलों को दूसरे पदाधिकारी को सौंप देगा । अपने समय का अधिकांश भाग वह इस महत्वपूर्ण कार्य में लगायेगा क्योंकि यह भी अनुसचिवीय कार्य है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : मैं प्रस्ताव करता हूं : पृष्ठ ३ पंक्ति १२ में "seven non-officials" ["सात ग़ैर-सरकारी"] शब्दों के स्थान पर "nine none-officials" ["नौ ग़ैर-सरकारी"] शब्द रख दिये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति १२ में "seven none-officials" ["सात ग़ैर-सरकारी"] शब्दों के स्थान पर "nine none-officials" ["नौ ग़ैर-सरकारी"] शब्द रख दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री राने, श्री विभूति मिश्र, श्री मादिया गौडा द्वारा अपने संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस लिये गये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३५, ३६ तथा १५३ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नया खण्ड ३-क

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन संख्या १५४ प्रस्तुत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह तथ्य है कि को-आपरेटिव मूवमेंट ज्यादातर जनता की सहायता और सहयोग पर निर्भर रहती है । जब तक हम लोगों और गांवों में बसने वाले किसानों का सहयोग प्राप्त नहीं करते, उस वक्त तक हम इस मूवमेंट को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते हैं । मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि एग्ज़ेक्टिव कमेटी और दीगर टैक्निकल कमेटीज़ में नान-आफिशियल्ज़ की संख्या बढ़ाई जाये । लेकिन जनता का सहयोग और सहायता प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि जनता के प्रतिनिधियों के एडवाइज़री बोर्ड्ज़ बनाये जायें । स्टेट गवर्नमेंट्स जो बोर्ड बनायें, उनमें स्टेट असेम्बलीज़ के मेम्बर और गांवों के अन्य प्रतिनिधि हों । इसके अतिरिक्त एक सैंट्रल एडवाइज़री बोर्ड बनाया जाये, जिसमें काफी एम० पी० रखे जायें । उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के रिप्रिज़ेन्टेटिव्ज़ भी हों---उस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी उसमें हो सकते हैं या मिनिस्टर उसके चेयरमैन हो सकते हैं । दूसरे आफिसर्ज़ को भी लिया जा सकता है । इस नई धारा को रखने से मेरा मतलब यह है कि इन एडवाइज़री बोर्ड्ज़ में मूवमेंट की पालिसीज़, प्रोसीजर की विभिन्न तक्लीफ़ात, लोकल लेन-देन में पेश आने वाली मुश्किलात, दूसरी रिजनल डिफ़ीकल्टीज़, डिस्ट्रिब्यूशन आफ लोन्ज़ और मार्केटिंग सोसायटीज़ की तक्लीफ़ात इत्यादि समस्याओं के बारे में जो व्यू पायंटस रखे जायें, उन पर विचार कर के एग्ज़ेक्टिव और मैनेजिंग बाडीज़ उनको अमल में लायें । मूवमेंट को बढ़ाने के लिये जिस ज़रिये से भी सुझाव आवें उसे रिसीव किया जाये लेकिन स्टेट्यूटरी पावर दे कर एक एडवाइज़री बोर्ड कायम किया जाये और जैसा कि क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है वह कम से कम साल में एक या दो मर्तबा मिले । मैं तो चाहता हूं कि हो सके तो तीन चार मर्तबा मिले, लेकिन कम से कम दो मर्तबा तो जरूर मिले क्योंकि हमको मुल्क में इस मूवमेंट को काफी बढ़ाना है । यह एडवाइज़री बोर्ड सेंट्रल लेविल पर ही नहीं होने चाहिये बल्कि स्टेट लेविल पर भी होने चाहिये क्योंकि हम अपने सिस्टम को पुख्ता बनाना चाहते हैं । स्टेट्स के बोर्ड्स में भी १४ या १५ मेम्बर रखे जायें और उनमें से आठ असेम्बली के मेम्बर हो सकते हैं, या लोकल बाडीज़ के मेम्बर हो सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़री बोर्ड की तरफ से मेम्बर भेजे जा सकते हैं, या कोआपरेटिव के मेम्बरों को लिया जा सकता है । मेरा मतलब यह है कि सेंट्रल और स्टेट लेविल पर कोआपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाने के लिये मैशिनरी होनी चाहिये ताकि जनता की तरफ से भी सरकार को पूरा सहयोग मिले और जनता की तकलीफें भी सरकार तक पहुंच जायें । इसलिये एजवाइज़री बोर्ड का क्लाज़ बहुत जरूरी है । मैं समझता हूं कि सहकार मूवमेंट का यह अशद जरूरी उसूल है कि जनता की तकलीफों को जानने के लिये इस किस्म के बोर्ड होने चाहियें । मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब इस अमेंडमेंट को कबूल कर लेंगे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री ए० पी० जैन** : मैं बता चुका हूं कि सरकार ने ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार एक मंत्रणा बोर्ड को नियुक्त करने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है । उसने सिफारिश की है कि खाद्य और कृषि मंत्रालय, रिज़र्व बैंक तथा विकास और गोदाम बोर्ड का एक मंत्रणा बोर्ड होना चाहिये । इसी कारण से मंत्रणा बोर्ड बनाने का उपबन्ध विधेयक में सम्मिलित नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० पी० जैन]

ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार बोर्ड बनाया जायेगा । परन्तु मुझे खेद है कि मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता । जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है वह अपने आप मंत्रणा बोर्ड बनायेगी । बहुत से राज्यों में सहकारी कार्यों से सम्बन्धित मामलों पर मन्त्रणा के लिये कुछ संस्थायें हैं परन्तु मुझे खेद है कि मैं विधेयक में इस संशोधन को सम्मिलित नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय ने संशोधन संख्या १५४ मतदान के लिये रखा और वह अस्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४—(बोर्ड का सदस्य होने के लिये अनर्हता)

†**श्री शेषगिरि राव** : मैं अपना संशोधन संख्या ११५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : मैं अपना संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री शेषगिरि राव** : खण्ड ४ में दिया है कि ऐसा व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होने अथवा चुने जाने में अनर्हता प्राप्त घोषित होगा जो कभी दिवालिया घोषित हो चुका हो अथवा ऋण देना जिसने बन्द कर दिया हो अथवा ऋणदाताओं से समझौता कर लिया हो । इस सम्बन्ध में मेरी एक विधि सम्बन्धी आपत्ति है । मैं यह जानना चाहता हूं कि ऋण की अदायगी न करने को मंत्री जी ने दिवालिया क्यों घोषित कर दिया । प्रान्तीय दिवालिया अधिनियम की धारा ६ में दिवालियों के सात अथवा आठ कृत्य बताये हैं । तथा उनमें ऋण के भुगतान को निलम्बित करने की व्यवस्था नहीं है । इसलिये मैंने संशोधन दिया है कि 'ऋण के भुगतान को निलम्बित करने' के शब्दों को हटा दिया जाये ।

अधिनियम की धारा ६ में कहा गया है कि यदि किसी न्यायालय की धन की डिग्री के भुगतान में किसी व्यक्ति को कारावास करना पड़े तो वह दिवालिया होगा । मेरे विचार से यह भी ठीक नहीं है ।

खण्ड ४ के अन्तिम भाग में लिखा है कि ऋणदाताओं से समझौता कर लिया हो । ऐसी भी व्यवस्था कहीं नहीं दी गई है कि इससे दिवालिया घोषित हो जायेगा । इसलिये केवल दिवालिया मान लिया गया शब्द ठीक हैं ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : मेरे संशोधन का आशय कर-अपवंचन को अनर्हता घोषित कराना है । भारत के राज्य बैंक तथा कुछ अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में भी हम इसे अनर्हता बनाना चाहते थे ।

देश में बहुत से बोर्ड हैं तथा हमें इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि इन बोर्डों में कर अपवंचन न आयें । प्रो० कालडोर एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का मत है कि इस देश में ३०० करोड़ रुपयों के कर का अपवंचन होता है । इस प्रकार के व्यक्तियों को बोर्ड में स्थान नहीं मिलना चाहिये । ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति ने भी कहा है कि सहकारी आन्दोलन की असफलता का एक कारण बेईमानी है । इसलिये बेईमान व्यक्तियों का इनमें कोई स्थान नहीं होना चाहिये ।

†**श्री ए० पी० जैन** : जहां तक प्रथम संशोधन का सम्बन्ध है, तीनों शर्तें जैसे दिवालिया घोषित करना, ऋण न देना, तथा ऋणदाताओं से आंशिक भुगतान करके समझौता करना अलग-अलग हैं । बाद की दो शर्तें जैसे ऋण के भुगतान को बन्द करना तथा ऋणदाताओं से समझौता दिवालिया घोषित करने से सम्बन्धित नहीं है । माननीय सदस्य ने कहा था कि ऋण न देने की पूर्वसूचना देना दिवालिया घोषित करना है । ऋण न देने के पश्चात् सूचना दी जाती है । हमने इसे उदार रखा है । हमने केवल ऐसे कार्य को अर्हता से संबद्ध किया जिसके बाद में पूर्वसूचना दी जाये ।

जहां तक कर-अपवंचन का सम्बन्ध है, मैं श्री एन० बी० चौधरी से कर-अपवंचकों के कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतया सहमत हूं । मैंने विधि मंत्रालय का परामर्श लिया तथा उन्होंने परामर्श दिया कि एक व्यक्ति

†मूल अंग्रेजी में

जिसको भारतीय आय-कर अधिनियम के अधीन दण्ड मिला हो, उसको चारित्रिक अधमता का अपराधी माना जाता है। इसलिये उनके संशोधन का भाग इसमें आ जाता है। परन्तु, संभव है कि कर का कुछ अन्य अर्थ लगाया गया है। संभव है एक व्यक्ति ने चुंगी नहीं दी हो और उसको इसका दण्ड मिला हो। मेरा विचार है कि हमारा यह आशय नहीं है। विधि मंत्रालय के परामर्श के अनुसार जो व्यक्ति आय-कर का अपवंचन करेंगे वह इस खण्ड के अधीन आते हैं; इसलिये मैं यह नहीं सोचता कि श्री एन० बी० चौधरी का संशोधन स्वीकार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय ने संशोधन संख्या ११५ तथा ८ मतदान के लिए रखे और वे अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ५—बोर्ड के सदस्य की कार्यावधि

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ६ तथा ७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ८—(अधिकारी तथा बोर्ड के अन्य कर्मचारी)

†**श्री कृष्ण चन्द्र** (ज़िला मथुरा पश्चिम) : मैं अपना संशोधन संख्या ११७ प्रस्तुत करता हूं

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं अपना संशोधन संख्या ६८ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये दो संशोधन अब सभा के सामने हैं। सदस्यों को इन पर संक्षेप में बोलना चाहिये ताकि हम अन्य खण्डों पर भी विचार कर सकें।

†**श्री कृष्ण चन्द्र** : इस खण्ड में सचिव तथा बोर्ड के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन तथा सेवा के नियमों आदि का उल्लेख है। सचिव के सम्बन्ध में ये नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये जायेंगे। किन्तु अन्य अधिकारियों के सम्बन्ध में बोर्ड को स्वयं नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। ये अधिकारी भी बड़े जिम्मेवार होंगे तथा इनके अच्छे-अच्छे वेतन होंगे। मेरी समझ में नहीं आता है कि इन अधिकारियों के लिये बोर्ड क्यों स्वयं नियम बनाये जबकि भारत सरकार के ऐसे ही अधिकारियों के लिये केन्द्रीय सरकार स्वयं नियम बनाती है। अतः इनके सम्बन्ध में भी केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने तथा इनके सेवा की शर्तें निश्चित करने का अधिकार होना चाहिये।

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज़ (खण्ड) ८ पर जो मैंने अमेंडमेंट (संशोधन) नम्बर ६८ दिया है वह इस प्रकार है :

पृष्ठ ४, संख्या २५ अन्त में यह जोड़ा जाये "and these officers shall preferably be from" ["और ये अधिकारी अधिमानतः गांवों से हों।"] इस सम्बन्ध में मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आज चूंकि गांव वालों का कोई असर नहीं होता इसलिये उनके बी० ए० और एम० ए० पास लड़के बग़ैर काम के बैठे रहते हैं और अगर आप शहरों में दफ्तरों में काम करने वाले अफ्सरों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विभूति मिश्र]

का हिसाब लगाइये तो आपको मालूम होगा कि उनमें बहुत ज्यादा तादाद (संख्या) शहर वालों की होती है और होता यह है कि शहरों में जितने आदमी रहते हैं उन्हीं के रिश्तेदार और लड़कों वगैरह को जहां दफ्तर में कोई जगह ख़ाली हुई, मिल जाती है और गांव वालों को चांस नहीं मिल पाता। मैं चाहता हूं कि गांवों में जो स्टोर हाउसेज़ (भंडार) या मार्केटिंग हाउसेज़ सब डिवीज़नों में बनेंगे, उनमें गांवों के पढ़े-लिखे आदमियों को छोटे-छोटे अफसरों की जगहों पर तैनात कीजिये और गांव के बारे में चूंकि उनको काफ़ी जानकारी होगी चूंकि और वे किसानों से अच्छी तरह मिलना जुलना जानते हैं और उनकी वे सारी कठिनाइयां को जानते हैं, इसलिये वे ठीक तरह काम कर सकेंगे और गांव वालों को राहत पहुंचा सकेंगे।

आज हम देख रहे हैं कि संत विनोबा किस तरह से गांव-गांव पैदल यात्रा कर रहे हैं और गांव वालों को हर प्रकार की राहत देने का प्रयत्न कर रहे हैं और वह बराबर यह कहते हैं कि शहर और गांव में बड़ा फर्क है और वह गांव और शहर के इस भेद और असमानता को दूर करने के लिये दस-दस और बीस-बीस मील की पैदल यात्रा रोज़ कर रहे हैं और गांव वालों की हर प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने का वह नंगा फकीर अपने अनोखे ढंग पर प्रयत्न कर रहा है। आपने भी कहा है कि हम एक नेशन (राष्ट्र) बनाने जा रहे हैं, ठीक है आप उसको बनायें और वह कहीं दस-बीस वर्ष में जाकर आपकी नेशन बनेगी लेकिन आज तत्काल राहत पहुंचाने की आवश्यकता है और इसलिये मेरा सुझाव है कि इसमें जो आप अफ़सर रखें वे जहां तक हो सके गांव से रखें क्योंकि वे बख़ूबी उस काम को चला सकेंगे और गांव वालों को सफलतापूर्वक राहत पहुंचा सकेंगें, अब जहां गांव वाले मिल ही न सकें वहां पर लाचारी है लेकिन कोशिश आपकी यही होनी चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा गांवों से अफ़सरान लिये जांय.....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा करना कांस्टीट्यूशन (संविधान) के बरखिलाफ (विरुद्ध) नहीं होगा ?

श्री विभूति मिश्र : संविधान का तो अर्थ आपको लगाना है और आपको उसको इस तरह इंटरप्रेट (निर्वचन) करना चाहिये। हमने देखा कि जब सन् १९३५ का ऐक्ट हमारे सामने पेश किया गया था तो गांधी जी ने उसका ऐसा अर्थ लगाया था कि सारे अंग्रेज घबरा उठे थे, तो उसका इंटरप्रेटेशन करना तो आपके हाथ में है। दूसरी बात यह है कि एक किसान की २५ एकड़ ज़मीन की सीलिंग (अधिकतम) मुक़र्रर हो जाने के बाद उन किसानों के पास कोआपरेटिव्स् (सहकारी संस्थाएं) में आने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है।

इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि कम से कम इस विभाग में गांव वालों को रखें और शहर वालों को उसमें से हटा दें। इसमें जो अफसर रहते हैं वह शहर में ही रहते हैं, वह तो गांवों में जायेंगे नहीं। गांव की छोटी-छोटी कमियों को गांव वाले ही दूर कर सकेंगे। साथ ही गांव का आदमी काम बड़ी ईमानदारी से करेगा क्योंकि वह खेतिहर है इसलिये बड़े परिश्रम से करेगा।

†**श्री एन० एम० लिंगम :** मैं अपने संशोधन संख्या ३८ तथा ३९ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** ये संशोधन भी अब सभा के सामने हैं।

†**श्री एन० एम० लिंगम :** मेरे संशोधन का सम्बन्ध बोर्ड के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति से है। इस विधेयक के अनुसार सचिव के अतिरिक्त शेष सभी अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार बोर्ड को है। मेरा संशोधन यह है कि १,००० रुपये से ऊपर वेतन पाने वाले सभी अधिकारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जानी चाहिये। मैं इस प्रकार से बोर्ड के हाथों में हथकड़ियां नहीं डालना चाहता हूं। बोर्ड एक स्वायतशासी संस्था है। इसे आपने अधिकारियों की नियुक्ति आदि के विषय में पूर्ण स्वतंत्रता

†मूल अंग्रेजी में

होनी चाहिय। किन्तु बोर्ड के हित में भी यह अच्छा होगा कि १००० रु० से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा ही हो। अन्यथा बोर्ड को पक्षपात तथा बन्धुपक्षपात आदि का शिकार होने का भय रहेगा। दूसरी बात यह है कि कम से कम ऐसे अधिकारियों की सेवा आदि के नियम बनाने का अधिकार अवश्यमेव सरकार को होना चाहिये। इससे लोगों को बोर्ड के कर्मचारियों में अधिक विश्वास उत्पन्न होगा।

†**श्री ए० पी० जैन** : यह बोर्ड एक उच्चाधिकारों वाला बोर्ड होगा और यह पूर्णता स्वायत्तशासित होगा। इसे अगले पांच वर्ष में ३० करोड़ रुपया दिया जाने वाला है। ऐसी अवस्था में क्या हमें पहले से ही इसमें अविश्वास की धारणा बना कर काम शुरू करना चाहिये ? मैं बोर्ड को उच्चतम अधिकार देना चाहता हूं ताकि यह कुछ कार्य कर के दिखा सके। यदि हम इसमें थोड़ा-सा भी अविश्वास प्रकट करेंगे तो यह दक्षता से कार्य नहीं कर सकेगा। स्वायत्त बोर्डों में सदा ही यह प्रथा रही है कि वे सब नियुक्तियां स्वयं ही करते हैं। वे अपने यहां की सेवा की शर्तें भी स्वयं ही निश्चित करते हैं ताकि वे दक्षता से कार्य कर सकें। मुझे इस प्रकार की कोई भी आशंका नहीं है कि बोर्ड में भाई-भतीजावाद आदि किसी किस्म का पक्षपात चलेगा। अतः मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

जहां तक ग्रामों से भर्ती करने का सम्बन्ध है संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है। ऐसा लगता है श्री विभूति मिश्र को कुछ मिथ्या भ्रम हो गया है। इस बिल का प्राथमिक उधार संस्थाओं अथवा स्कंधों अथवा भंडारों में अधिकारियों की नियुक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध केवल विकास बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति से है। और इनकी संख्या तो बहुत थोड़ी होगी। संविधान के उपबन्धों का ध्यान रखते हुये खेद से कहना पड़ रहा है कि मैं श्री विभूति मिश्र के संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय ने संशोधन संख्या ३८, ३९ और ११७ सभा के मतदान के लिये रखे और वे अस्वीकृत हुए।

संशोधन संख्या ६८ सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस खण्ड पर और कोई संशोधन नहीं है। अब मैं इस खण्ड को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है कि "खण्ड ८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ९—(बोर्ड के कार्य)

†**श्री राने** : मैं संशोधन संख्या १० और ११ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : मैं संशोधन संख्या ४० और ४१ का प्रस्ताव करता हूं।

†**सरदार इकबाल सिंह** : मैं संशोधन संख्या ७५ का प्रस्ताव करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सभी संशोधन अब सभा के सामने हैं।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : मेरे दोनों संशोधनों का उद्देश्य यह है कि बोर्ड के अन्य कार्यों में लोहा और इस्पात के वितरण का कार्य भी सम्मिलित किया जाये, क्योंकि कृषि औज़ारों को बनाने के लिये यह बहुत आवश्यक है। सभी किसान न केवल अपने औज़ार ही बल्कि अपने लोहार से उन्हें बनवाने के लिये लोहा और इस्पात भी बाज़ार से ख़रीदते हैं। इन चीज़ों की कीमतें बहुत ऊंची होती हैं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन० बी० चौधरी]

और इनकी कीमतों को बारे में सरकारी नीति भी ऐसी है कि उन्हें बड़ी कठिनाईयां होती हैं। अतः सरकार को इन चीज़ों का स्वयं उपयुक्त दामों पर वितरण करना चाहिये।

दूसरी बात फसलों का बीमा करने के सम्बन्ध में है। मैं एक अन्य कण्डिका के रूप में (ङ) उपबन्ध और जोड़ना चाहता हूं। उसमें पहले ही एक उपखण्ड (घ) है। फसलों का बीमा करना भी बोर्ड का एक कार्य होना चाहिये। इस सम्बन्ध में ग्रामीण उधार सर्वेक्षण समिति ने जो वित्त के अभाव तथा अन्य कठिनाइयों का जिक्र किया है मैं उन सब से भली भांति परिचित हूं किन्तु फिर भी भारत में प्रतिवर्ष इतनी फसलों का नाश होता है। उनका बीमा करने के लिये कोई नहीं आगे आता है जबकि अन्य प्रत्येक प्रकार के बीमे होते हैं। किसानों को इसकी बड़ी आवश्कता है। इसके होने पर किसानों को कोई कठिनाई नहीं होगी। सरकार को इस संबंध में अवश्य ही कुछ न कुछ करना चाहिये।

सरदार इकबाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा एमेंडमेंट क्लाज ९ में है जिसका नम्बर ७५ है। इसके ज़रिये मैं यह चाहता हूं कि क्लाज ९ (डी) के बाद कुछ अंश (जोड़) दिया जाये। मेरा मंशा इस एमेंडमेंट को देने का यह है कि अगर बोर्ड जरूरी समझे तो वह कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ की, स्टेट हाउसिंग कारपोरेशंस, स्टेट कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ वगैरह की मदद एग्रिकलचरल प्रोड्यूस की खरीद में या उसकी बिक्री में ले सकता है। इसके अलावा अगर यह बोर्ड मुनासिब समझे तो कर्जे वगैरह भी इनके जरिये से अदा कर सकता है।

इसके अलावा एक मेरा एमेंडमेंट नम्बर ७६ है जिस के ज़रिये से मैं यह चाहता हूं कि यह ठीक नहीं है कि बोर्ड की एक्टिविटीज पर पहले से ही किसी किस्म की पाबन्दियां लगा दें कि वह कोई ऐसा काम न करे जिस से कि आल इंडिया खादी ऐंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड या हैंडलूम बोर्ड के काम में कोई इंटरफीयरेंस हो। ऐसा करने से अगर यह बोर्ड कोई अच्छा काम भी करना चाहता है तो वह भी यह नहीं कर सकेगा।

इसलिये मैं यह चाहता हूं कि मेरी एमेंडमेंट नम्बर्स ७५ और ७६ को एकसेप्ट कर लिया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने संशोधन संख्या ७६ को पहले नहीं रखा था। उन्होंने मुझे केवल संख्या ७५ की सूचना दी है। अब वह ७६ पर आग्रह कर रहे हैं। क्या वह उसे भी रखना चाहते हैं ?

†**सरदार इकबाल सिंह :** जी हां। मैं अपना संशोधन संख्या ७६ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह संशोधन भी सभा के सामने है।

†**श्री राने :** मैंने संशोधन संख्या १० तथा ११ को स्पष्टीकरण के हेतु प्रस्तुत किया है। मुझे यह नहीं पता लग रहा है कि उपकरणों में इंजन भी आयेंगे। मेरे ज़िले में कई कृषकों ने तैल-इंजन खरीद लिये हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इन उपकरणों तथा इंजनों की बिक्री को भी शामिल कर ले। क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह इस खंड के अन्तर्गत हैं अथवा नहीं। संशोधन ११ में मैंने यह प्रस्ताव रखा है यदि आवश्यक समझा जाये तो किसानों को बैल गाड़ियां भी दी जायें।

†**श्री ए० पी० जैन :** खण्ड (घ) के शब्दों से बिल्कुल स्पष्ट है कि उसमें तैल इंजन भी शामिल हैं। हमने इस खण्ड में कुछ ऐसी वस्तुयें गिनाई हैं जो कि प्रायः प्रयोग में आती हैं। इसमें कृषि के लिये अन्य उपयोगी उपकरण भी शामिल हैं। उन सभी का यहां उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा गया। इसमें लोहा और इस्पात भी शामिल हैं। मेरे विचार में माननीय सदस्यों को इस स्पष्टीकरण से संतोष हो गया होगा और अब वे अपने संशोधनों के लिये आग्रह नहीं करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरदार इकबाल सिंह जी के संशोधन के बारे में मुझे यह कहना है कि उन्होंने बोर्ड के कार्यों को गलत समझा है। इस बोर्ड का सहकारी संस्थाओं अथवा बैंकों से सीधे कोई सम्बन्ध नहीं होगा। इस प्रकार इसका राज्य भंडार निगम से भी सीधे कोई सम्बन्ध नहीं होगा। हां, यह केन्द्रीय भंडार निगम से अवश्य सीधे लेन-देन रखेगा। यदि यह राज्यों के निगमों अथवा सहकारी संस्थाओं से सीधे लेन-देन रखने लगेगा तो राज्यों के अधिकारों में एक बाधा सी उत्पन्न हो जायेगी। अतः ऐसा करना उनके साथ ज्यादती होगी। जहां तक उपखण्ड २ का सम्बन्ध है सरकार द्वारा पहले ही अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हो चुकी है। अब उस कार्य को दोहराने से अथवा उसके विकास में संघर्ष उत्पन्न करने से कोई लाभ नहीं है। अतः लघु उद्योगों का विकास करना इस बोर्ड का कार्य नहीं हो सकता है।

†**श्री एन० बी० चौधरी :** फसल बीमा भी :

†**श्री ए० पी० जैन :** जहां तक फसलों के बीमे का सम्बन्ध है माननीय सदस्य ने स्वयं ही ग्राम उधार सर्वेक्षण समिति का हवाला दे कर अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं सभी संशोधन सभा के सामने रखता हूं।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय ने संशोधन संख्या १०, ११, ४०, ४१, ७५, ७६, सभा के मतदान के लिये रखे और ये सभी अस्वीकृत हुये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १०—(बोर्ड की कार्यपालिका समिति)

†**श्री एन० एम० लिंगम :** मैं संशोधन संख्या ४२, ४३ और ४४ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री राने :** मैं संशोधन संख्या १२ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री ए० पी० जैन :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

(१) पृष्ठ ५, पंक्ति १७ में "two members" ("दो सदस्य") शब्दों के स्थान पर "three members" ("तीन सदस्य") रखे जायें।

(२) पृष्ठ ५, पंक्ति १९ में "clause (i)" ["खण्ड (१)"] के स्थान पर शब्द "clauses (i), (ii) and (vi)" ["(खण्ड (१), (२) और (४)"] रखे जायें।

(३) पृष्ठ ५ में से पंक्ति २१ हटा दी जाये।

†**श्री मादिया गौडा :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ ५, पंक्ति २४ में शब्द "one member" ("एक सदस्य") के स्थान पर शब्द "two members" ("दो सदस्य") रखे जायें।
इसके अतिरिक्त में संशोधन संख्या ७९ का भी प्रस्ताव करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन अब सभा के समक्ष है।

†**श्री एन० एम० लिंगम :** इस खंड का सम्बन्ध कार्यपालिका समिति की रचना से है। हमें मालूम है कि कार्यपालिका समिति ही बोर्ड का काम कराने का मुख्य साधन है। वही रोज़मर्रा का काम करती

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन० एम० लिंगम]

है । मेरा संशोधन यह है कि कार्यपालिका का सभापति बोर्ड का भी सभापति हो जिससे कि वह दिन प्रति दिन की उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत रहे । दूसरी बात यह है कि कार्यपालिका समिति में गैर-सरकारी प्रतिनिधित्व बहुत कम रहेगा । एक तरह से यह सचिवालय का ही विस्तार होगा । कार्यपालिका समिति के सभापति मंत्री जी स्वयं होने चाहियें ।

मेरे दूसरे संशोधन का उद्देश्य कार्यपालिका समिति के कार्य क्षेत्र की परिभाषा कराना है । मैं चाहता हूं कि इसके कृत्य बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित हों अथवा नियमों के अन्तर्गत निश्चित किये गये हों । अन्यथा यह बोर्ड की सारी शक्ति अपने हाथ में लेगी ।

†**श्री मादिया गौडा** : मेरे संशोधन संख्या ७८ का उद्देश्य कार्यपालिका समिति में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या एक से बढ़ा कर दो कर देना है ।

†**श्री ए० पी० जैन** : मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं ।

†**श्री मादिया गौडा** : मेरे दूसरे संशोधन संख्या ७९ का आशय यह है कि कार्यपालिका समिति का उपसभापति कम से कम एक गैर-सरकारी सदस्य हो । यह अच्छा नहीं होगा कि इस समिति का सभापति, उप-सभापति तथा सचिव सब के सब सरकारी सदस्य हों ।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर जिला—दक्षिण) : मैं सर्वश्री लिंगम और मादिया गौडा के संशोधनों का समर्थन करता हूं ।

कार्यपालिका समिति में सभापति को स्थान न देना उचित नहीं है । सभापति अपने स्थान पर किसी व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकता है ।

सभापति और उप-सभापति दोनों सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहियें । उप-सभापति अवश्य ही गैर-सरकारी व्यक्ति होना चाहिये ।

†**श्री ए० पी० जैन** : मेरे संशोधन सरल हैं । उनका उद्देश्य है नाम निर्देशन में अधिक लचीलापन लाना ।

श्री मादिया गौडा के संशोधन को, कि खण्ड (ङ) में एक सदस्य के बजाये दो सदस्य होने चाहियें, मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री लिंगम के दो संशोधन हैं, एक यह है कि बोर्ड का सभापति कार्यपालिका समिति का सभापति होना चाहिये । इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह पूरे समय का काम होगा और नीतियों को कार्यान्वित करना मंत्री का काम नहीं है । खाद्य और कृषि मंत्री पर समिति के सभापति बन जाने से बहुत भार पड़ जायेगा । उसे अपने मंत्रालय के बहुत से विभागों का प्रशासन करना होता है । उप-सभापति भी पूरे समय का पदाधिकारी होगा । मैं इस पद पर गैर-सरकारी सदस्य को रखना चाहता था, किन्तु यदि गैर-सरकारी व्यक्ति पूरे समय का कर्मचारी बन जाता है तो वह गैर-सरकारी नहीं रहता । वर्तमान उपबन्ध में इससे कोई वृद्धि नहीं होती ।

उपखण्ड (३) के श्री लिंगम के संशोधन के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं कि बोर्ड कार्यपालिका समिति के अधिकारों पर सीमायें लगायेगा, किन्तु अधिकारों के सौंपने का उपबंध करना उचित नहीं होगा । मैं समझता हूं प्रक्रिया का रूप यह होना चाहिये कि सब अधिकार सौंप दिये जाएं समझे जायें किन्तु इस प्रत्यायोजन पर सीमायें अवश्य लगाई जायें । मैं समझता हूं और कोई संशोधन नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

निगम विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ५, पंक्ति १७ पर "two members" ["दो सदस्य"] शब्दों के स्थान पर "three members" ["तीन सदस्य"] शब्द रख दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ५, पंक्ति १९ में, "clause (1)" ["खण्ड (१)"] शब्दों के स्थान पर "clauses (i), (ii) and (iv)" ["खण्ड (१), (२) और (४)"] शब्द रख दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ५ में से पंक्ति २१ हटा दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ५, पंक्ति २४ में "one member" ["एक सदस्य"] शब्दों के स्थान पर "two members" ["दो सदस्य"] शब्द रख दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री एन० एम० लिंगम के संशोधन संख्या ४२, ४३, ४४ और श्री टी० एन० गौड के संशोधन संख्या ७९ तथा श्री राने के संशोधन संख्या १२ सभा के समक्ष मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १०, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ११—(केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को अनुदान)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या श्री एन० बी० चौधरी अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

†**श्री एन० बी० चौधरी** : मुझे राष्ट्रपति से उनको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं मिली ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसलिये श्री चौधरी के संशोधन प्रस्तुत नहीं हैं ।

†**श्री ए० पी० जैन** : किसी भी संशोधन के लिये मंजूरी नहीं दी गई ।

†**श्री मादिया गौडा** : मैं अपने संशोधन संख्या ८० और ८२ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

†**श्री ए० पी० जैन** : संशोधन संख्या ८० के लिये राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता थी, और वह अनुमति नहीं मिली ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं संशोधन संख्या ८२ के लिये राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं । माननीय सदस्य उसे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

†**श्री मादिया गौडा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ६ में से पंक्ति ७ से १० तक हटा दी जाए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मादिया गौडा]

खण्ड ११ (क) और इसके परन्तुक में कुछ विरोध प्रतीत होता है। पहले भाग में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार बोर्ड को अनुदान देगी, परन्तु परन्तुक में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार इस राशि को घटा बढ़ा सकेगी। इसलिये इस विरोध को हटाने के लिये परन्तुक को हटा दिया जाये और खण्ड ११ (क) में "की राशि" शब्दों के पूर्व "से कम नहीं" शब्द जोड़ दिये जाएं।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : भाण्डागारों सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने और उत्पादकों को उपयुक्त लाभ देने के बारे में पहली बार उपबन्ध किया जा रहा है। किन्तु यह निधि बहुत कम है, जबकि औद्योगिक उपक्रम के लिये बड़ी भारी रकम दी जाती है और ब्याज के बिना भी।

इन नवीन सहकारी संस्थाओं को संगठित करने और संसाधन जुटाने के लिये समय लगेगा। परन्तु यदि हम इस समय उपबंध नहीं करते तो अधिक प्रगति नहीं होती। सभा की इच्छा है कि यह राशि बढ़ा दी जाये, अतः इसे बढ़ा देना चाहिये।

†**श्री ए० पी० जैन** : उप खण्ड (क) और उसके परन्तुक का यह आशय है कि पांच वर्ष की अवधि में सरकार २५ करोड़ रुपये देगी। किन्तु यह आवश्यक नहीं कि प्रति वर्ष सरकार ५ करोड़ रुपये दे। प्रारम्भ के वर्षों में हो सकता है बोर्ड को पूरे धन की आवश्यकता न हो, और धन के बेकार पड़े रहने से किसी को भी कोई लाभ नहीं होगा। बोर्ड की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर आवंटन किया जायेगा, परन्तु पांच वर्षों में कुल २५ करोड़ रुपये आवंटित किये जायेंगे। मुझे खेद है कि इस सम्बन्ध में मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री एन० बी० चौधरी के तर्क के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सब बातों पर विचार करने के बाद ही यह उपबंध किया गया है। सरकार की और भी मांगें हैं और मैं समझता हूं कि जो लक्ष्य हमारे मन में है उसे पूरा करने में यह उपबंध बहुत सहायक होगा।

श्री एन० बी० चौधरी का संशोधन संख्या ८२ उपाध्यक्ष द्वारा मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ११ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १३—(विकास-निधि)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या श्री मादिया गौडा अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

†**श्री मादिया गौडा** : मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १४—(भाण्डागार-व्यवस्था निधि)

†**श्री कृष्ण चन्द्र** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ७, पंक्ति १४ के अन्त में "सहकारी संस्थाओं के द्वारा" शब्द जोड़ दिये जायें।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ए० पी० जैन** : मैं इसे स्वीकार नहीं करता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कृष्ण चन्द्र का संशोधन संख्या १२० मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १५—(प्रत्याय और प्रतिवेदन)

श्री विभूति मिश्र ने खण्ड १५ के बारे में अपने संशोधन संख्या ८५, ८७ और श्री मादिया गौड़ा ने संशोधन संख्या ८६ प्रस्तुत किये ।

†**श्री मादिया गौड़ा** : मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि प्रतिवेदन की एक प्रति के स्थान पर प्रतियां संसद् की दोनों सभाओं के सामने रखी जायें ।

†**श्री ए० पी० जैन** : एक का अर्थ कई प्रतियों से हो सकता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तीनों संशोधन प्रस्तुत हुये ।

श्री विभूति मिश्र : मेरा अमेंडमेंट [संशोधन] नम्बर ८५ यह है कि सफा ७ पर लाइन २१ में "ईच इअर" [प्रत्येक वर्ष] की जगह "ईच क्वार्टर आफ ए इअर" ["वर्ष की प्रत्येक तिमाही"] कर दिया जाये । मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां साल में तीन फसलें होती हैं, भदई, अगहनी और रबी । इन तीनों फसलों के बारे में साल भर बाद सरकार की तरफ से रिटर्न निकलेगा और तब लोगों को पता चलेगा । सरकार एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है । मेरा सुझाव है कि जब एक फसल की चीजें सरकार के गोदामों में पहुंच जायें तो वह एक रिपोर्ट निकाल दे कि किस रेट पर ये चीजें आयीं और फसल की क्या परिस्थिति रही ताकि लोगों को पता चल जाये । अगर रिपोर्ट निकालने में मंत्री जी कोई कठिनाई अनुभव करते हों तो वे कोई बुलेटिन ही निकाल दें या कोई दूसरा इन्तिजाम करदें ताकि लोगों को पता चल जाय कि सरकार कितना काम कर रही है और क्या कार्रवाई हो रही है ।

मेरा दूसरा अमेंडमेंट नम्बर ८७ है जिसमें कहा गया है कि रिपोर्ट की कापी [प्रति] पार्लियामेंट के हर मेम्बर को भी सप्लाई [मुहय्या] की जाये । इससे मालूम हो जायेगा कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, क्या हुआ है और क्या होने वाला है । केवल इतना ही काफी नहीं है कि रिपोर्ट को पार्लियामेंट की मेज पर रख दिया जाये ।

श्री ए० पी० जैन : जहां तक कि तीन महीने में रिपोर्ट देने का सम्बन्ध है मेरा कहना है कि पार्लियामेंट को बहुत सारा काम करना होता है, आमतौर से इस किस्म की कारपोरेशंस [निगमों] की रिपोर्ट्स साल में एक बार दी जाती हैं । खुद कारपोरेशन की इस बात में दिलचस्पी है कि वक्तन फवक्तन [समय-समय पर] उसकी जो कुछ कार्यवाही हो रही है, उसके बारे में वह बुलेटिन निकाले और लोगों को उसके बारे में बतलाये । जहां तक मेम्बरों को उस रिपोर्ट की एक-एक कापी सप्लाई करने का सवाल है, वह उनको दे दी जायेगी और श्री विभूति मिश्र को एक कापी की जगह रिपोर्ट की दो कापी दे दी जायेंगी, लेकिन इसको इस क्लाज में लिखने की कोई जरूरत नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८५, ८६ और ८७ सभा के मतदान के लिये रखे गय और अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड १५ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : समय थोड़ा है इसलिये या तो हमें एक या दो खण्ड चुन लेने चाहिय या माननीय मंत्री को बताना चाहिये कि वह किन संशोधनों को स्वीकार करने को तैयार हैं, ताकि हम उन खंडों को पहले ले लें और बाकी सब खण्डों का इकट्ठा निपटारा कर लें ।

†**श्री ए० पी० जैन** : खण्ड २५ में मैं संशोधन संख्या १६९, और १७० स्वीकार करना चाहता हूं, जिन में "उर्वरक" के पश्चात् "कृषि सम्बन्धी औजार" सम्मिलित करने का विचार है । और खण्ड ३४ में संशोधन संख्या १७१ और १७२ स्वीकार करना चाहता हूं, जिनमें "उर्वरक" के पश्चात् "कृषि सम्बन्धी औजार" सम्मिलित करने का विचार है । खण्ड ४६ में मैं संशोधन संख्या १७३ स्वीकार करूंगा और खण्ड २२, उपखण्ड (६) के बारे में एक संशोधन है, उसें मैं संशोधित रूप में स्वीकार करना चाहता हूं । श्री श्यामनन्दन सहाय के संशोधन संख्या १७५ को मैं स्वीकार नहीं करना चाहता ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : यदि दो संशोधनों का आशय एक ही हो, तो पहले संशोधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । सरदार इकबाल सिंह के संशोधन संख्या १५५ पर मेरे संशोधन संख्या ४९ को प्राथमिकता मिलनी चाहिये । बेहतर यह है कि "कृषि सम्बन्धी औजार" शब्द अन्त में आयें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि आपके नाम के साथ उनका नाम भी आ जाये, तो क्या यह चीज माननीय सदस्य को स्वीकार्य होगी ?

†**श्री एन० बी० चौधरी** : हां ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले हम उन खण्डों को लेंगे जिनके बारे में सरकार संशोधन स्वीकार करने को तैयार है । यदि बाद में समय न बचा तो बाकी खण्डों को इकट्ठा प्रस्तुत किया जायगा ।

खण्ड २२––(केन्द्रीय भाण्डागार-व्यवस्था निगम के निदेशक के पद के लिये अनर्हता)

†**श्री श्यामनंदन सहाय** (मुजफ्फरपुर–मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ११, पंक्ति ३१ में "Incorporated Company" ["निगमित समवाय"] के स्थान पर "Public Company as defined in the Companies Act, 1956 (I of 1956)" ["सार्वजनिक समवाय जिसकी परिभाषा समवाय अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) में है"] शब्द रख दिये जायें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ११ पंक्ति ३१, में "Incorporated Company" ["निगमित समवाय"] के स्थान पर "Public Company as defined in the Companies Act, 1956 (I of 1956)" ("सार्वजनिक समवाय जिसकी परिभाषा समवाय अधिनियम, १९५६ [१९५६ का १ में है"] शब्द रख दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†मूल अंग्रजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २५—(केन्द्रीय भाण्डागार-व्यवस्था निगम के कार्य)

†**सरदार इकबाल सिंह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ १२, पंक्ति २० में "and fertilizers" ["और उर्वरक"] शब्दों के स्थान पर "fertilizers and Agricultural implements" ["उर्वरक और कृषि सम्बन्धी औजार"] शब्द रख दिये जायें तथा पृष्ठ १२ पंक्ति २८ में "and fertilizers" ["और उर्वरक"] शब्दों के स्थान पर "fertilizers and Agricultural implements" ["उर्वरक और कृषि सम्बन्धी औजार"] शब्द रख दिये जायें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ १२, पंक्ति २० में "and fertilizers" ["और उर्वरक"] शब्दों के स्थान पर "fertilizers and Agricultural implements" ["उर्वरक और कृषि सम्बन्धी औजार"] शब्द रख दिये जायें तथा पृष्ठ १२, पंक्ति २८ में "and fertilizers" ["और उर्वरक"] शब्दों के स्थान पर "fertilizers and Agricultural implements" ["उर्वरक और कृषि सम्बन्धी औजार"] शब्द रख दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३४—(राज्य भाण्डागार-व्यवस्था निगम के कार्य)

†**सरदार इकबाल सिंह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ १६, पंक्ति २६ में "and fertilizers" ["और उर्वरक"] शब्दों के स्थान पर "fertilizers and Agricultural implements" ["उर्वरक और कृषि सम्बन्धी औजार"] शब्द रख दिये जायें। तथा पृष्ठ १६, पंक्ति ३३ और ३४ में, "and fertilizers" ["और उर्वरक"] शब्दों के स्थान पर "fertilizers and Agricultural implements" ["उर्वरक और कृषि सम्बन्धी औजार"] शब्द रख दिये जायें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ १६, पंक्ति २६ में "and fertilizers" ["और उर्वरक"] शब्दों के स्थान पर "fertilizers and Agricultural implements" ["उर्वरक और कृषि सम्बन्धी औजार"] शब्द रख दिये जायें। तथा पृष्ठ १६, पंक्ति ३३ और ३४ में "and fertilizers" ["और उर्वरक"] शब्दों के स्थान पर "fertilizers and Agricultural implements" ["उर्वरक और कृषि सम्बन्धी औजार"] शब्द रख दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४६—(विश्वस्तता और गौपनीयता की घोषणा)

†**श्री मादिया गौडा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ २१, पंक्ति १५ में "and employee" ["और कर्मचारी"] शब्दों के स्थान पर "officer or other employee" ["अधिकारी या अन्य कर्मचारी"] शब्द रख दिये जायें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २१, पंक्ति १५ में "and employee" ["और कर्मचारी"] शब्दों के स्थान पर "officer or other employee" ["अधिकारी या अन्य कर्मचारी"] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४६, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३१—(निगम के बोर्ड की सदस्यता के लिये अनर्हता)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १५, पंक्ति ३८ में "Incorporated Company" ["निगमित समवाय"] शब्दों के स्थान पर "Public Company as defined in the Companies Act, 1956 [I of 1956]" [सार्वजनिक समवाय जिसकी परिभाषा समवाय अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) में है] शब्द रखे जायें ।

—[**श्री श्यामनन्दन सहाय**]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३१, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १८—(अंशपूंजी और अंशधारी)

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्य श्री एन० बी० चौधरी के संशोधन संख्या १८, १९, ४५, ४६ और श्री आर० एन० सिंह का संशोधन संख्या १२९ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

खण्ड २०—(केन्द्रीय भाण्डागार-व्यवस्था निगम का प्रबन्ध)

†उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री एन० बी० चौधरी का संशोधन संख्या १३१ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड २१–(निदेशक)

†उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री एन० बी० चौधरी के संशोधन संख्या २१ और २२ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

खण्ड २४–(पदाधिकारियों की नियुक्ति, आदि)

†उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री एन० बी० चौधरी का संशोधन संख्या २५ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १६ से ५५, सिवाय खण्ड २२, २५, ३१, ३४ और ४६ के, विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १६ से ५५, तक, सिवाय खण्ड २२, २५, ३१, ३४, और ४६ के विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†श्री ए० पी० जैन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†श्री बी० के० दास : जिस अधिनियम को हम पारित करने जा रहे हैं उसकी सफलता का मूलाधार ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारी समितियों की सफलता है।

माननीय मंत्री ने विधेयक को पुरःस्थापित करते समय हमें बताया था कि वे ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये क्या योजना कार्यान्वित कर रहे हैं, जो सहकारी समितियों के संगठन के लिये हमारी सहायता करेंगे। किन्तु वह योजना सफल नहीं हुई। पूना और दूसरे स्थानों की प्रशिक्षण संस्थाओं ने सहकारी समितियों के लिये उपयुक्त कर्मचारी तैयार नहीं किये। यदि लोगों का पथ प्रदर्शन न किया गया तो सहकारी समितियों का संगठन संभव नहीं है।

जब हम राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं और सामुदायिक विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन करते हैं तो देखते हैं कि इन संस्थाओं के महीनों तक के लेखे नहीं रखे गये। मैं समझता हूं कि विधेयक में भांडार संगठन और अन्य जिन साधनों का विचार किया गया है उनका लाभ उठाया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्व देना चाहिये। सरकार उनमें भाग लेने और वित्तीय सहायता देने के लिये तैयार है।

मुझे आशा है कि सहकारी समितियों के लिये उपयुक्त संगठन करने की ओर सरकार ध्यान देगी।

†श्रीमती जयश्री (बम्बई–उपनगर) : मैं इस विधान के लिये सरकार को बधाई देती हूं जोकि कृषिकारों और जनता के लिये एक वर के समान होगा। हमें कठोर राशन नियंत्रण के दिन याद आते हैं जब छोटे-छोटे बच्चों को एक सेर चावल या बाजरा बेचते हुए पकड़ा जाता था और न्यायालय के पास लाया जाता था। उस समय अनाज की कमी नहीं थी। वरन् बीच के दलालों द्वारा शोषण किया जाता था। बीच के व्यापारियों को हटा कर जनता और कृषिकरों की सहायता के लिये यह एक महान् कार्य किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती जयश्री]

मुख्य बात यह है कि सहकारी उधार समितियों का प्रशासन कैसे किया जाय । मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि एक कृषिकार ने अपनी खड़ी फसल के एवज में बीज खरीदने के लिये धनराशि मांगी थी । तब फीताशाही के कारण उसे ऋण उस समय मिला जबकि बीज बोने की ऋतु समाप्त हो चुकी थी । ऐसी देरी नहीं होनी चाहिये ।

यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि हम अनाज के भांडार की योजनायें बना रहे हैं । मेरा सुझाव है कि अनाज के भांडार की देखभाल करने के लिये अधिक महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिये क्योंकि घरों में भी यह उनकी देखभाल में होता है ।

माननीय मंत्री ने बताया कि हम विक्रय के लिये योजना बना रहे हैं । इसके लिये आवश्यक है कि गांवों से सड़कों द्वारा सम्पर्क हो । यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मादिया गौड़ा को बोलने के लिये कहने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि एक नया सुझाव रखा गया है कि महिलाओं को अनाज भांडार के लिये नियुक्त करना चाहिये । माननीय मंत्री जी को इसका उत्तर देना है ।

†**श्री ए० पी० जैन** : यदि आपकी यह इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूं और उत्तर दूंगा ।

†**श्री मादिया गौडा** : इस महत्वपूर्ण विधान को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिये मैं खाद्य और कृषि मंत्री को बधाई देता हूं । परन्तु इस विधेयक में कुछ मूल त्रुटियां हैं, अतः उनकी ओर ध्यान देना है । हम केन्द्रीय सरकार से लेकर कृषिकार तक एक दर्जेवार संगठन बना रहे हैं जिसमें पहले केन्द्रीय सरकार, फिर बोर्ड, फिर कार्यपालिका समिति, केन्द्रीय भंडार निगम, राज्य सरकारें आदि प्राधिकार होंगे । प्रभावित हित भी होंगे । मंत्री या सरकार के लिये इन सभी तत्वों में सामंजस्य स्थापित करना कठिन होगा । यद्यपि हमारे देश में सहकारी आन्दोलन पचास वर्षों से चल रहा है, तथापि विभिन्न कारणों से लोगों की स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ । दफ्तरशाही और लोगों की अज्ञानता इसके कारण हैं । अब मंत्री महोदय को देखना चाहिये कि सहकारी समितियां और संगठन पूरे उत्साह के साथ काम करें । गोदाम बन जाने पर वहां केवल अच्छे लोग नियुक्त किये जायें । भांडार निर्माण में हमें विभिन्न स्थानों की परिस्थितियों और जलवायु का ध्यान रखना चाहिये । मंत्री जी को यह विधेयक यथाशीघ्र कार्यान्वित करवाना चाहिये ।

श्री आर० एन० सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों के लिये एक ऐसा विधेयक पेश किया है जिस से उन को कुछ लाभ हो सकता है और सहायता मिल सकती है ।

मुझे इस बिल में एक बात यह देखने को मिली है कि शेयर्ज खरीदने के सम्बन्ध में जायंट स्टाक कम्पनीज का नाम रखा गया है, अर्थात् जायंट स्टाक कम्पनीज भी शेयर खरीद कर हिस्सेदार बन सकेगी । इस वक्त जो जायंट स्टाक कम्पनीज बनी हुई है उनमें से ज्यादातर प्राइवेट कम्पनियां हैं और प्रायः मिडलमैन ने अपनी सुविधा के लिये उनको बना रखा है । मुझे डर है कि यदि उन्हें भी शेयर खरीदने का अधिकार दिया गया तो भविष्य में वे अपने पैसे के बल से——अपने पैसे के जोर से——दूसरे लोगों को——किसानों को, अपने अन्दर मिला लेंगे, जिसका नतीजा यह होगा कि धीरे-धीरे उस में उनका ही अधिकार हो जायेगा और वे नफा कमाने के लिये कोई रास्ता ढूंढ़ लेंगे । मेरा मत यह है कि जो इस तरह की कम्पनीज बनी हुई हैं, उन को इसमें शेयर खरीदने का अधिकार नहीं देना चाहिये था । फिर भी अब माननीय मंत्री जी को जैसा एक्सपीरियंस होगा, उसी के अनुसार वह कार्यवाही करेंगे । मुझे केवल इतना ही कहना था कि मुझे सन्देह है कि इस अवस्था में किसानों को कुछ तकलीफ और नुकसान हो । धन्यवाद ।

---

†मूल अंग्रजी म

†**श्री ए० पी० जैन** : मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को पारित करने में सहयोग दिया है। यह सत्य है कि हम इसके लिये इतना समय नहीं दे सके जितना कि इस विधान के महत्व के कारण आवश्यक था। परन्तु मैंने यथा संभव अधिकाधिक दृष्टिकोणों को ले लिया है। इस सभा में कई बातें कही गई हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि उन पर कार्यवाही की जायेगी। हम उनके परामर्श से लाभ उठायेंगे। मुझे यह भी आशा है कि इस महत्वपूर्ण विधान के प्रवर्तन में मुझे माननीय सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा।

जैसा कि आपने देखा, एक नई बात कही गई है। भांडार की देखभाल के लिये महिलायें उपयुक्त हैं, ऐसा कहा गया है। वास्तव में तो वे भांडार की अपेक्षा घर की देख भाल के लिये उपयुक्त हैं। हमने कार्य आरम्भ कर दिया है और हमने भांडार की रखवाली के लिये एक महिला को नियुक्त किया है। मुझे आशा है कि और महिलायें इसके लिये अग्रसर होंगी और आज तक जिन स्थानों की अधिकारिणी रही हैं उनसे अधिक महत्वपूर्ण पदों का अधिकार प्राप्त करेंगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

बावनवां प्रतिवेदन

†**श्री मुरारका** (गंगानगर-झुंझनू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा ९ मई, १९५६ को सभा में उपस्थापित किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के ५२वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

व्यक्ति की अधिकतम आय के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री विभूति मिश्र के उस प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करेगी जो उन्होंने २७ अप्रैल, १९५६ को व्यक्ति की आय की उच्चतम सीमा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया था।

†**श्री विभूति मिश्र** (सारन व चम्पारन) : उपाध्यक्ष जी, जिस प्रस्ताव को मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को १९४७ में ही, जब कि उसको दिल्ली का तख्त मिला था, उस प्रस्ताव के सिद्धांत को स्वीकार करके उसे कार्य रूप में परिणत करना चाहिये था। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने इस बारे में इतनी देरी क्यों की है। जितने भी हमारे भाई कांग्रेस में रहे हैं या जिनका गांधी जी के साथ सम्बन्ध रहा है, वे नित्य प्रति आश्रमों और जिला और थाना कांग्रेस कमेटियों में गांधी जी द्वारा बनाई हुई प्रार्थना सुबह शाम गाया करते थे। उस प्रार्थना से गांधी जी हम लोगों को तैयार करते थे। उस प्रार्थना में पहली बात यह थी :

न त्वम् कामेयराज्यम् न स्वर्गम् न पुनरभवम्,
काम मे दुःख तप्तानाम् प्राणिनामार्ति नाशनम्।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विभूति मिश्र]

गांधी जी की प्रार्थना में यह बात थी कि हमको राज्य नहीं चाहिये, हमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है, हमको एक ही इच्छा है कि हम गरीबों का दुःख दूर कर सकें। इसी प्रार्थना के साथ साथ हम गांधी जी की एकादश व्रत की प्रार्थना करते थे। उनमें एक प्रार्थना यह भी थी कि हम को अपरिग्रही होना चाहिये। हम लोग जो स्वराज्य के सैनिक थे और गांधी जी के उसूलों के अनुसार रचनात्मक काम करते थे उनको इन प्रार्थनाओं को रोज सुबह और शाम पाठ करना पड़ता था। गांधी ने इन प्रार्थनाओं के द्वारा देश में रचनात्मक कार्य की भावना पैदा की। फिर गांधी जी ने देखा कि हिन्दुस्तान का काम इस तरह से नहीं चलेगा तो उन्होंने एक दूसरी बात बतलायी कि ट्रस्टीशिप [न्यासधारण] होनी चाहिये। गांधी जी की ट्रस्टीशिप का क्या उसूल है, उसको गांधी के साथ रहने वाले प्यारे लाल जी ने अपनी पुस्तक Gandhian Techniques in the Modern World [गांधियन टेक्नीक्स इन दी मार्डन वर्ल्ड] में इस प्रकार बतलाया है। इस किताब के पेज २९ पर उन्होंने लिखा है :

"गाधी जी का यह विश्वास नहीं था कि जब धनी और दरिद्र में इतना अधिक अन्तर हो तो समाज में शांति हो सकती है।"

फिर इसके वास्ते गांधी जी कहते हैं कि यह कैसे दूर होगा :

"धनी और दरिद्र के अन्तर को समाप्त करने का साधन यह है कि धनी अपनी प्रतिभा और कमाई को समाज हित के लिये न्यास रूप में प्रयोग करें।"

गांधी जी कहते थे कि जो कुछ हमारे पास शक्ति, बुद्धि या धन है यह समाज की सेवा के लिये है। फिर गांधी जी ने बतलाया :

"न्यासधारी के रूप में उन्हें अपनी सेवा की एवज में उपयुक्त शुल्क रखने का अधिकार है।"

फिर आगे गांधी जी ने कहा कि क्या होना चाहिये :

"इसका यह अभिप्राय नहीं कि जब तक पूंजीपतियों को न्यासधारी बनाने के लिये विधान नहीं बनाया जाता यह कार्य उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाये।"

गांधी जी ने इस बात को उस समय कहा था जबकि हिन्दुस्तान आजाद नहीं था। उस समय गांधी जी ने कहा था कि हम सारी बातें कैपीटलिस्ट्स [पूंजीपतियों] के हाथ में नहीं छोड़ देना चाहते हैं। मान लीजिये कि हिन्दुस्तान का राज्य हमारे हाथ में न आवे और हम चाहें कि ये चीजें कैपीटलिस्ट्स [पूंजीपतियों] के हाथ में न रहें तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में गांधी जी ने बतलाया था :

"यदि वे स्वामित्व के नये आधार को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करते तो अहिंसा और असहयोग का आन्दोलन किया जायेगा।"

गांधी जी ने कहा था कि अगर ये बड़े-बड़े पूंजीपति, ये धनी मानी लोग और ये बड़े-बड़े सेठ साहूकार हमारे ट्रस्टीशिप [न्यास] के आइडिया [विचार] को नहीं मानेंगे तो हम अहिंसात्मक असहयोग करेंगे। यह गांधी जी ने उस समय कहा था जब कि हिन्दुस्तान आजाद नहीं हुआ था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के मुख्य सिद्धांत क्या थे। उनके मुख्य सिद्धांत ये थे :

"प्रन्यास से पूंजीवादी समाज को समानता की समाज में परिवर्तित किया जा सकता है।"

यह पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत यह था :

"उसे निजी सम्पत्ति मान्य नहीं सिवाय जब कि समाज अपने हित के लिये अनुमति दे।"

तीसरा सिद्धांत यह था :

"धन के स्वामित्व और प्रयोग के सम्बन्ध में वैधानिक विनियमन अपवर्जित नहीं है।"

चौथा सिद्धांत यह था :

"राज्य द्वारा विनियमित न्यास धारण में कोई व्यक्ति धन का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिये नहीं कर सकता ।"

और पांचवां सिद्धांत यह था :

"न्यूनतम मजूरी के साथ न्यूनतम आय भी निर्धारित होनी चाहिये । न्यूनतम और अधिकतम आय का अन्तर उचित होना चाहिये, ताकि अन्तर समाप्त किया जा सके ।"

गांधी जी ने यह सारी बातें बतलाई थीं । लेकिन इन बातों के बतलाने के बाद भी मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार आज तक क्यों चुप बैठी रही । मैं समझता हूं कि सरकार चुप नहीं बैठी रही । हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी [समाजवादी व्यवस्था का समाज] होनी चाहिये, लेकिन वे आज तक सोशलिस्ट पैटर्न [समाजवादी व्यवस्था] की परिभाषा नहीं निकाल सके । गांधी जी ने कहा था कि एक व्यक्ति के पास उतनी ही सम्पत्ति होनी चाहिये जिससे कि उसकी जीविका चल सके । उन्होंने कहा था कि अगर किसी की सम्पत्ति का व्यवहार समाज के लिये नहीं होता है तो हम उसके खिलाफ नान-वायलेंट, नान-कोआपरेशन [अहिंसात्मक असहयोग] करेंगे । उस समय हमारे हाथ में सत्ता नहीं थी। लेकिन आज जब हमारे हाथ में सत्ता आ गयी है तब तो हमको इस काम में एक मिनट की भी देरी नहीं करनी चाहिये । मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार क्यों चुप बैठी है । जो कुछ गांधी जी ने कहा था उसकी बुनियाद पर ही हमको स्वाधीनता मिली है लेकिन आज तक हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया । मैं सरकार से कहूंगा कि यह सरकार गांधी जी की बनायी हुई है और उसे गांधी जी की टैक्नीक [ढंग] से काम लेना चाहिये । अगर वह ऐसा नहीं करेंगी तो टिक नहीं सकेगी और आगे चुनावों में हार जायेगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस देश में जल्दी से जल्दी ट्रस्टीशिप के आइडिया [न्यासधारण] के अनुसार काम करना चाहिये । आज समाजवादी ढंग के समाज की बात कही जाती है लेकिन किसी ने इसकी आज तक डेफीनीशन [परिभाषा] नहीं दी है । कराची कांग्रेस के समय गांधी जी जिन्दा थे । उस समय हमारे प्रधान मंत्री जी भी थे । उस समय वहां पर यह प्रस्ताव पास किया गया था कि देश का बड़े से बड़ा अधिकारी भी ५०० से ज्यादा तनख्वाह नहीं लेगा । लेकिन इस सबके रहते हुए भी, जब हमारे हाथ में सत्ता आयी तो हम उससे ज्यादा पाने लगे । जो देश का संचालन करने वाला है अगर वह अपने प्रस्ताव पर कायम नहीं रह सकता तो दूसरों से हम क्या कहेंगे । इसलिये मेरा कहना है कि हमको कराची कांग्रेस का प्रस्ताव मानना चाहिये । आज यद्यपि गांधी जी नहीं हैं लेकिन उनके समय के पुराने-पुराने नेता तो मौजूद हैं । उनको उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करना चाहिये । हमारी सरकार क्यों नहीं यह काम करती मेरी समझ में नहीं आता ।

एक माननीय सदस्य : उस समय का ५०० और आजकल का २,००० बराबर है ।

श्री विभूति मिश्र : आज भी ५०० से काम चल सकता है । हमारी सरकार इस नीति को थोड़ा बहुत काम में ला रही है । हमारे पास जो ड्राफ्ट प्लान [प्रारूप योजना] आया है उसमें लिखा है कि लैंड की सीलिंग [भूमि की उच्चतम सीमा] होगी और वह सीलिंग इतनी होगी कि पांच आदमियों के एक परिवार को १६०० रुपये साल की आमदनी होनी चाहिये और यह भी कहा गया है कि इससे तिगुनी तक हो सकती है और इसमें से चौथाई खर्चा निकाल दिया जायेगा । इस तरह से १,२०० से ३,६०० रुपये सालाना तक की आमदनी एक पांच आदमियों के परिवार के लिये मुकर्र की गयी है ।

[श्री विभूति मिश्र]

टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन [कर जांच आयोग] की रिपोर्ट हमको दी गयी है। उसमें लिखा है :

"हमारी राय है कि व्यक्तिगत आय की कर भुगतान के पश्चात् उच्चतम सीमा देश के औसत परिवार की विद्यमान उच्चतम आय से लगभग ३० गुना से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह आय कुछ क्रमानुसार होनी चाहिये।"

मैं कहता हूं कि किसानों के लिये तो आपने ३,६०० की सीलिंग रखी और इन बड़े-बड़े पूंजीपतियों के लिये इतनी ज्यादा रखी। मैं समझता हूं कि इस प्लान को जो चलाने वाले होंगे वे भी पूंजीपति ही होंगे। हमारी सरकार की रिपोर्ट बनाने के लिये भी बड़े-बड़े पूंजीपति ही रख दिये जाते हैं। न मालूम स्वराज्य की लड़ाई के समय ये डिप्लोमा वाले लोग कहां थे। उस समय इन बड़े बड़े बैरिस्टरों और पी० एच० डी० लोगों का पता नहीं था और न ये लोग जेल गये। अब जब स्वराज्य मिल गया है तो इनकी इन्क्वायरी कमेटी [जांच समिति] बनती है और ये कमीशन इन्चार्ज होते हैं और कहते हैं कि इतनी आमदनी होनी चाहिये। एक आदमी की पर कैपिटा इनकम [प्रतिव्यक्ति आय] २८० रुपये मानी है, अगर पांच आदमी हुए तो १,४०० रुपये हो गये और तीस गुना कर दीजिये तो ४२ हज़ार हो जाती है, खर्च काटने के बाद यह कहा है और वह भी धीरे-धीरे होगा, यह भी नहीं कहा कि साहब यह जल्दी से जल्दी हो जाय, ऐसा कहा होता तो शायद मैं मान भी लेता। अब आप ही देखिये कि एक किसान परिवार को जिसमें कि पांच आदमी हैं उसको तो आप ३,६०० रुपया देते हैं और जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उनको आप ४२ हज़ार रुपया देते हैं और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही आपका सोशलिस्टक पैटर्न ऑफ सोसाइटी [समाज की समाजवादी व्यवस्था] है ? मैं मानता हूं कि सोशलिस्टक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की टैकनिक हमारे राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री महोदय ने देश के सामने सही रूप से पेश की है और समस्त देशवासियों को पूंजीपतियों और उच्च पदाधिकारियों को उनका इस दशा में अनुकरण करना चाहिये। हमारे राष्ट्रपति जिनको कि पहले माहवारी तनख्वाह साढ़ २२ हज़ार रुपये थी, वे अब अपनी स्वेच्छा से केवल साढ़े ३ हज़ार नेट लेने लगे हैं। इसी तरह हमारे प्रधान मंत्री महोदय जिनको कि पहले ६ या ७ हज़ार रुपये मासिक तनख्वाह मिलती थी, अब केवल वे १८५० रुपये ले रहे हैं, ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता कि उनके नीचे जो सेक्रेटरी आदि विभिन्न मंत्रालयों में हैं, उनको ४, ४ हज़ार रुपये मासिक तनख्वाह किस तरह से मिल रही है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारे मिनिस्ट्रों को यह हिम्मत नहीं होती कि वे सेक्रेटरियों को इस बात के लिये कहें कि वे भी देशहित में कम तनख्वाह लिया करें और मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि हमारे मंत्रिगण उन उच्च सरकारी अफसरों से दबते हैं और उनसे कम तनख्वाह लेने के लिये कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। मैं आपसे पूछता हूं कि नाना फड़नवीस, महराजा रंजीत सिंह और शिवाजी किन स्कूलों और कालिजों में पढ़े थे लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि उन्होंने अपनी कौंसील ऑफ मिनिस्टर्स [मंत्रिपरिषद्] की सहायता से बड़ी कुशलता से शासन कार्य चलाया। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिये इन आई० सी० एस० को हिन्दुस्तान में कायम किया था ताकि इनके जरिये वे हिन्दुस्तान पर हुकूमत चला सकें और इन आई० सी० एस० अफसरों का काम यह होता था कि हिन्दुस्तानियों को छोटी-छोटी बातों में उलझा कर लड़वाते थे और इस तरह से अंग्रेजों ने इस देश पर अपना राज्य मजबूत किया, लेकिन आज तो जमाना बदल चुका है और हमारा देश स्वतन्त्र हो चुका है और हमें इन आई० सी० एस० अफसरों को यह साफ-साफ बतला देना है कि उन्हें आज की बदली हुई परिस्थिति को समझ कर अपने को उसके अनुरूप बनाना है और अब से अपने को जनता का शासक नहीं बल्कि सेवक समझना है और देश के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपनी मोटी-मोटी तनख्वाहों में कमी करवा देनी चाहिये।

अब मैं आपको एक दूसरी बात बतलाना चाहता हूं और उसके लिये मैं आपके सामने वित्त मंत्री श्री सी० डी० देशमुख की स्पीच का वह अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने सीलिंग की बाबत कहा है :

"सभी प्रकार की सम्पत्ति पर सीमा निर्धारण द्वारा आय की ऊपरी सीमा निश्चित करना इस समय संभव नहीं, क्योंकि इस पर मआवजा दिया जायेगा ।"

हमारे देशमुख साहब ने फरमाया है और उनको इस बात की चिन्ता व्याप रही है कि अगर उन्होंने सीलिंग रखी तो उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा । मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कम्पेसेंशन (मुआविजा) कहां देना पड़ेगा । मैं तो कहता हूं कि हमको छदाम भी मुआवजा नहीं देना है । हमें उन पूंजीपतियों और मिलमालिकों को बतला देना चाहिये कि तुम को सिर्फ इतना मुनाफा लेना होगा और बाकी पर हम इतना टैक्स लगाते हैं तो इसमें मुआक्जि का सवाल कहां आता है । इसी तरह जो हमारे ऊंचे पदों पर सरकारी नौकर नियुक्त हैं और मोटी-मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको कह देना चाहिये कि अब वे केवल २ हजार तनख्वाह लें, उससे ज्यादा न लें और मैं तो कहूंगा कि उनको कह दिया जाय कि तुमको हजार रुपये तनख्वाह दी जायेगी, तो मैं पूछता हूं कि उसमें मुआविजे का सवाल कहां पैदा होता है । सरकारी नौकरों के वेतन आदि के बारे में जांच करने के लिये जो कमेटी १३ अप्रैल, सन् १९४७ को बनाई गई थी, उसने सारे मामले की पूरी तरह जांच करने के बाद यह रिपोर्ट दी थी कि ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह सरकारी नौकर की २ हजार रुपये माहवार होनी चाहिये । मैं पूछता हूं कि आज उस कमेटी को बैठे और अपनी रिपोर्ट दिये करीब ९ वर्ष होने को आये लेकिन सरकार चुपचाप बैठी है और उसने उसकी वह २ हजार रुपये वाली सिफारिश को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है । उस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस तरह पर लिखा था :

"असैनिक कर्मचारियों को कोई जोखम नहीं है अपितु उन्हें अनेक सुविधायें प्राप्त हैं ।"

उनकी तनख्वाह घटाने के लिये जब हम लोगों की ओर से आवाज लगाई जाती है तो कहा जाता है कि जब अंग्रेज जाने लगे थे तो आई० सी० एस० सर्विसेज के बारे में हमारा उनसे एक समझौता हो गया था और इस कारण हम उनकी तनख्वाहों आदि नौकरी की शर्तों में परिवर्तन करने में असमर्थ हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले सैकड़ों वर्षों से जो राजे महाराजे रियासतों पर हुकूमत करते आ रहे थे और बड़े-बड़े जमींदार जिनको कि अंग्रेजों ने कायम किया था, उन राजा महाराजाओं और जमींदारों को तो पांच मिनट में खत्म कर दिया लेकिन आप सिविल सर्वेंट्स के लिये कहते हैं कि चूंकि अंग्रेजों के साथ इस देश से जाते समय हमारा एक समझौता हो गया था, इसलिये हम उनकी तनख्वाहें कम करने में असमर्थ हैं, समझ में न आने वाली बात है और मैं प्रधान मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे अगर वास्तव में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को इस देश में पूरी तरह कायम करना चाहते हैं तो जहां उन्होंने राजा महाराजाओं को खत्म किया, जमींदारियां खत्म कीं, वहां इन बड़े-बड़े सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में भी कटौती करें ।

आजकल एक लफ्ज "इनसैंटिव" [प्रोत्साहन] की देश में बहुत चर्चा है और दूसरा लफ्ज जिसकी कि चर्चा है वह "गरीबी का बांटना है" । अब जहां तक इनसैंटिव का सम्बन्ध है मैं पूछता हूं कि अगर डा० विधान चन्द्र राय डाक्टरी का पेशा करते तो आज उनको कितनी आमदनी होती, उसी तरह अगर पंडित जवाहर लाल नेहरू वकालत करते तो उनको कितनी आमदनी होती, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने देश हित के खातिर अपने स्वार्थ की पर्वाह नहीं की । उसी तरह आज हमें देश के पूंजीपतियों को कहना चाहिये कि उन्हें देश की सेवा करनी है और उन्हें अपने में देश सेवा का इनसैंटिव पैदा करना चाहिये और वे जो कुछ धन पैदा करें, वह देश के लिये पैदा करें । मैं

[श्री विभूति मिश्र]

यह नहीं मानता कि इनसैंटिव नहीं आयेगा अगर पैसा नहीं रहेगा। मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि पैसा रहने से इनसैंटिव आता है। मैं पूछता हूं कि इस सदन में कम्युनिस्टों [साम्यवादियों] को छोड़ कर यह जो सोशलिस्ट [समाजवादी] या कांग्रेस वाले बैठे हैं, उन्होंने गांधी जी के हुक्म पर किस तरह अपने घर बार और बाल बच्चों की मोह ममता छोड़ कर स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया और उस लड़ाई में कितने ही मर गये और कितनों की जायदादें जब्त हुईं और अन्य प्रकार की अनेकों मुश्किलें पेश आईं लेकिन उन सब का उन्होंने वीरतापूर्वक मुकाबला किया और सन् १९२० से लेकर आजादी मिलने के वक्त तक वह कमर कसे मैदान में डटे रहे और यह सब इस कारण हो सका कि उनमें देश के लिये कुछ करने का इनसैंटिव था। आज पूंजीपतियों में हमें इस भावना को पैदा करना है कि उन्हें देश के लिये त्याग करना चाहिये और अपने धन का देशहित के कार्यों में त्यागपूर्वक खर्च करना चाहिये।

अब जहां तक गरीबी बांटने का सम्बन्ध है वह तो इस तरह से बांटी जा सकती है कि मान लीजिये मैं और आप कहीं सफर कर रहे हैं और आपके पास यदि चार पूरी हैं और मेरे पास कुछ नहीं है तो हम दोनों दो-दो पूरी बांट कर खा लें और यदि चार आदमी हों तो एक एक पूरी बांट कर खा लें और अगर किसी के पास कुछ खाने को न हो तो चारों उपवास करें, इस तरह तो गरीबी का बांटना हमारी समझ में आता है और इसमें भाईचारा मालूम होता है लेकिन यह भाईचारा और गरीबी का बांटना कहां हुआ जब हम देखते हैं कि एक तरफ तो हमारे लाखों किसान जो गांवों में रहते हैं और जिनके कि पास खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा नहीं है और दूसरी तरफ जब मैं दिल्ली में घूमने निकलता हूं तो बड़ी-बड़ी कोठियों में जिनमें कि बाग लगे हुए हैं और जहां कि बड़े-बड़े साहूकार लोग रहते हैं, उन कोठियों में बड़े-बड़े कुत्ते सामने खड़े दिखाई देते हैं और वे साहूकारों के कुत्ते जाड़ों में बड़े-बड़े कम्बलों से ढके रहते हैं, और जब तक यह असमानता मौजूद रहती है तब तक यह गरीबी का बांटना और भाईचारा कहां हुआ? आप बतलाइये कि क्या यही भाई चारा है, यही अपनत्व है, जो कि इस देश में चलाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि यह नाजायज बात है। आपको इस तरह का इन्सेन्टिव पैदा करना चाहिये जिससे कि अपने ऊपर हम अधिक रोक लगा सकें।

"न त्वहम् कामये राज्यम् न स्वर्गम् नाऽपुनर्भवन्।
कामये दुःख तप्तानाम् प्राणीनामार्तिनाशनम्॥"

यह गांधी जी की प्रार्थना है, इसकी तरफ आप ध्यान दें तभी हमारा और आपका काम चल सकता है। मैं पूछता हूं कि गरीबी को कैसे बांटा जा सकता है। आज बड़े-बड़े सेठ साहूकार हैं, वह भी चार रोटी खाते हैं। अगर उनके पास कम पैसे रहें तो उनको चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। जब उनके पास पैसा होगा तभी उसकी रखवाली की जरूरत पड़ती है। जहां मधु रहता है वहीं मधु निकालने वाला जाता है, जहां मधु नहीं रहता है, वहां कोई नहीं जाता है। इसलिये यदि आपके पास से पैसा जाकर पैसा देश के लिये खर्च हो जायेगा तो आपका देश भी धनिक होगा और उसकी कीर्ति भी होगी। विनोबा जी ने कहा है :

"वेद भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य दान परायण है और अपनी सम्पत्ति का उपयोग सदा सर्वदा सेवा में लगाता है, उसके पास होने वाले धन संचय का किसी को मत्सर नहीं होता है।"

फिर विनोबा जी कहते हैं :

"हम अपने कुल उद्योग सेवा के लिये, करेंगे, हम अपनी दमड़ी-दमड़ी का हिसाब लोगों के सामने पेश करेंगे, पेट के लिये जितना मेहनताना चाहिये, उतना ही लेंगे, ज्यादा नहीं। उसका भी हिसाब हम जनता के सामने पेश करेंगे, और उस पर भी जनता की टीका सुनना चाहेंगे और उस टीका में यदि सत्य दिखायी पड़ेगा, तो उसे दुरुस्त करने के लिये हम तैयार रहेंगे।"

विनोबा जी ने सेठों के बारे में यह २० अप्रैल, १९५६ के 'भूदान यज्ञ' में कहा है। वह कहते हैं कि हम लोग सिर्फ अपने खाने के लिये ही पैसा ले। इसी तरह से गांधी जी ने भी हमें अपरिग्रह वृत्ति की शिक्षा दी थी।

एक बात हम को बहुत दुःखदायी मालूम होती है। हम अपनी पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिये, या हिन्दुस्तान का राज काज चलाने के लिये कभी अमेरिका के पास जाते हैं कभी रूस के पास जाते हैं और उसके सम्बन्ध में कहते हैं कि उसमें कोई स्टिंग नहीं रहना चाहिये, कोई बन्धन नहीं रहना चाहिये। मैं अदब से कहता हूं कि यह मेरे निजी अनुभव की बात है। एक बार मैंने किसी आदमी से थोड़ा रुपया ले लिया था, मेरे पास एक बैलगाड़ी थी। जिस आदमी से मैंने रुपया लिया था वह साल छः महीने में अक्सर बैलगाड़ी मांग लिया करता था। मैं क्या करता, चूंकि उसका कर्जा नहीं अदा कर पाया था, इसलिये उसको बैलगाड़ी मुफ्त देनी पड़ती थी। इसी तरह से जो आदमी किसी का रुपया पैसा लेता है वह लाख चाहे कि कोई स्टिंग न हो, लेकिन उसको दूसरे की मुरौवत जरूर करनी पड़ती है। जिसने किसी का पैसा लिया होगा उसको अनुभव होगा कि कर्जा लेने में स्टिंग जरूर होता है। हमारे देश को भी दूसरे देशों से कर्जा लेना पड़ता है इसलिये उसके ऊपर दूसरे का दबाव पड़ ही सकता है। आखिर, आज यहां पर इतने राजा महाराजा बैठे हुए हैं जिनके पास अथाह सम्पत्ति भरी हुई है। इनके पास मिलें हैं, जिनसे यह लाभ उठाते हैं, दूसरे यहां पर बड़े-बड़े सेठ साहूकार हैं, जिनके कारखाने चलते हैं, मिलें चलती हैं, उनसे पैसा लिया जाय, यहां पर बड़े-बड़े सरकारी नौकर हैं जिनको बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं। भगवान ने सब कुछ अलग-अलग बनाया, लेकिन पेट किसी का भी दूसरा नहीं बनाया। हिन्दुस्तान में मेरे जैसे बहुत से आदमी हैं जो मेहनत करते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा एक सेर, कच्चा, अनाज खा सकता हूं, पक्का आध सेर से ज्यादा नहीं खा सकता, जो बड़े-बड़े दफ्तरों में काम करने वाले हैं वह एक पाव से अधिक नहीं खायेंगे। तो पेट में भगवान ने कोई अन्तर नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने उनमें अन्तर करके किसी को एक हजार दिया और किसी को दो हजार दिया। कहा जाता है कि तनख्वाह से इज्जत होगी। तनख्वाह से इज्जत नहीं होती, विनोबा जी कहते हैं कि तनख्वाह से इज्जत नहीं होती, इज्जत सेवा करने से होती है। कांग्रेस के लोगों ने और नेताओं ने देश की सेवा की और जनता उनके पीछे मरी, गांधी जी की सेवा की वजह से जनता हम लोगों के पीछे दौड़ी। जब गांधी जी चम्पारन गये निलहे लोगों को निकालने के लिये तो सत्तू खाते थे ? यह सत्तू गरीब का भोजन है, लेकिन गांधी जी ने तो सेवा का ही व्रत लिया हुआ था, उन्होंने सत्तू खा कर हम लोगों का दुःख दूर किया, और वह अमर हो गये, महात्मा हो गये। इसलिये सरकार यदि पंचवर्षीय योजना को चलाना चाहती है तो उसको इसके लिये रुपये की कमी नहीं होगी, लेकिन सरकार को चाहिये कि वह जनता की सेवा में लगे। यहां पर कभी-कभी कहा जाता है कि कैपिटल फार्मेशन नहीं होगा। मैं पूंजीपतियों से पूछना चाहता हूं, बड़े-बड़े धनिक लोगों से पूछना चाहता हूं, कि क्या आपके पास पैसा रहेगा तभी कैपिटल फार्मेशन होगा ? अगर वह पैसा सरकार के पास रहेगा तो क्या वह उड़ जायेगा ? यह कहते हैं कि कैपिटल फार्मेशन [पूंजी निर्माण] नहीं होगा। मैं समझता हूं कि अगर सरकार उस पैसे को दूसरे कामों में लगाये, उन्नति के कामों में लगाये, विकास के कामों में लगाये, जिससे देश की उत्तरोत्तर उन्नति हो, तो देश का ज्यादा लाभ होगा। कैपिटल फार्मेशन आपके पास होने से तो आपके पास ही वह पैसा बना रहेगा लेकिन सरकार के पास रहने से उसका सदुपयोग हो सकेगा।

दूसरी बात मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि विनोबा जी ने कहा है कि पैसे से इज्जत नहीं होती, इज्जत काम से होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य और सदस्यों की बात अपने रेजोल्यूशन [संकल्प] पर नहीं सुनेंगे ?

श्री विभूति मिश्र : मैं एक बड़ी अच्छी बात कहता हूं। हमारे एक भाई श्री हिम्मत सिंहका हैं जो कि राज्य सभा के मेम्बर (सदस्य) हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के मेम्बरों को भी ज्यादा मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जान सकते हैं कि मैं अपर चैम्बर की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन उनका चुनाव कैसे होता है। चीफ मिनिस्टर से कहा, सूबे के प्रेजिडेंट से कहा, उनकी थोड़ी बहुत आवभगत की और फिर चुन कर चले आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई ऐसी चीज किसी सदन का नाम लेकर नहीं कहनी चाहिये।

श्री विभूतिं मिश्र : उन्होंने अपनी स्पीच (भाषण) में कहा है। साहब, मैं तो कहता हूं कि अच्छा होता अगर वह ४०० का १००० रु० कर देते। हम लोग जो लोक-सभा के सदस्य हैं, ४०० रु० पाते है इन्कम टैक्स वगैरह काटकर ३२४ रु० बच जाता है, फिर हम लोग यहां रहते हैं। आप सोचिये, हम यहां आते हैं, अपनी कांस्टिटुएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) में जाते हैं, हम पर जिला कांग्रेस कमेटी की जवाबदेही है, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की जवाबदेही है, राम सुभग सिंह की जवाबदेही है, वह १७५ रु० ले लेते हैं, फिर हमको चुनाव लड़ना पड़ता है, हम लोग कांग्रेसी ठहरे, पांच आदमी आयेंगे, उनको खिलायेंगे, यह भी तो आखिर हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य सभा के लिये ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं समझता हूं कि वहां लोगों की तनख्वाह कम कर दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह सीलिंग आफ इनकम के साथ आयेगा ?

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : एलेक्शन (निर्वाचन) भी लड़ना पड़ता है, और उसमें खर्च करना पड़ता है।

श्री विभूति मिश्र : आज के इंडियन एक्सप्रेस में निकला है कि दस स्टेट्स में जमीन के ऊपर सीलिंग लगाने से १४·६ लाख एकड़ जमीन बचेगी। अभी सारे हिन्दुस्तान का फैसला नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि सब की सीलिंग हो, यह नहीं कि सिर्फ जमीन वालों की सीलिंग हो औरों की नहीं, क्योंकि जमीन वालों ने ही स्वराज्य की लड़ाई लड़ी, और उसमें मदद की, स्वराज्य कायम किया। लेकिन उनके लिये तो आप कहते हैं कि सीलिंग कर दी जाय, आपके खयाल से यह बड़ी जरूरी चीज है। मैं पूछता हूं कि क्या जो मिल का प्रोडक्शन (उत्पादन) है, उत्पादन के जरिये हैं यह जरूरी नहीं हैं ? जमीन की, जो कि खेती की चीज है, उसकी सीलिंग तो आप करते हैं, लेकिन आज हमारे बिहार की टाटा मिल में आयरन ओर (कच्चा लोहा) कहां से आता है ? वह भी तो जमीन से ही आता है, आप उसको नेशनलाइज (राष्ट्रीकृत) क्यों नहीं करते हैं ? आज सरकार को सख्त जरूरत है, और मैं उससे प्रार्थना करना चाहता हूं कि साहब, यदि आप गांधी जी के उसूलों को मानते हैं और गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हैं और उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, तो यह उन की थाती है, मैंने आपको गांधी जी की टेकनीक बताई है, गांधी जी ने यह भी कहा है कि जो समाज के बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, या जो समाज में पैसे वाले आदमी हैं, उनको परिश्रम करना चाहिये। गांधी जी ने उनको ट्रस्टीशिप की बात बतलाई और यह भी बतलाया कि अगर वह लोग ऐसा नहीं करते तो हम को अधिकार है कि हम उनसे नान-वायोलेंट नान-कोआपरेशन (अहिंसात्मक असहयोग) कर दें। जो किताब मेरे पास है उसमें गांधी जी ने इस नानवायोलेंट नान-कोआपरेशन की बात कही है। आज हम नान-वायोलेंट, नान-कोआपरेशन की बात नहीं सोचते क्योंकि हमारी सरकार इस समय है। लेकिन सरकार को गांधी जी के इस उसूल को अविलम्ब काम में लाना चाहिये।

आज मैं चाहता हूं कि जैसा कि हमने करांची में तय किया था कि किसी आदमी की तनख्वाह ५०० से ज्यादा नहीं होनी चाहिये और १०० रुपये से कम नहीं होनी चाहिये, उसको अमल में लाया जाय। किसी आदमी की तनख्वाह उसकी इजज्त नहीं घटाती बढ़ाती है, तनख्वाह से किसी आदमी के

जीवन यापन में हेर फेर नहीं होता । बल्कि मेरा खयाल तो यह है कि कम पैसे वाला आदमी ज्यादा फुर्तीला रहेगा । जिसको ज्यादा पैसा मिलेगा वह ढीला हो जायगा, उसका शरीर मोटा हो जायेगा और वह सुस्ती से काम करेगा ।

जो फौज में आगे फ्रंट पर जाते हैं वे कम पैसा पाते हैं ठीक तरह से काम करते हैं और हमेशा चुस्त रहते हैं लेकिन जो सेठ लोग होते हैं, जिनके पास पैसा जरूरत से ज्यादा होता है उनके शरीर हमेशा ढीले ही रहते हैं और नाम को भी चुस्ती उनके अन्दर नहीं होती । हमारे यहां एक बड़े मिल के मालिक हैं, उनसे मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी । उन्होंने मुझे कहा कि साहब मैं ५० आदमियों का भरण पोषण करता हूं । मैंने कहा कि आप कैसे उनका भरण पोषण करते हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको अपने यहां रखा है और उनको तनख्वाह देता हूं । मैंने कहा कि आप उनको इसी तरह से तनख्वाह नहीं दे देते हैं, उनसे आप काम करवाते हैं तब तनख्वाह देते हैं । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह मैंटेलिटी .(मनोवृत्ति)..... पड़ता

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी आप से विनय करना चाहता हूं कि जो ज्यादा से ज्यादा समय एक रेजोल्यूशन को मूव (प्रस्तुत) करने के लिये मिल सकता है वह आपको दे दिया गया है । अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री विभूति मिश्र : पांच मिनट और दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने काफी समय ले लिया है, अब आप खत्म कीजिये ।

श्री विभूति मिश्र : अभी खत्म किये देता हूं ।

अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि मुझे गवनमेंट आफ इंडिया की एक रिपोर्ट मिली है जिसका नाम है आल-इंडिया इनकम टैक्स रेवेन्यू स्टेटिसटिक्स फार दी ईयर १९५४–५५ (सन् १९५४–५५ के अखिल भारतीय आयकर राजस्व के आंकड़े) । इसमें लिखा हुआ है कि ४,९५,७२० आदमियों के पास इनकम टैक्स, सुपरटैक्स, सरचार्ज इत्यादि सब कुछ ले लेने के बाद ५,८२,१८,८१,४५७ रुपये बचे । इसका मतलब यह हुआ कि तकरीबन ६ लाख आदमियों के पास सारे टैक्स अदा करने के बाद तकरीबन ६ अरब रुपये बचे । अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि इतने थोड़े आदमियों के पास इतना ज्यादा रुपया चला जाता है जबकि कितने ही आदमियों को खाने को रोटी नहीं मिलती है । मैं आपको कहता हूं कि आप इनसे रुपया क्यों नहीं वसूल करते हैं और क्यों इनके पास इतनी ज्यादा रकम छोड़ते हैं । इसमें सरकारी कर्मचारी, रजिस्टर्ड फर्म्स, अन-रिजिस्टर्ड फर्म्स सभी शामिल हैं ।

दूसरी बात मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इनकम-टैक्स से बचने के लिये अमीर लोग कई तरीके निकाल लेते हैं और बहुत-सा टैक्स-इवेजन (कर-उपवंचन) होता है । जब हमें रुपये की जरूरत है, जब हमें अपने प्लान (योजना) को एक्सीक्यूट (क्रियान्वित) करने के लिये बहुत-सा रुपया चाहिये तो क्या वजह है कि हम टैक्स-इवेजन होने देते हैं । हमें चाहिये कि हम कड़ाई से काम लें और देखें कि कोई टैक्स इवेजन न हो ।

अब यह जो इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन (औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प) ३० अप्रैल १९५६ का है इसमें लिखा हुआ है कि यह चीजें हम देंगे :

("सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक **न्याय**;
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतन्त्रता**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिये")

[श्री विभूति मिश्र]

अब यह जो चीजें हैं, ये सब की सब हमारी विधान में भी दर्ज हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि ये सब चीजें आज कहां हैं और कैसे आप इनको काम में लाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे लाना चाहते हैं। एक आदमी तो रोटी के बगैर भूखा मरता है जब दूसरे के पास इतना खाना है कि कुछ ठिकाना ही नहीं है। एक आदमी के पास तो रहने के लिये एक कोठड़ी भी नहीं है जबकि दूसरे के पास आलीशान मकान और महल हैं। एक आदमी के पास दवाई खरीदने के लिये पैसा नहीं है जब कि दूसरे के पास अच्छे से अच्छे डाक्टर की सर्विसिस एवेलेबल (सेवा उपलब्ध) हैं। ऐसी हालत में कहाँ सोशल जस्टिस (सामाजिक न्याय) है, कहाँ फ्रेटरनिटी है, कहाँ ईक्वैलिटी (समता) है। जब हमने इन चीजों को विधान में दर्ज कर दिया है तो हमें यह देखना चाहिये कि इनको अम्ल में भी लायें। आपके इंडस्ट्रियल पालिसी स्टेटमेंट को जब मैं और आगे पढ़ता हूं तो यह लिखा हुआ पाता हूं कि निजी एकाधिकारों को रोकने के लिये आय तथा धन की वर्तमान असमानता को दूर करना भी उतना ही आवश्यक है।

इस किताब को आपने अभी हाल ही में प्रकाशित किया है और आपने कहा है कि इतनी डिस-पैरिटी इनकम (आय में असमानता) में नहीं होनी चाहिये। तो मैं सरकार से कहता हूं कि वह इसको कार्यान्वित करे और जब वह इसे कार्यान्वित करेगी तभी हम समझेंगे कि वह गांधीजी के बतलाये हुये उसूलों पर चलती है। गांधी जी की विरासत को हमें चाहिये कि हम ठीक से काम में लायें। हमें चाहिये कि इक्वैलिटी लाने का हर सम्भव उपाय करें। अगर हमने गांधी जी के बतलाये हुये उसूलों पर अम्ल नहीं किया तो हम जनता का विश्वास खो बैठेंगे। लोग कहेंगे कि कांग्रेस वालों ने विश्वास भंग किया है। मुझे विश्वास है हमारे प्रधान मंत्री इस ओर अवश्य ध्यान देंगे और उनके रहते रहते हमारा देश स्वर्ग बन जायगा। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें और हमारी जो भावना है, उसकी जल्दी पूर्ति करें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संकल्प का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : **पंडित डी० एन० तिवारी** (सारन--दक्षिण) **श्री राचय्या** (मैसूर--रक्षित--अनुसूचित जातियां) और **श्री सत्य नारायण सिंह** (गया पश्चिम) द्वारा मूल संकल्प के स्थान पर संकल्प सम्बन्धी अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्न संकल्प रखा जाय :

"This House recommends to the Government to take appropriate measures to reduce the disparity in income prevailing between the different sections of society in the country."

["कि यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह देश में समाज के विभिन्न वर्गों में प्रचलित आय-सम्बन्धी असमानता को कम करने के लिये उचित उपाय करे।"]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री एन० बी० चौधरी का संशोधन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। भूतपूर्व राजाओं के साथ हुये समझौते के संशोधन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। बड़े-बड़े जमींदारों की सम्पत्तियों के अर्जन किये जाने पर प्रतिकर का भुगतान न करना, निगमित निकायों के लाभांश की सीमा बांधना, सरकारी क्षेत्र के संसाधनों की वृद्धि--ये सब चीजें इस संकल्प के क्षेत्र से बाहर हैं।

†**श्री एन० बी० चौधरी** (घाटल) : प्रतिकर के मामले में मेरा आशय केवल केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र से था। जमींदार भी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जमींदार के संकल्प का विषय आय की उपरिसीमा निश्चित करना है। हो सकता है कि यह उससे सम्बन्धित हो किन्तु पूर्णतया संगत नहीं है। श्री एन० बी० चौधरी का संकल्प नियम-बाह्य है। वह भाषण दे सकते हैं और अपने सुझावों को रख सकते हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद :** यह बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। यह संकल्प इसलिये है कि सरकार ने जो उपबन्ध बनाये हैं वे ग्रामीण और शहरी आर्थिक व्यवस्था में विभेद करने वाले हैं और इसके कारण आय और सम्पत्ति में पूंजीपतियों द्वारा जो असमानता बना दी गई है वह सारे संसार को और विशेषत: भारत में हमको खटक रही है। पूंजीपति जिन्होंने यह असमानता बनाई है धनवानों की आय को दिन प्रतिदिन बढ़ाने के लिये उपाय और साधन बनाते रहते हैं। राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से वर्तमान समाज पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

विभिन्न वर्गों में राष्ट्र की आय किस प्रकार विभाजित है इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, किन्तु इतना अवश्य है कि संसार के अन्य देशों की उपेक्षा हमारे देश में बहुत अधिक असमानता है। बहुत दिनों से सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि व्यक्तियों की रुचि एवं उनकी योग्यता के आधार पर समानता लाने के लिये उपबन्ध बनाने चाहियें। क्योंकि जब असमानता एक निश्चित सीमा को पार कर जाती है तो वह खतरनाक हो जाती है और यह बात आज भारत में लागू है।

कर जांच आयोग ने अपने प्रतिवेदन के अंक १ पृष्ठ १५४ और १५५ पर यह स्वीकार किया है कि कर्मचारियों को एक ओर तो अधिक कर देना पड़ता है और दूसरी ओर उन्हें अधिक कठोर कार्य भी करना पड़ेगा। इसका प्रभाव बुरा पड़ेगा। यह स्मरणीय है कि करों की कथित उच्च दर के होते हुए भी वांछित समानता के स्तर तक हम नहीं पहुंच सके हैं जबकि इंगलिस्तान में कुछ समानता हो गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि वहां अधिक वेतन पाने वालों की संख्या यहां की अपेक्षा बहुत कम है और अधिक वेतन पाने वाले तथा कम वेतन पाने वाले व्यक्तियों के वेतन का अन्तर यहां की अपेक्षा वास्तव में बहुत ही कम है। उदाहरणार्थ——अमरीका और इंगलिस्तान को लीजिये। अमरीका में एक क्लर्क को ६२५ रुपये प्रति मास और एक टाइपिस्ट को १००० रुपये प्रतिमास तथा विदेशी सेवा में अधिकारी को ५६२५ रुपये मिलते हैं। इंगलिस्तान में क्लर्क को १८९ रुपये प्रति मास और सचिव को ४०१२ रुपये प्रति मास मिलते हैं जब कि भारत में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को ६० रुपये प्रति मास और वैदेशिक कार्य मंत्रालय के महासचिव को ४५०० रुपये प्रति मास मिलते हैं। इससे प्रकट होता है कि हमारे देश में कितनी असमानता है।

वर्तमान असमानता को कम से कम करने के लिये उपाय अपनाने की अपेक्षा हम से कहा जाता है कि संसार के किसी ऐसे देश का उदाहरण दो जहां कि असमानता समाप्त कर दी गई हो। कनाडा अथवा इंगलिस्तान अथवा अमरीका की व्यवस्था के बारे में मैं जानता हूं। उसके आधार पर मेरा सुझाव यह है कि उन देशों में राजकोषीय उपबन्ध जो लिये गये हैं अथवा लिये जा रहे हैं कम से कम उनको तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम अपनायें। यदि यह संभव नहीं है तो इंगलिस्तान में जो व्यवस्था है उसका अनुसरण तो हम कर सकते हैं। इंगलिस्तान में करों को उगाहने के बाद उसे सामाजिक सुरक्षाओं, भाज्य व्यय, आदि के रूप में जनता को हस्तान्तरण कर दिया जाता है और इससे असमानता दूर करने में सहायता मिलती है। वे एक वर्ग से कर इकट्ठा करते हैं तो दूसरे वर्ग को सामाजिक सुरक्षाओं के रूप में हस्तान्तरण कर देते हैं। इंगलिस्तान की उदार दलीय सरकार ने १९४८–४९ में जो भाज्य व्यय किया था यदि आप उसके आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता को कम करने के लिये कोई स्पष्ट सिद्धांत तो नहीं है किन्तु निरन्तर बढ़ने वाले आयकर तथा अन्य उपबन्धों के द्वारा समाश के एक वर्ग से वे अधिक धन लेने में, जो आवश्यकता से अधिक था समर्थ हुए तो दूसरी ओर दूसरे वर्गों अर्थात् कम आय वाले वर्गों में उसे बांट दिया।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भागवत झा आजाद]

किन्तु भारतवर्ष में कम आय वाले वर्गों को, बेकारी दूर करके अथवा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उपबन्धों के द्वारा, लाभ पहुंचाने का कोई उपाय नहीं है। ब्रिटेन में कर सम्बन्धी उपायों के द्वारा असमानता कम हो गई है, किन्तु दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमसे कहा जाता है कि संसार के किसी भी देश में सामाजिक ढांचे के आधार पर असमानता नहीं लाई गई है। किन्तु हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में कर सम्बन्धी उपबन्धों के आधार पर असमानता कम की गई है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत, भाज्य व्यय अथवा स्थानान्तरण के द्वारा, कम आय वाले वर्गों में बांटा जा रहा है जिससे कि हमारे देश की असमानता कम से कम कुछ तो कम हो जाय। युद्ध से पूर्व इंगलिस्तान और अमरीका की दशा असमानता के बारे में एक-सी थी किन्तु युद्ध के उपरांत इंगलिस्तान ने, अमरीका की अपेक्षा, समानता की ओर अधिक वेग से पग बढ़ायें और भाज्य व्यय तथा स्थानान्तरण के वितरण और सम्पूर्ण कर-व्यवस्था के संशोधन के द्वारा समानता का स्तर बढ़ाने में वृद्धि की, दूसरी ओर अमरीका में असमानता की स्थिति वही है जो युद्ध के पूर्व थी।

उस दिन प्रो० काल्डोर ने हमारी एक समिति में भाषण दिया था "कि उनकी राय में भारत की कर व्यवस्था बहुत ही प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी और पुरानी है।" उनके विचार से कर जांच आयोग का प्रतिवेदन साधारण से भी नीचा है।

यह तो केवल समय ही बता सकेगा कि प्रतिवेदन के अनुसार, जिसकी कि प्रतीक्षा है, तथा देश में अपनाये जा रहे दूसरे उपबन्धों के सहारे हम कहां तक असमानता को दूर कर सकेंगे। चाहे हम आय-कर लगायें, चाहे हम व्यय-कर मांगें अथवा हम सम्पत्ति पर कर लगायें, फिर भी हमारी आर्थिक व्यवस्था ऐसी है कि यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमानता लायेगी। हम भूमि की उपरिसीमा निश्चित करने जा रहे हैं। एक अनुकूलतम भूमि से पांच व्यक्तियों के परिवार के लिये ३६०० रुपये की आय हो सकती है। अधिकतम आय इसकी तीन गुनी अर्थात् ७८०० रुपये होगी।

शहरों की ओर आने पर हम देखते हैं कि केवल आय का ही नहीं अपितु धन का भी संकेन्द्रण होता है। यह कहा गया है कि संसार के औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित देशों में भी आय की अपेक्षा धन का संकेन्द्रण अधिक होता है। यदि हम शहरी तथा ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को एक ही स्तर पर लाना चाहते हैं तो हमें ऐसे साधन अपनाने चाहियें जिससे कि ग्रामीण तथा शहरी उपरिसीमा की यह बड़ी असमानता कम हो जाये।

मेरा विचार है कि समानता के मामले में हम किसी अंतिम स्तर तक नहीं जा सकते। बात यह है कि कर सम्बन्धी उपायों, पूंजी कर लगाकर तथा अन्य दूसरे उपायों से हम आगे बढ़ सकते हैं। १९४६-४७ में कोंलवित समिति ने तथा मिस केथलीन ने यह सुझाव दिया था कि जिन देशो में आय की अपेक्षा सम्पत्ति तथा पूंजी पर अधिक ध्यान दिया जाता है, वहां आवश्यक है कि पूंजी पर कर लगाना चाहिये।

यदि हम यह चाहते हैं कि देश की अधिकांश जनसंख्या की आय की उपरिसीमा कम न रहे, जिसके कारण कि शहरी आर्थिक व्यवस्था की अपेक्षा ग्राम-व्यवस्था में कम आय और कम पूंजी होती है, और यदि हम इन सब बातों को रोकना चाहते हैं, तो हमें अपने कर सम्बन्धी उपबन्धों में आमूल परिवर्तन करना होगा। हमें पूंजी कर लगाना चाहिये, हमें सम्पत्ति पर वार्षिक कर लगाना चाहिये, हमारे यहां आय-कर को धीरे-धीरे बढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिये। इन उपबन्धों के द्वारा हम समाज के विभिन्न वर्गों के धन और आय के बीच असमानता को कम कर सकते हैं। आशा है कि सभा मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेगी।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : उस दिन प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि हम अपना समाज अच्छा बनाना चाहते हैं और उस समाज का आधार समानता है । वह समानता स्त्री और पुरुषों की समानता है जो केवल भावों की समानता न होकर सभी प्रकार की समानता होगी । वह समानता व्यवहार की समानता होगी । आज भारत में अच्छे समाज के लिये सबसे बड़ी रुकावट आय की असमानता है, हालांकि हम समाजवादी ढांचे के समाज की बात करते हैं और ऐसा समाज बनाने का हम प्रयत्न भी कर रहे हैं । आय की असमानता को दूर करने के लिये हमने कुछ राजकोषीय उपबन्ध भी अपनाये हैं । कुछ स्तरों तक हमने आय कर भी बढ़ाया है, सम्पदा शुल्क भी लगाया है । किन्तु भारत का साधारण व्यक्ति इस विचार की वास्तविकता को तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि देश में आय की इस चमक पैदा करने वाली असमानता को वह देखता है । इसलिये हमें कुछ क ना है ।

मेरे मित्र ने सुझाव दिया है कि आय की उपरिसीमा निर्धारित की जानी चाहिये । यह भी एक तरीका है । किन्तु मेरा सुझाव है कि देश में ऊंची से ऊंची और नीची से नीची आय के अन्तर को पाटने के लिये कुछ करना चाहिये । यह अन्तर सभी जगह विद्यमान हैं । यदि हम अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो इस अन्तर को दूर करना होगा, इसको समाप्त करना होगा ।

माननीय मित्र श्री भागवत झा आजाद ने इंगलिस्तान तथा अन्य पश्चिमी देशों का उदाहरण दिया था । मैं जापान का उदाहरण देता हूं । जापान हमारा निकट का पड़ौसी है । वहां प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय आय २९५ रुपये है । शहरी अकुशल श्रमिक की आय ६७५ रुपये है । छोटे से छोटे क्लर्क की आय ६५० रुपये है और प्रशासन के ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति की आय ८,८०० रुपये है । इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें तथा राष्ट्रीय आय में अनुपात क्या है । इन आंकड़ों के आधार पर मेरा तो यही कहना है कि भारत में यह अन्तर बहुत ही बड़ा है और किसी भी तरह से इसे भरना है ।

द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति के लिये मैंने एक प्रस्ताव रखा था जो सभी ने अस्वीकृत कर दिया । उसमें स्थायी सेवाओं के बारे में एक सुझाव दिया था । गैर-सरकारी क्षेत्रों के लोगों के बारे में भी एक प्रस्ताव मैंने रखा था । यह एक ऐसा संकल्प है जिसके अन्तर्गत हमारे जीवन के सभी पहलू, हमारी कार्यवाहियों का प्रत्येक अंग, हमारे प्रयत्नों का प्रत्येक क्षेत्र आ जाता है । इसके अन्तर्गत औसतन गांव और शहर आ जाते हैं । इसके अन्तर्गत अकुशल कर्मचारी भी उसी प्रकार आता है जिस प्रकार कि कुशल कर्मचारी । इसमें सरकार के सचिव और चौथी श्रेणी के क्लर्क भी आते हैं समाज शास्त्र के आधार पर हमें कोई ऐसा कारण नहीं जान पड़ता कि हम अपने माननीय मित्र का संकल्प न स्वीकार करें ।

आज प्रातः हमारे एक माननीय सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि योजना के साथ हमारे जनसाधारण का सामंजस्य क्यों नहीं किया जाता ? मेरी समझ से जब तक आयों में असमानता रहेगी, तब तक ऐसा नहीं हो सकेगा ।

जमींदारी उन्मूलन के बारे में भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये गये हैं किन्तु मैं पूछता हूं कि क्या शहरों में मकान मिल्कियत को समाप्त कर दिया है ? जार्ज बर्नार्ड शा ने गंदी बस्तियों के मकान मालिकों के बारे में कहा है कि इस प्रकार की मकान मिल्कियत का आधार सामाजिक दुर्गुण ही हैं । अतः जमींदारी की भांति ही शहरों में भी मकान मिल्कियत समाप्त की जानी चाहिये ।

साथ ही गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कुछ कार्य करना चाहिये । कुछ लोगों के पास आय-कर देने के बावजूद भी बहुत धन बच रहता है जो समाज की समाजवादी व्यवस्था के लिये उपयुक्त

†मूल अंग्रेजी में

[श्री डी० सी० शर्मा]

नहीं है। शा ने अपने किसी नाटक में कहा है कि दरिद्रता और असमानता जीवन की सबसे खराब चीजें हैं। उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति की आय कम से कम ५० पौंड प्रति वर्ष होनी चाहिये। हमें भी इस प्रकार का समाज बनाना चाहिये जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की कम से कम ५०० रुपये प्रतिमास आय हो। परन्तु जब तक हम ऐसा नहीं कर सकते तब तक अधिकतम और निम्नतम आय में कमी करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिये।

हमारे देश में विकसित और अर्द्धविकसित सभी प्रकार के गांव और सभी प्रकार के पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पिछड़े क्षेत्रों को तो अभी तक जो प्रगति हो रही है उसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। कुछ स्थानों के लोग न केवल अपने औद्योगिक क्षेत्र में अपितु सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी पिछड़े हुए हैं। अतः यदि हम अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार की असमानता को दूर करना होगा।

मेरा सुझाव है कि सरकार को एक ऐसी समिति बनानी चाहिये जिसमें कुछ गांधीवादी अर्थव्यवस्था और कुछ रूढ़िवादी अर्थव्यवस्था से जानने वाले कुछ प्रतिनिधि हों। इसका कार्यक्रम ऐसा होना चाहिये कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में नगरों और गांवों में असमानता दूर की जा सके। मैं समझता हूं कि संकल्प की भावना के प्रति सभी सदस्यों का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण होगा। अब प्रश्न यही रह जाता है कि इसको कार्यान्वित किस प्रकार किया जाये? इसके बारे में मेरा सुझाव यह है कि हमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की एक समिति बनानी चाहिये जिससे जिस प्रकार के समाज की हम स्थापना करना चाहते हैं, की जा सके।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : मैं श्री विभूति मिश्र के संकल्प का स्वागत करता हूं, उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के आरम्भ में एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने का अवसर दिया है।

हमारे संविधान में निदेशक तत्व है कि सरकार अपनी नीति इस प्रकार बनायेगी कि जिससे सम्पत्ति कुछ ही लोगों के हाथों में न रहे। प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है।

आर्थिक न्याय के बारे में मुझे यह कहना है कि अधिकांश लोगों के साथ तो इस देश में वह होता नहीं। हमारी सरकार ने हाल ही में समाज की समाजवादी व्यवस्था की घोषणा की है जिसका सभी ने आदर किया है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में दिया हुआ है कि इसका उद्देश्य आयों की असमानता को कम करना और आर्थिक शक्ति का समान वितरण करना है। किन्तु वास्तव में वैसा होता दिखाई तो देता नहीं। इस बारे में मेरा एक संशोधन अभी अनियमित ठहरा दिया गया है। अतः मेरा कहना यह है कि यदि हम वास्तव में अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल इन्हें बना लेने से ही नहीं अपितु कार्यान्वित करने के लिये कुछ ठोस उपाय करने होंगे।

इस समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग ३७ करोड़ है और अधिकांश लोगों की आय यहां की राष्ट्रीय आय के औसत से भी कम है, नवीनतम गणना के अनुसार प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय २८० रुपये है जबकि कुछ लोगों की आय १०० रुपये से भी कम है। अब कृषकों की दशा देखिये। ७५ प्रतिशत लोगों के पास भूमि इतनी कम है कि उनको कुछ भी बचत नहीं होती। खेतिहर मजदूरों की दशा तो और भी खराब है। कारखानों में काम करने वाले मध्यम श्रेणी के मजदूरों की आय भी बहुत कम है। बेकारी के कारण भी बहुत से लोगों की अवस्था शोचनीय है। एक ओर तो बहुत ही कम आय वाले लोग हैं और दूसरी ओर बहुत पैसे वाले लोग हैं। भारत सरकार के राजस्व केन्द्रीय बोर्ड के प्रतिवेदन

†मूल अंग्रेजी में

में दिया हुआ है कि कुछ लाख लोगों की आय ऊंची है। आय-कर देने वाले लोगों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में कम हो गई है। इस सबसे पता चलता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के परिणामस्वरूप हुई उत्पादन-वृद्धि अथवा राष्ट्रीय आय की वृद्धि से सामान्य लोगों की आय में वृद्धि नहीं हुई है। अतः वैयक्तिक आयों की अधिकतम राशि निर्धारित करना अनिवार्य है। प्रस्तावक ने ठीक ही कहा है कि गांवों में ग्रामीणों को जीवन-निर्वाह तक कठिन हो रहा है जबकि कुछ आई० सी० एस० लोगों को ४,००० रुपये प्रतिमास से भी अधिक वेतन मिल रहा है।

†**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : बैंक के मैनेजरों को १५,००० रुपये।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : मैं तो केवल वेतन पाने वाले कर्मचारियों की बात कर रहा हूं। बेचारे गरीब किसानों से श्रमदान करने के लिये कहा जाता है जबकि इन उच्च पदाधिकारियों के वेतनों में कमी करने की बात कोई भी नहीं कहता, क्या उन्हें देश के विकास के लिये अपने वेतनों में कटौती नहीं कराना चाहिये ?

मेरी समझ में यह नहीं आता कि नौ वर्ष हो चुके हैं और इन आई० सी० एस० अफसरों की धारणाओं और विचारों में पता नहीं कब तक परिवर्तन होगा। देश की आर्थिक प्रगति और विकास के लिये अधिकतम आय-सीमा निर्धारित करना बहुत आवश्यक है।

न्यूनतम मजदूरी १०० रुपये तक अभी नहीं निश्चित की जा सकी है। प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों तक का अभी न्यूनतम वेतन नहीं निश्चित किया जा सका है। इन हाई स्कूल पास अध्यापकों को केवल ५० रुपये वेतन मिलता है, बल्कि कुछ राज्यों में उतना भी नहीं मिलता, जबकि अन्य ऊंचे पदाधिकारियों को ३०००–४००० रुपये वेतन मिलता है। यह चीज असहनीय है। ऐसा होते हुये भी यह कहना कि हम समाज की समाजवादी व्यवस्था कर रहे हैं यह चीज लोगों की समझ में नहीं आ सकती।

राज्य बैंक के चेयरमैन के वेतन के बारे में राज्य-सभा में प्रश्न उठा था। यदि हम लोगों को उन सज्जन का नाम पता लग जाये तो हमें उनके वेतन पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुणचन्द्र गुह) : मैं समझता हूं कि राज्य बैंक के चेयरमैन और उसके प्रबन्ध निदेशक के वेतनों के बारे में कुछ लोगों को भ्रांति है। दूसरे सदन में राज्य बैंक के प्रबन्ध निदेशक के वेतन पर चर्चा हुई थी, चेयरमैन के वेतन के बारे में नहीं।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : मैं अपनी गलती ठीक कर लेता हूं। किन्तु बात तो फिर भी वही रही। उन्हें प्रतिमास ७,०००–८००० रुपया वेतन दिया जाता है। प्रबन्ध निदेशक को इतना अधिक वेतन मिलता है, जबकि इसी प्रकार का काम करने वाले अन्य लोगों को उचित न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता।

बहुधा कहा यह जाता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कह सकते। इस प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि कुछ लोग दो लाख रुपये प्रतिवर्ष कमा रहे हैं। सरकार इस पर क्यों नहीं कुछ नियंत्रण लगाती ? विदेशी समवायें अपने कर्मचारियों को कई गुना अधिक वेतन दे रही हैं। टाटा आदि समवाय अपने कर्मचारियों को १०,००० से १५,००० रुपये तक वेतन दे रहे हैं। यदि ऐसी चीजों पर नियंत्रण नहीं लगाया जाता तो फिर आपका यह दावा कहां तक उचित है कि आप समाज की समावादी व्यवस्था कर रहे हैं। अतः सरकार को चाहिये कि वह देश हित की दृष्टि से गैर-सरकारी क्षेत्र में इस बारे में नियंत्रण लगाये। योजना को कार्यान्वित करने और लोगों में उत्साह पैदा करने के लिये वैयक्तिक आयों पर नियंत्रण लगाना अनिवार्य है; मैंने अपने संशोधन

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन० बी० चौधरी]

में भी जमींदारों और बड़े-बड़े भूस्वामियों को मुआवजा न देने का सुझाव दिया है। उनकी आय के कुछ अन्य साधन भी होते हैं। मुआवजे की वसूली बेचारे किसानों से ही की जायेगी।

[**श्री राघवाचारी** पीठासीन हुए]

मैंने भूतपूर्व राजाओं के साथ किये गये करारों को पुनरीक्षित करने के लिये भी कहा था। उन्हें कुछ भत्ते भी अभी मिल रहे हैं। जिस समय ये करार हुए थे उस समय स्थिति इससे सर्वथा भिन्न थी। इसमें परिवर्तन न करके आप समाज की समाजवादी व्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते।

निगमित निकायों के लाभांशों को भी सीमित करने के बारे में मैं कह चुका हूं। अमरीकी प्रोफेसर काल्डोर ने कहा था कि भारत में पर्याप्त आर्थिक तत्वों और संसाधनों की कमी है। जैसा उन्होंने आगे चल कर फिर कहा है, यदि ३०० करोड़ रुपये जो, आय-कर अपवंचन होता है, वसूल कर लिया जाये तो सरकारी क्षेत्र में अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। ऐसा करने से हम सरकारी क्षेत्र में अधिक व्यय कर सकेंगे और लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठेगा तथा धन कुछ ही लोगों के पास एकत्र नहीं हो सकेगा। यदि आप कोई अधिकतम राशि निर्धारित नहीं करना चाहते तो नियंत्रणात्मक उपाय ही अपनाये जाने चाहियें। इससे हम जन साधारण पर अधिक कर लगाये बिना अधिक संसाधन उपलब्ध करने में समर्थ हो सकेंगे।

†**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : सभापति महोदय, श्री विभूति मिश्र द्वारा प्रस्तावित संकल्प अनापवादिक है और मैं उन्हें इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं जिससे सारी सभा सहमत है।

†**श्री के० के० बसु** : आपके मंत्री को छोड़ कर।

†**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : सम्भवत: मंत्री को छोड़ कर, किन्तु वह भी संकल्प के सिद्धांत की दृष्टि से नहीं अपितु समय के कारण।

श्री विभूति मिश्र ने संकल्प प्रस्तुत करते समय इस प्रश्न के बारे में गांधी जी के दर्शन और उनके तथा विनोबा भावे के विचारों का निर्देश किया। वह इस विषय पर बड़ा जोर देकर और भावुकता से बोले हैं और मैं समझता हूं कि वह सभा के प्रत्येक क्षेत्र से बधाई पाने के योग्य हैं।

मेरे दो साथियों ने विभिन्न देशों के आंकड़ों का उद्धरण देकर कि हमारे देश में कितनी असमानता है, मेरा कार्य सरल बना दिया है। इस सभा के समक्ष जो संकल्प रखा गया है, मेरी समझ से समाज की समाजवादी व्यवस्था के उद्देश्य का एक स्वाभाविक आधार है और जहां तक इस देश के पुनर्निर्माण का सम्बन्ध है उसमें उन्हीं विचारों व आदर्शों का तार्किक विकास है जिन्हें आधार मान कर हम प्रयत्न करते रहे हैं।

अभी कहा गया था कि मंत्री जी के अतिरिक्त सभी सहमत हैं। सम्भवत: मंत्री जी इसे सीधे कार्यान्वित करने में कठिनाई समझते हों। किन्तु संकल्प के सिद्धांत से मैं नहीं समझता कि उन्हें इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई होगी। भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित कर देने के पश्चात् मैं नहीं समझता कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में आयों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के दायित्व से वह बचे रह सकेंगे। मैं सरकार से जोर देकर कहता हूं कि वह एक समिति की तत्काल स्थापना करने की आवश्यकता अनुभव करे, जैसी कि मेरे संशोधन में सिफारिश की गई है, जो इस सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करके विभिन्न उपाय बताये जो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये किये जाने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे समाचार पत्र में यह देख कर आश्चर्य हुआ था—अभाग्यवश मैं सभा में उपस्थित नहीं था—कि वित्त मंत्री ने वैयेक्तिक आयों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के कार्य को कार्यान्वित करने की कठिनाई बताते हुये कहा था कि वह यह चीज हो पाना सम्भव नहीं समझते क्योंकि इससे सरकार को बहुत मुआवजा देना होगा जिसके लिये उसके पास पर्याप्त निधि नहीं है। किन्तु भूमि की उच्चतम सीमा पहले ही निर्धारित की जा चुकी है। इसके लिये उसे मुआवजा देना पड़ा है। हम संविधान (संशोधन) विधेयक भी पारित कर चुके हैं जिसके द्वारा सरकार को हमने यह शक्ति दे दी है कि जितनी राशि मुआवजे के रूप में देना चाहे, निर्धारित कर सकती है। वह केवल काल्पनिक मुआवजा भी हो सकता है। जिस पर किसी न्यायालय में निर्णय नहीं किया जा सकेगा। अतः मुआवजे की राशि से वित्त मंत्री को वैयक्तिक आय के सराहनीय उद्देश्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ने से रुकना नहीं चाहिये ।

मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार को इस बात के लिये दोषी ठहरा सकता है कि वह इस सम्बन्ध में सदस्यों की भावना को बिल्कुल ही नहीं जानती। कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग जिस बुरे ढंग से सम्पत्ति का इस्तेमाल करते हैं, प्रधान मंत्री ने कई बार इसकी आलोचना की है। ऐसा करने में उन्होंने इस प्रश्न की गम्भीरता पर चोट की है। उन्होंने जो दिखावटी रहन-सहन की निंदा की तो उन्हें जन साधारण की यह बात मालूम थी कि वास्तव कठिनाई आपके पास जो कुछ है इसके बारे में न होकर इस बारे में है कि आप विलासिता तथा अन्य चीजों पर दिखावे में धन का दुरुपयोग करते हैं। न जाने कितने समय से यह चीज चलती आ रही है। वास्तव में लोगों को असन्तोष उनके पास क्या नहीं है इसलिये न होकर दूसरों के पास क्या है इससे होता है। कर जांच आयोग ने भी सिफारिश की है कि हमें अपने उपभोग में कमी करनी चाहिये। यदि अमीर लोग आवश्यकता से अधिक धन का दुरुपयोग करते हैं तो इससे अन्य लोगों को नुक्सान पहुंचता है।

साधरणतः यह कहा जाता है कि अधिकतम आय सीमा निर्धारित कर देने से धन बचाने और विनियोग का उत्साह लोगों में नहीं रह जायेगा। अधिकतर अर्थशास्त्रियों ने भी यही कहा है। जांच आयोग के सभापति डा० जान मथाई थे, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इस आयोग में अन्य अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ भी थे। इसने इस प्रश्न की जांच की और बताया कि अब वह समय आ गया है जबकि हमें अधिकतम आय सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये ।

इसके लिये कोई सीमा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। विभिन्न वर्गों के लोगों की आयों को इतनी असमानता नहीं होनी चाहिये। यदि आप परियोजनाओं को सफल बनाने में जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सरकार ने जो वचन दिये हैं उनमें विश्वास पैदा करना होगा। संसद् के अधिनियम द्वारा अधिकतम आय निर्धारित की जा सकती है। इससे लोगों में उत्साह पैदा होगा। यदि आप अन्य क्षेत्रों में अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं तो फिर आय के मामले में ऐसा होना व्यावहारिक नहीं, यह कहना गलत है। इसकी जांच अर्थशास्त्रियों द्वारा की जा चुकी है। अतः अधिकतम आय सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिये ।

इस प्रकार तो उन्नीसवीं शताब्दी के अर्थशास्त्री सोचा करते थे कि यदि 'विपणि-नियमों' में कोई हेर फेर किया जाय तो उस से लोग पूंजी कम लगाते हैं और वह श्रमिकों के लिये हानिकारक होता है। अब वह समय नहीं रहा है। भारत सरकार ने पहले ही समाज की असमानताओं को दूर करने के लिये कुछ कदम उठाये हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, बीमा, समाज कल्याण आदि विषयों पर काफी रुपया खर्च किया जा रहा है। धीरे-धीरे जनता भी सरकार की नीति को समझने लगेगी ।

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इन समाज-सेवाओं से व्यक्ति की चल सम्पत्ति में कितनी वृद्धि हुई है। हमें इसका पता लगाना आवश्यक है क्योंकि इससे लोगों को संतोष हो सकेगा कि उनकी आमदनी वास्तव में बढ़ रही है।

राष्ट्रीय आमदनी में वृद्धि का एक ढंग यह है कि खर्च के ऊपर कर लगा दिया जाय। हम देखते हैं कि समाज में अनेक व्यक्ति मनमाना खर्च करते हैं और बड़ी-बड़ी कोठियों में रहते हैं जबकि कुछ लोग अपना पेट भी नहीं भर पाते। अतः हमें राष्ट्र के अपव्यय को रोकना चाहिये।

आमदनी का दूसरा तरीका यह है कि जो वृहत् लाभ हैं उन पर कर लगाया जाये। उदाहरण के लिये मेरे यहां बिहार में अधिकतम भूमि के लिये एक सीमा निश्चित करने का प्रस्ताव है और वहां के लोग अपनी जमीनें बेच रहे हैं। जिन लोगों ने काले बाजार का रुपया संचित कर रखा है वे भी उसे निकाल जमीनें खरीद रहे हैं। अतः ऐसे सौदों में जो वृहत् लाभ हैं उन पर कर लगाया जाना चाहिये।

यदि सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये उचित कदम नहीं उठाये तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन का समर्थन करता हूं जिसके अनुसार यदि सरकार संकल्प को स्वीकार न भी करे तो उसे एक समिति नियुक्त करनी चाहिये जो इन बातों पर विचार करे।

अन्त में, मैं श्री विभूति मिश्र को उनके संकल्प के लिये एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं।

†**श्री ए० एम० थामस** (ऐरणाकुलम्) : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस संकल्प का समर्थन किया है। मैं भी इस के उद्देश्य से पूर्णतया सहमत हूं किन्तु इसके क्रियान्वित किये जाने की दशा में जो कठिनाइयां हैं उनके बारे में कुछ शब्द कहना आवश्यक समझता हूं। आमदनी की एक उच्चतम सीमा निश्चित करने के प्रश्न पर कर जांच आयोग ने भी काफी विचार किया है। आपने प्रतिवेदन में आयोग ने कहा भी है कि परिवार की आय से ३० गुनी आमदनी तक की सीमा निश्चित की जानी चाहिये।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : उस समय कोई समाजवादी आधार नहीं था।

†**श्री ए० एम० थामस** : ऐसा नहीं है। आयोग के जो सदस्य थे वे बड़े विचारशील व्यक्ति थे और यदि सच पूछा जाय तो उन्होंने समाजवादी आधार की पहले ही कल्पना कर ली थी।

इतना अवश्य है कि आयोग ने चेतावनी के रूप में यह भी लिखा है कि इसे फौरन लागू न करके श्रेणीबद्ध रूप में शनैः शनैः लागू करना चाहिये। यदि आयोग ने इसका तरीका एक योजना के रूप में समझाया होता तो अच्छा होता। मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी नीति के रूप में यह घोषणा करे कि वह आमदनी की अधिकतम सीमा निश्चित करना चाहती है।

बजट चर्चा के समय माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि ऐसा करना अभी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करना और आमदनी की अधिकतम सीमा निश्चित करना दो पृथक् विषय हैं। किन्तु मैं तो समझता हूं कि यदि हम भूमि के सम्बन्ध में इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो फिर हमें आय के बारे में भी यही बात लागू करनी चाहिये।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में प्रति व्यक्ति आमदनी बहुत कम है और चीन और बर्मा के बाद हमारे देश में एशिया के अन्य देशों की अपेक्षा

†मूल अंग्रेजी में

सब से कम आमदनी है। भारत में प्रति व्यक्ति आमदनी केवल २६७ रुपये है। अमेरिका में यह आमदनी ८७८९ रुपये और ब्रिटेन में ४०५७ रुपये है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि हमारा देश कितना गरीब है।

सभा में अनेक बार कहा गया है कि न्यूनतम और अधिकतम वेतनों में जो बहुत अधिक अन्तर है वह कम किया जाना चाहिये और यह बात केवल सरकारी क्षेत्र ही नहीं बल्कि गैर-सरकारी क्षेत्र में भी लागू की जानी चाहिये ताकि सरकारी क्षेत्र में भी योग्य व्यक्ति उपलब्ध हो सकें। राज्य सभा में राज्य बैंक के सम्बन्ध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर को पढ़ कर तो मैं हैरान हो गया। पता चला कि भूत-पूर्व इम्पीरियल बैंक के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक को लगभग ८००० रुपये वेतन दिया जाता था। इससे अधिक दुःख इस बात का है वह बैंक भारत का राज्य बैंक बन जाने पर भी निदेशक के वेतन में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

यद्यपि माननीय वित्त मंत्री आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के पक्ष में नहीं हैं तथापि कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में सभापति ने जो कुछ कहा है उसे हम नही भूल सकते। उन्होंने कहा था कि प्रजातांत्रिक देश में आप की महान् असमानताओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

सरकार के लिये केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि वह वैयक्तिक धन पर कर लगाने की सोच रही है। उसे अपने निश्चय कार्य रूप में परिणत करने चाहियें ताकि हमारी योजना सफल हो सके।

योजना आयोग के एक सदस्य ने अपने विमति टिप्पण में यह बताया है कि द्वितीय योजना में वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से निश्चित आय वाले व्यक्तियों को संकट का सामना करना पड़ेगा जैसे अध्यापक, सरकारी कर्मचारी आदि जो ५० लाख के लगभग हैं किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं लिया जाना चाहिये कि जो कर्मचारी अधिक वेतन पाते हैं उन्हें यथावत् छोड़ दिया जाय। सरकार को चाहिये कि वह कर्मचारियों को अनिवार्य रूप में बांड आदि खरीदने को कहे ताकि सरकार को योजना के लिये धन प्राप्त हो सके। हमें बताया गया था कि वित्त मंत्री सरकारी आय बढ़ाने के लिये असाधारण प्रयत्न करने को कटिबद्ध हैं, किन्तु मेरा उनसे यही निवेदन है कि वे असाधारण न सही, कम से कम साधारण प्रयत्नों में तो कोई कसर नहीं रखें। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसे स्वीकार करके शीघ्र ही कार्यरूप में परिणत करेगी।

†**श्री मैथ्यू** (कोट्टयम्) : मैं इस संकल्प के वास्तविक दृष्टिकोण अथवा मंशा से असहमत नहीं हूं। मैं तो केवल इस के शब्दों के रूप के विरुद्ध हूं।

मैं समझ नहीं सका कि अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आय की एक सीमा निर्धारित कर देने की क्या आवश्यकता है। इसके लिये मैं आपको एक वैकल्पिक सुझाव दे सकता हूं, और वह यह है कि बड़ी आय पर, एक रुपये पर १५ आने कर लगा दिया जाये। मैं समझता हूं कि उससे बड़ा लाभ होगा, और फिर यह उपाय सुकर भी है। लोग मंत्रियों, सचिवों अथवा राज्य बैंक के प्रबन्धकों के वेतनों का उल्लेख करते हैं। परन्तु क्या उन्हें यह नहीं पता है कि डाक्टर कितना अधिक रुपया कमा रहे हैं, एक डाक्टर का उदाहरण मुझे ज्ञात है जो कि लगभग १५,००० रुपया प्रति मास कमाता है। यदि आप वेतन या आय पर एक सीमा निर्धारित कर देंगे, तो उसका भयंकर परिणाम यह होगा कि प्रतिमास के प्रारम्भिक दस पन्द्रह दिनों में ही ५ या ७ हजार की सीमा तक धन कमा कर उसके बाद कोई काम नहीं करेंगे, आराम करेंगे या आनन्द करेंगे।

राज्य बैंक के प्रबन्धक अथवा निदेशक अथवा अन्य पदाधिकारियों के या मंत्रालयों के सचिवों के वेतनों के विरुद्ध आवाज उठाना तो बड़ा आसान है, परन्तु वास्तविकता का सामना करना बड़ा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मैथ्यू]

कठिन है। बड़े-बड़े वकील तथा डाक्टर बड़ी आसानी से दस हजार से भी अधिक रुपया कमा लेते हैं, यदि आप उनकी आय की सीमा निर्धारित करेंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि वे प्रतिमास के प्रारम्भिक दस दिनों में ही उतने रुपये कमा लेंगे और बाकी दिन घर में निकम्मे बैठे रहेंगे। उससे आपको क्या लाभ होगा ? इसलिये मेरा तो यह सुझाव है कि किसी भी व्यक्ति को कितना भी धन कमाने दिया जाये, और फिर उस आय पर एक रुपये पर १५ आने कर के रूप में ले लिये जायें।

प्रस्तुत संकल्प में तो आय की एक सीमा निर्धारित कर दी गयी है, परन्तु मेरा सुझाव यह है कि आय की कोई सीमा निर्धारित न की जाये। उन्हें खूब धन कमाने दो और फिर उनकी आय पर १५/१६ के हिसाब से कर लगा दिया जाये। वे केवल १/१५ भाग प्राप्त कर सकेंगे जबकि शेष सारा धन राज्य के पास जायेगा, और वह धन राष्ट्रीय परियोजनाओं में लगाया जा सकेगा। इसलिये मेरा यह कथन है कि प्रस्तुत संकल्प न ही सुकर है और न ही वांछनीय है। यदि आप इसे जबरदस्ती लागू करने का प्रयत्न करेंगे तो उसके बड़े भयंकर परिणाम होंगे।

बार-बार यह बात कही गयी है कि इस देश में उच्चतम आय तथा निम्नतम आय में बड़ा भारी अन्तर है उसे समाप्त करना चाहिये। मैं इस कथन से पूर्णरूपेण सहमत हूं। परन्तु ऐसा तभी संभव हो सकेगा जबकि निर्धन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जायेगा। संकल्प के प्रस्तावक ने अपना भाषण देते हुये बार-बार गांधी जी का नाम लिया है और उनके इस आदर्शवादी सिद्धांत का उल्लेख किया है कि धनवान लोग अपने धन को लोक न्यास के रूप में समझें और स्वेच्छा से अपने वेतन को कम कर दें। परन्तु इन नैतिक आदर्शों को लागू करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिये हमें विधि लागू करने के प्रश्न पर विचार करते समय नैतिक आदर्शों का उल्लेख नहीं करना चाहिये। हमें इन दोनों को आपस में मिला नहीं देना चाहिये।

इसीलिये मैंने यह कहा है कि मैं इस संकल्प के अन्तिम उद्देश्य से तो सहमत हूं, परन्तु इस संकल्प से असहमत हूं जोकि आय पर एक सीमा निर्धारित करना चाहता है। मैं समझता हूं कि अन्तिम उद्देश्य प्राप्त करने का यह उपाय नहीं है।

पंडित डी० एन० तिवारी : सभापति महोदय, १९२० में स्वराज्य का आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। उस वक्त जब हम लोग देहातों में जाते थे और लोगों को उस आंदोलन में—स्वतन्त्रता की उस लड़ाई में—शामिल होने के लिये आवाहन करते थे, तो लोग पूछा करते थे कि इस लड़ाई में भाग लेने में हमें क्या फायदा होगा ? हम तो गरीब हैं।

"कोउ नृप होउ हमहि का हानी। चेरि छाड़ि अब होब कि रानी :" अर्थात् हम लोग तो गरीब हैं। हम मेहनत भी करें और इस लड़ाई में शामिल भी हों, परन्तु हमें इससे क्या फायदा होने वाला है ? वे पूछते थे कि स्वराज्य से हम गरीबों का क्या फायदा होगा ? हम लोग उनको जवाब देते थे कि आज कल तुम देखते हो कि कहीं महल है और कहीं झोंपड़ी है, कहीं लोग खाते-खाते मरते हैं और कहीं बिना खाये मरते हैं, स्वराज्य मिलने के बाद यह अवस्था नहीं रहेगी, इस समय जो बहुत डिसपैरिटी (भेदभाव) है, वह कम हो जायेगी और तुम लोगों को सुख-चैन की जिन्दगी बसर करने का मौका मिलेगा। यह हमारा इलैक्शन-प्लैज (निर्वाचन प्रतिज्ञा) नहीं था, बल्कि स्वराज्य की लड़ाई में शामिल होने के लिये आवाहन करते हुये हमने लोगों को ये आश्वासन दिये थे। चैयरमैन साहब, उस समय जब आप भी अपने देहातों में गये होंगे तो आपने भी लोगों से यही वादा किया होगा जिस तरह कि हमने किया था।

१९४७ के बाद देश का सौभाग्य उदय हुआ—देश आजाद हुआ, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसी अड़चनें पड़ गईं कि हम अपने मंतव्य को कार्य रूप में परिणत नहीं कर सके और अपने वादों को पूरा न कर सके। देश में हिन्दू-मुस्लिम रायट्स (झगड़े) हो गये, देश का बंटवारा हुआ और कई

समस्यायें पैदा हो गई, जिनको तुरन्त हल करना आवश्यक था। लेकिन आज जब हमारा देश शान्ति के समय से गुजर रहा है और हम अपनी पंच-वर्षीय योजनाओं को चला रहे हैं, तो हमें सोचना होगा कि हमारे समाज का गठन कैसा हो, देश में किस तरह की अर्थ-व्यवस्था हो? हमें इस बात का निश्चय करना होगा। तभी लोगों के दिलों में भरोसा पैदा होगा और वे देश के लिये काम करेंगे। मेरे पूर्व-वक्ता ने कहा कि सिर्फ सीलिंग (उपरिसीमा) तय कर देने से देश की गरीबी कैसे दूर हो जायेगी मैं मानता हूं कि बड़े-बड़े अफसरों का वेतन ५०० रुपया कर देने और बड़े-बड़े धनिकों का धन कम कर देने से भी गरीबों को बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक बात हम को याद रखनी चाहिये और वह यह है कि ऐसा करने से गरीबों में जो उत्साह पैदा होगा, उन में जो भावना आयेगी, वह देश को बहुत आगे ले जायेगी और हर हिन्दुस्तानी को—हर एक देशवासी को आगे बढ़ने के लिये (इससे) प्रेरणा मिलेगी। ऐसा करने से लोगों में जो जोश उत्पन्न होगा, जो यह विचार पैदा होगा कि हमारे लिये कुछ किया जा रहा है, हमारे भाई हमारे लिये अपने को नीचे ला रहे हैं और हमारे दुख-दर्द में शामिल हो रहे हैं ताकि हमें कुछ राहत मिले, हमें कुछ सुख-सुविधा मिले, वह देश को बहुत आगे ले जा सकता है और उससे हमारी द्वितीय पंच-वर्षीय योजना बड़ी आसानी से कार्यान्वित हो सकती है।

मेरे पूर्ववक्ता श्री भागवत झा आजाद और शर्मा जी ने हिन्दुस्तान में लोगों के धन में या आमदनी में विभिन्नता को बतलाने के लिये विदेशों के आंकड़े बताये हैं। मैं उनसे कहूंगा कि निर्जीव कागज के पन्नों में जो आंकड़े दिये हुए हैं, उनसे आप नहीं समझ सकते कि हिन्दुस्तान की वास्तविक हालत क्या है। आप रेलवे स्टेशन पर जाइये और वहां देखिये कि एक मुसाफिर खाना खाता है और वहां लोग तैयार रहते हैं कि उसके मुंह से तरकारी या रोटी का टुकड़ा छूटे और वे उसको खा जायें। इस देश में लोग मवेशियों के गोबर से बिना पचे हुये दाने—अनडाइजेस्टिड कार्न्ज—निकाल निकाल कर खाते हैं। आंकड़ों से आपको यह पता नहीं चलेगा कि देश की क्या हालत है। अगर आप आंख खोल कर चलेंगे तभी आपको पता चलेगा कि देश में कितनी जहालत है, देश की कितनी बुरी हालत है। ऐसी हालत में उन गरीबों को क्या पड़ा हुआ है कि वे आपको आपकी योजनाओं को सफल बनाने के लिये योग दें। आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के आठ बरस बाद भी जब यह हालत है तो किस तरह से हम यह आशा कर सकते हैं कि आपके आवाहन करने पर वे आपकी मदद करेंगे।

सभापति जी, अभी यहां पर बतलाया गया कि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आमदनी २८० रुपये सालाना है। इसमें उन लोगों का हिस्सा भी शामिल है जो ऐसी चीजें खाते हैं जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं तथा जिनका जीवन बहुत ही बुरी तरह से व्यतीत होता है। मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं। मैं एक बहुत बड़े आदमी को मिलने के लिये गया। उसने एक कुत्ता पाल रखा था और वह उसकी बहुत सेवा किया करता था। उसकी खातिर उसने नौकर रखा हुआ था। मैंने देखा कि वह नौकर कुछ सोच रहा था। मैंने पूछा कि क्या सोच रहे हैं। उसने कहा कि देखिये इस कुत्ते को दूध मिलता है गोश्त मिलता है, साबुन से इसको नहलाया जाता है और बहुत आराम से रखा जाता है। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दूसरे जन्म में मुझे भी कुत्ते का जन्म मिले और मैं किसी धनी पुरुष के यहां रहूं और इसी तरह की आराम की जिन्दगी बसर करूं। तो यह हिन्दुस्तान की दशा है। जापान, अमरीका, रूस इत्यादि के आंकड़ों स यहां की परिस्थितियों का पता नहीं चल सकता है। अगर आप सीलिंग लगाते हैं तो यह बात नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा धन मिल जायेगा, या गरीबों का बहुत उत्थान हो जायेगा। लेकिन इस वास्ते हमें सीलिंग फिक्स (निश्चित) करनी चाहिये कि हम गरीबों के साथ हैं, उनके दुख में हमारा दुख है और उनको हम ऊंचा उठाना चाहते हैं और यहां तक उठाना चाहते हैं कि अपने धन को लगाकर और खुद

[पंडित डी० एन० तिवारी]

गरीब होकर भी हम उनका भला करने के इच्छुक हैं। इस वास्ते मैं समझता हूं कि हमारे लिये इनकम्स (आय) पर सीलिंग लगाना बहुत जरूरी है।

हमारे एक भाई ने कहा कि रुपये में १५ आने टैक्स लगा दो। अगर वह लायर (वकील) हैं तब तो वह जानते होंगे कि जो धनी लोग हैं और जो टैक्स देने वाले लोग हैं वे कई तरीके टैक्स अदा न करने के निकाल लेते हैं। बहियों को वे मैनिपुलेट कर लेते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आयकर विभाग) की आंखों में धूल झोंक कर या वहां के कर्मचारियों से मिलकर (कुछ टानिक के जरिये) वे अपना इनकम टैक्स बहुत ही कम करवा लेते हैं। अगर लीकेज न हो तब मैं समझता हूं कि इनकम टैक्स के जरिये से हमें ८०० करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन आज उनकी तरफ से इनकम यहां कम दिखलाई जाती है और इस तरह से इनकम टैक्स का इवेजन होता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप १५ आने रुपये में तो क्या साढ़े १५ आने रुपये में इनकम टैक्स लगा लीजिये इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस वास्ते मैं आपको कहता हूं कि आप हद कायम कर दीजिये। मैंने एक संशोधन दिया है जिसमें मैंने कहा है कि ७,५०० महावार या ८४,००० रुपया सालाना (टैक्स काटकर) इनकम निर्धारित कर दी जाये। इस पर बहुत से लोगों को आपत्ति है और वे चाहते हैं कि इस हद को और भी कम कर दिया जाय। मैं भी मानता हूं कि यह हद ज्यादा है और इसे कम होना चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कि एक आदमी जिसको आज लाखों की आमदनी होती है उसको आप एक न एक वक्त बहुत नीचे नहीं गिरा सकते हैं। यह एक मिडिल स्टेज (मध्यम अवस्था) होगी और आगे चल कर अगर आप चाहें तो इस सीलिंग को और भी कम कर सकते हैं।

अभी कई भाइयों ने एक इनक्वायरी कमिटी (जांच समिति) बिठाने के लिये कहा। मैं समझता हूं कि किसी इनक्वायरी कमिटी की आवश्यकता नहीं है। सब लोग जानते हैं कि क्या हालत है। हां इनक्वायरी कमिटी बनानी हो तो इसलिये बनाइये कि वह आपको बतलाये कि किस तरह से इसको काम में लाया जाये। इसके लिये अगर आप चाहें तो एक एक्सपर्ट कमिटी की नियुक्ति कर सकते हैं। यह जरूरी है।

आप देखेंगे कि प्लानिंग कमिशन (योजना आयोग) की तरफ से एक डायरेक्शन (निदेश) सब राज्यों को गया है जिसमें कहा गया है कि जमींदारी को उठा दिया जाय और जमीन पर सीलिंग फिक्स कर दी जाय। बहुत से राज्यों में यह कार्यान्वित भी हो रही है। हमारे बिहार प्रांत में जमींदारी उठाई गई है और वहां जो कम्पेंसेशन (प्रतिकर) दिया गया है वह एक सोशलिस्टकि पैटर्न आफ सोसाइटी (समाजवादी ढंग के समाज) के मवाफिक दिया गया है। जिसकी कम आमदनी है, २०० या ४०० रुपया की, उसको बीसगुना दिया गया, जिसकी लाख से ऊपर है उसको तिगुना दिया गया। इस तरह से वहां पर रास्ता निकाला गया। अब लैंड (भूमि) पर सीलिंग हमारे यहां हो रही है। वहां पर भी कम्पेंसेशन (प्रतिकर) दिया जा रहा है, जैसा कि आप ने कानून पास किया गत सेशन में, उसी के अनुसार, जिनके पास बहुत अधिक जमीन है उन्हें १५ रु० एकड़ या ७५ रु० एकड़, अर्थात् बहुत नामिनल दिया जा रहा है। लेकिन हमारी दिल्ली की दशा बहुत विचित्र है। हमने इम्पीरियल बैंक लिया और कम्पेंसेशन में दिया मार्केट वेल्यू (बाजार भाव) से भी ज्यादा। जिनका कैपिटल (पूंजी) उसमें ५०० रु० था उनको हमने १७०० रु० दिया। यही नहीं कि एक आध शेयर वालों को यह दिया गया बल्कि जिनके पास एक हजार शेअर थे उनको भी उसी तरह से दिया गया। मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा (मैं नहीं जानता कि वह मेरी हिन्दी समझते हैं या नहीं) कि इम्पीरियल बैंक लेने में आपने जो कम्पेंसेशन दिया है, वह आप के सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी को जेब (शोभा) नहीं दे रहा है। आप सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की बात बिहार में जाकर देख लीजिये। देखिये कि वहां पर किस प्रकार कम्पेंसेशन दिया जा रहा है और देने की कोशिश की जा रही है। अगर यहां से कोई

इंटरफिअरेंस (हस्तक्षेप) नहीं हुआ तो जरूरत से ज्यादा कम्पेंसेशन किसी को भी नहीं दिया जायेगा। जो बड़े लोग हैं उनको कम मिलेगा और जो छोटे लोग हैं उनको अधिक मिलेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि क्यों आज जरूरी है इनकम पर हद्द कायम करना। दो आदमी थे जिनके पास दो लाख रुपये थे। एक ने तो जमीन में लगाया या जमींदारी में लगा दिया और उसका रुपया (आज) खत्म हो गया। दूसरे ने बिजिनेस (व्यापार) में रुपया लगा दिया, फैक्ट्री इस्टैब्लिश (कारखाना स्थापित) करने में लगाया। नतीजा यह हुआ कि जिसने बिजिनेस में रुपया लगाया उसका तो मूल्य और बढ़ गया, लेकिन जो आदमी जमीन में लगा चुका है, वह देहात में रहता है, उसका सब रुपया खत्म हो गया। फैक्ट्री वाला जो कि शहर में रहता है उसके पास पैसा बढ़ता गया। इस तरह से आप शहरों को तो रिच से रिचर बना रहे हैं, जो धनिक है उसको और धनी बनाते जा रहे हैं, और जो देहात वाले हैं उनको गरीब से और ज्यादा गरीब बनाते जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : वह लोग शहर में चले जायेंगे।

पंडित डी० एन० तिवारी : हां, आप तो वकालत करते हैं, इसलिये आप की आमदनी बढ़ गई है।

इसलिये मैं कहूंगा कि आपका दृष्टिकोण एक होना चाहिये, देहात और शहर को, जमींदार और मिल मालिकों को, सभी को एक आधार पर चलाइये। और उसी के मुताबिक सब की आमदनी की सीलिंग करना बहुत जरूरी है।

कुछ लोगों ने कहा है कि हम लोग गरीबी को बांट लेंगे। मैं इस से सहमत नहीं हूं। अभी मेरे दोस्त ने विनोबा जी का उदाहरण दिया। विनोबा जी जब जमीन मांगने जाते हैं तो केवल धनिकों से ही नहीं मांगते। उनसे भी मांगते हैं जिनके पास एक या दो एकड़ जमीन है। आज वे जमीन इस लिये नहीं मांगते हैं कि जिनके पास अधिक जमीन है उनसे वे ले लें, बल्कि वह देश में एक मनोवृत्ति पैदा करने के लिये, एक लहर पैदा करने के लिये, मांगते हैं जिससे लोग त्याग की तरफ जायें और समाज के लिये काम करना सीखें। इसलिये गरीबी बांटने का सवाल नहीं है। जैसा मैंने कहा था कि यह बहुत आसान बात है, यह ठीक है कि हम कितना ही उपाय करें, सब बराबर नहीं हो सकते, बराबर करने का प्रस्ताव भी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम होगा जिससे देश में एक त्याग की भावना पैदा होगी और लोगों में एक उत्साह पैदा होगा। साथ ही आप के काम में भी बड़ी सहूलियत होगी और प्रगति आ जायेगी। इसलिये मंत्री महोदय से कहूंगा कि अगर वह अभी कोई ऐमेंडमेंट स्वीकार नहीं करते हैं, या तुरन्त सीलिंग करने की घोषणा नहीं करते हैं तो कम से कम **प्रिंसिपल आफ दि रेजोल्यूशन** (संकल्प के सिद्धांत) को मान कर एक कमेटी बनादें, या अपने एक्सपर्टस (विशेषज्ञ) की ही कोई कमेटी बना दें।

साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि हाउस की जैसी राय है कि जो बड़े-बड़े आदमी हैं जिनकी तनख्वाह बहुत अधिक है, उनकी तनख्वाह को भी कम करने की कोशिश करें। मैं मानता हूं कि इसमें दिक्कत होगी क्योंकि जो ४००० रु० में अपना काम चलाते हैं उनकी २००० रु० तनख्वाह कर देने से उनको कष्ट होगा, लेकिन उन को कभी न कभी तो दिक्कत उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि देश गरीब है और ऐसा नहीं किया जायेगा तो देश तरक्की नहीं करेगा।

†**श्री एन० राचय्या** : मैं श्री विभूति मिश्र द्वारा प्रस्तुत किये गये इस संकल्प का समर्थन करता हूं: इस संकल्प के बारे में मैं अपना एक संशोधन भी प्रस्तुत करता हूं और वह है संशोधन संख्या ५। इसमें यह कहा गया है कि देश में किसी पदाधिकारी को १००० रुपये प्रति मास से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन० राचय्या]

हम एक समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करने जा रहे हैं, हम देश में एक सामाजिक-आर्थिक क्रांति लाने वाले हैं। इसलिये हम जब तक व्यक्ति की आय की एक सीमा निश्चित न करेंगे, हम समस्यायों से छुटकारा न पा सकेंगे, और न ही समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना कर सकेंगे। हमारा संविधान समानता, भ्रातृत्व, समान न्याय तथा समान अवसर प्रदान करना चाहता है, और वह चाहता है कि देश का धन केवल कुछ एक व्यक्तियों के ही हाथ में केन्द्रित न हो। इसलिये इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये मैं पूछता हूं कि श्री मैथ्यू ने इस बारे में निराशा क्यों प्रकट की है।

'सोशल आर्डर' नामक एक पुस्तिका में श्री ढेबर ने यह कहा है कि हम जब तक आर्थिक समानता प्राप्त नहीं करते, तब तक राजनीतिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त करना केवल एक स्वप्न होगा। इसलिये आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त करना असंभव है।

तीन दिन पहले ही इस सभा ने हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पास किया है और वह अधिनियम सामाजिक क्षेत्र में एक क्रांति लायेगा। इस प्रकार से जब हम अन्य आदर्शों को प्राप्त करने के लिये इतना कुछ कर रहे हैं, हमें व्यक्ति की आय पर एक सीमा निर्धारित करने के विरुद्ध कोई विरोध नहीं करना चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार इस संकल्प को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करेगी। हम पंचशील के सिद्धांतों को अन्तर्राष्ट्रीय जगत में तो प्रचारित कर रहे हैं, परन्तु उन्हें अपने देश में लागू नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि उन्हें देश में भी लागू किया जाये, ताकि हमारा देश स्थिरता-पूर्वक प्रगति कर सके।

†**सभापति महोदय** : संभवतः माननीय सदस्य अभी कुछ समय लेंगे।

†**श्री एन० राचय्या** : जी हां।

†**सभापति महोदय** : अब सभा स्थगित होगी। अगली बैठक सोमवार को होगी।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, १४ मई, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, ११ मई, १९५६]

पृष्ठ

राज्य-सभा से संदेश ३३८७

सचिव ने राज्य-सभा का यह सन्देश सुनाया कि राज्य-सभा ने ९ मई, १९५६ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा २१ फरवरी, १९५६ को पारित अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक, बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया ।

राज्य-सभा द्वारा पारित तथा लोक-सभा में विचाराधीन विधेयक वापिस लेने के बारे में प्रस्ताव का संशोधन ३३८८

अध्यक्ष ने लोक-सभा को बताया कि लोक-सभा द्वारा ३० अप्रैल, १९५६ को स्वीकृत मनीपुर राज्य पहाड़ी-लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक वापस लेने के बारे में प्रस्ताव सम्बन्धी पाठ में उन्होंने संशोधन कर दिया ।

समितियों के लिये निर्वाचन ३३८८

लोक-सभा ने प्राक्कलन समिति के लिये ३० सदस्यों और लोक लेखा समिति में १५ सदस्यों के निर्वाचन के हेतु प्रस्ताव स्वीकार किये तथा लोक-सभा ने इस सभा की लोक लेखा समिति में सम्मिलित होने के लिये राज्य-सभा के सात सदस्यों को नाम-निर्देशित करने की सिफारिश का प्रस्ताव भी स्वीकार किया ।

कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन स्वीकृत ... ३३८९–९१

पैंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन स्वीकार किये गये ।

विधेयक पारित ३३९२–३४२७

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक पर और आगे विचार हुआ तथा उसे पारित किया गया ।

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ३४२७

बावनवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

ग़ैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प विचाराधीन ३४२७–५०

व्यक्ति की अधिकतम आय सम्बन्धी संकल्प पर श्री विभूति मिश्र ने अपना भाषण समाप्त किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, १४ मई, १९५६ के लिये कार्यावलि––

त्रावणकोर-कोचीन बजट तथा त्रावणकोर-कोचीन विनियोग विधेयक का पारित किया जाना ।

M135LSD—190—3-1-58—GIPF